लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

[खंड 55 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. LV contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 55—सोमवार, 9 मई, 1966/19 वैशाख, 1888 (शक)

No. 55—*Monday, May* 9, 1966/*Vaisakha* 19, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1541	नेपाल में विकास कार्य के लिये सहायता	Assistance for Development Works in Nepal	8045–47
1542	पंचन लामा के विरुद्ध आन्दोलन	Campaign against Panchen Lama	8047–48
1543	दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में मिशन	Missions in South East Asian Countries	8048–51
1544	मंत्रियों की आस्तियों के विवरण	Returns of Assets of Ministers .	8051–53
1545	ताश्कन्द समझौते की क्रियान्विति	Implementation of Tashkent Agreement	8053–58
1546	चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना	Admission of China in the United Nations	8058–60
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
27	हिन्दी में हस्ताक्षर वाले आवेदनपत्र की नामंजूरी	Rejection of Application Bearing Signatures in Hindi . .	8060–62

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1547	संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जेट विमानों का निर्माण	Manufacture of Jets with U. A. R. Collaboration. . . .	8062
1548	बर्मा के साथ करार	Agreement with Burma .	8062–63
1549	चीन विरोधी कार्यवाहियों के बारे में चीन का विरोध पत्र	Chinese Protest *re* : Anti-Chinese Activities	8063
1550	भारतीय साम्यवादियों की गिरफ्तारी के बारे में प्रवदा में लेख	Article in Pravada about Arrest of Indian Communists .	8063
1551	राकेट विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान	Research in Science of Rocketry	8063–64
1552	भूटान-तिब्बत सीमा पर चीनी सैनिकों का जमाव	Concentration of Chinese Troops in Bhutan Tibet Border .	8064
1553	तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees . .	8065

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that member.

1—71 Lok Sabha/66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1554	पाकिस्तान और चीन के बीच गुप्त सन्धि	Secret Pact between Pakistan and China	8065
1555	पश्चिम जर्मनी और चीन के बीच सहायता करार	West German Chinese Aid Agreement	8066
1556	पादरी माइकेल स्कॉट द्वारा बर्मा सरकार को लिखा गया पत्र	Letter Written by Rev. Michael Scott to Government of Burma	8066–67
1557	श्री सुखाई का वक्तव्य	Statement of Shri Sukhai	8067
1558	पाकिस्तान स्थित मिजो नेशनल फ्रंट के नजरबन्दी शिबिर में सरकारी अधिकारी	Government Officials in Mizo National Front Detention Camp in Pakistan	8067
1559	आकाशवाणी के बारे में चन्दा समिति का प्रतिवेदन	Chanda Committee's Report on A.I.R.	8068
1560	पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता	U.S. Military Aid to Pakistan	8068
1561	सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच	Enquiries Against Government Servants	8068–69
1562	सैनिक ट्रक तथा जीपें	Military Trucks and Jeeps	8069
1563	केन्द्रीय संधि संगठन (सेंट्रल ट्रीटी आर्गेनाइजेशन) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन	Annual Conference of Foreign Ministers of Central Treaty Organisation	8069
1564	पूर्वी पाकिस्तान को भारतीय राज्य क्षेत्र से होकर रास्ता	Passage Through Indian Territory to East Pakistan	8070
1565	विदेशों में भारतीय राजनयिक अधिकारी	ndian Diplomats Abroad	8070
1566	एशियाई संसदीय संघ का सम्मेलन	Conference of Asian Parliamentary Union	8070–71
1567	लापता सैनिक कर्मचारी	Missing Army Personnel	8071
1568	केन्द्रीय सीमा सुरक्षा बल	Central Border Security Force	8071
1569	पाकिस्तानी सेना द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति का नष्ट किया जाना	Damage Done to Public Property by Pak. Forces	8072
1570	आकाशवाणी पर विरोधी नेताओं की वार्ता	Talks by Leaders of Opposition on A.I.R.	8072
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4954	राजस्थान में भूतपूर्व सैनिक	Ex-Servicemen in Rajasthan	8072–73
4955	फिल्म वित्त निगम	Film Finance Corporation	8073
4956	निजी रूप से पाकिस्तान जाने वाले आकाशवाणी के कर्मचारी	Employees of A. I. R. who visited Pakistan Privately	8073

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4957	राष्ट्रीय रक्षा परिषद्	National Defence Council . .	8073–75
4958	स्वर्गीय श्री सावरकर की रचनायें और भाषण	Writings and Speeches of late Shri Savarkar . . .	8075
4959	नौसेना प्रशिक्षण, संस्थान, विशाखा-पत्तनम	Naval Training Establishment at Visakhapatnam . . .	8075
4960	कमीशन प्राप्त मृत अफसरों के आश्रितों को प्रसादत: पुरस्कार	Ex-Gratia Awards to Dependants of Deceased Commissioned Officers	8076
4961	कन्नानूर छावनी बोर्ड	Cannanore Cantonment Board .	8077
4962	केरल में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाना	Resettlement of Ex-Servicemen in Kerala	8077
4963	नेशनल राइफल एसोसिएशन को कारतूसों का सम्भरण	Supply of Cartridges to National Rifle Association . . .	8077–78
4964	अंतरिक्ष अनुसन्धान संबंधी भारतीय राष्ट्रीय परिषद	Indian National Council of Space Research	8078
4965	दक्षिण में आकाशवाणी का क्षेत्रीय निदेशालय	Regional A.I.R. Directorate in South	8079
4966	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में विचार और टिप्पणियां	Views and Comments on Indo-Pak. Conflict	8079
4967	छावनी बोर्डों में हिन्दी	Hindi in Cantonment Boards .	8079
4968	जंजीबार से आने वाले भारतीय शरणार्थी	Indian Refugees from Zanzibar .	8079–80
4969	सिक्किम, भूटान और तिब्बत के बीच व्यापार	Trade between Sikkim, Bhutan and Tibet	8080
4970	उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण	Surveys in U.P. . . .	8080
4971	शान्ति दल के स्वयंसेवक	Peace Corps Volunteers . .	8081
4972	अमरीकन वायर सर्विस द्वारा नई दिल्ली से भेजा गया समाचार	American Wire Service Despatch from New Delhi . . .	8081
4973	आदिस अबाबा में पुगवाश सम्मेलन	Pugwash Conference in Addis Ababa	8081–82
4974	सेनाध्यक्षों का कार्यकाल	Tenure of Service Chiefs . .	8082
4975	आकाशवाणी का त्रिचूर केन्द्र	Trichur Radio Station . .	8082–83
4976	आकाशवाणी के कालीकट और त्रिवेन्द्रम केन्द्र	Calicut and Trivandrum Radio Stations	8083
4977	आकाशवाणी के केन्द्रों को कोएक्सियल केबलों से मिलाना	Linking of A.I.R. Stations with Co-axial Cables . . .	8083
4978	बोरझार के निकट वायु सेना के विमान की दुर्घटना	Air Force Plane Crash near Borjhar	8083
4979	भारत-चीन सीमा विवाद संबंधी पंडित सुन्दर लाल का लेख	Article by Pandit Sundar Lal on Indo-China Border Dispute .	8084

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4980	मंत्रालयों की समाप्ति	Abolition of Ministries . .	8084
4981	श्रव्य-दृश्य विभाग के कर्मचारियों के संबंधियों द्वारा फर्में चलाना	Firms run by Relatives of Employees of Audio-Visual Department	8084–85
4982	अखबारी कागज का अभ्यंश नियतन	Allotment of Newsprint . .	8085
4983	पूर्वी जर्मनी में व्यापार मिशन	Trade Mission in East Germany .	8085
4984	केरल में अमरीकी शान्ति दल के कार्यकर्ता	Peace Corps Workers in Kerala .	8085–86
4985	आर्थिक अपराधों के लिये बर्मा में नज़रबन्द भारतीय	Indians detained in Burma for Economic Offences. . .	8086
4986	स्वर्गीय प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू की रचनायें	Works of the late Prime Minister, Jawahar Lal Nehru .	8087
4987	नेपाल स्थित भारतीय दूतावास द्वारा हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi by Indian Embassy in Nepal	8087
4988	पाकिस्तान द्वारा सीमा का उल्लंघन	Border Violations by Pakistan .	8087–88
4989	सीमा के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों को बसाना	Rehabilitation of Ex-Servicemen Along the Border . . .	80
4990	अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint . . .	8088
4991	अणु शक्ति संस्थान के लिये अनुयान (ट्रेलर)	Trailer for Atomic Energy Establishment	8088
4992	आकाशवाणी में हिन्दी	Hindi in A.I.R. . . .	8089
4993	इंटक की कांग्रेस के भिलाई अधिवेशन में पारित संकल्प	Resolution Passed at Bhillai Congress of I.N.T.U.C. .	8089
4995	राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों का अगला सम्मेलन	Next Conference of Commonwealth Prime Ministers. .	8090
4996	नेपाल से भारत को धान और चावल लाना	Movement of Paddy and Rice from Nepal to India . .	8090
4997	भारत से भाग कर जाने वाले लोगों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण	Training given in Pakistan to People who fled away from India .	8090–91
4998	दिल्ली छावनी बोर्ड के चुनाव	Election to Delhi Cantonment Board	8091
4999	फिल्म डिवीजन के कमेंटेटर्स	Commentators in Film Division .	8092
5000	टेप्स लाइब्रेरियन	Tapes Librarian . . .	8092
5001	रोडेशिया के विरुद्ध बल प्रयोग	Use of Force against Rhodesia .	8092–93
5002	सुरक्षा परिषद् में काश्मीर विवाद	Kashmir issue in Security Council	8093
5003	भारत-पाकिस्तान शिखर सम्मेलन	Indo-Pakistan Summit Meeting .	8093
5004	"हू सफर्स" ("किस को हानि होती है") सम्बन्धी विज्ञापन	Advertisement about 'who Suffers'	8094–95

तारांकित प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5005	चेकोस्लोवाकिया के विदेश उप-मंत्री तथा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत	Meeting between Deputy Foreign Minister of Czechoslovakia and Government's Representatives .	8095
5006	किर्की स्थित आयुध कारखाने में विस्फोट	Explosion in Ordnance Factory at Kirkee	8095
5007	राष्ट्रीय सुरक्षा कोष	National Defence Fund . .	8095–96
5008	दक्षिण कोरिया में भारतीय दूतावास	Indian Embassy in South Korea	8096
5009	अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादकों का सम्मेलन	All India Newspaper Editors' Conference	8097
5010	राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन	Natioal Income Estimates . .	8097
5011	भारी पानी (हैवी वाटर) का निर्यात	Export of Heavy Water . .	8097–98
5012	सैनिक अभियन्ता सेवा (एम०ई० एस०) में इंजीनियरों के तबादले	Transfer of Engineers in M.E.S.	8098
5013	पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास सम्बन्धी विशेष सेवा निधि (सर्विसिज़ फंड)	Special Services Fund for Reconstruction and Rehabilitation .	8098–99
5015	वायु सेना मुख्यालय में स्टोर कीपर	Store Keepers in Air Headquarters	8099
5016	प्रतिरक्षा कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Defence Offices .	8099
5017	दिल्ली छावनी में ट्रक की दुर्घटना	Truck Accident in Delhi Cantonment	8100
5018	रेडियो-समस्थानिकों (आइसोटोप्स) का निर्यात	Export of Radio Isotopes . .	8100
5019	आयुध कारखानों में उत्पादन लागत	Cost of Production in Ordnance Factories	8100–01
5020	पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन	Air Space Violations by Pakistan	8101
5021	उलान बतोर में रिहायशी (रेजीडेंट) मिशन	Resident Mission in Ulan Bator .	8101–02
5022	पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी	Firing by East Pakistan Rifles .	8102
5023	जैसलमेर में सैनिक तोपखाने के लिये भूमि का अधिग्रहण	Requisition of land for Defence Artillery at Jaisalmer . .	8102
5024	पाकिस्तान में ईसाईयों का उत्पीड़न	Persecution of Christians in Pakistan.	8102–03
5025	डा० भाभा के नाम पर अणु शक्ति संस्थान का नामकरण	Naming of Atomic Energey Establishment after Dr. Bhabha .	8103
5026	चलचित्रों में चुम्बन	Kissing on the screen . .	8103
5027	इंडियन मिलीटरी एकेडेमी देहरादून में दाखिला	dmission to Indian Military Academy, Dhera Dun . .	8103–04

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5028	अणु शक्ति विभाग द्वारा आरम्भ की गई नई परियोजनायें	New Projects launched by the Atomic Energy Department .	8104–05
5029	रॉकेट और अन्तरिक्ष अनुसन्धान	Rocket and Space Research. .	8106
5030	भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के लोग	Ex-I. N. A. Personnel . .	8106–07
5031	वदेशिक कार्य मंत्रालय में क्रय (पर्चेज़) अधिकारी का पद	Post of a Purchase Officer in Ministry of External Affairs .	8107
5032	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में सहायक	Assistants in Ministry of External Affairs	8107
5033	असमर्थ हो गये सैनिकों को रोजगार दिलाना	Rehabilitation of disabled Army Personnel	8108
5034	प्रतिरक्षा क्लब	Defence Clubs	8108
5035	पाकिस्तान चले गये मिज़ो लोग	Mizos who crossed over to Pakistan	8108–09
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
संयुक्त राज्य अमरीका के केन्द्रीय गुप्तवार्ता अभिकरण द्वारा भारत की आणविक शक्ति के विषय में जासूसी किये जाने का समाचार—		Reported Spying by the C.I.A. of U. S. A. on India's Nuclear Energy Capacity—	
डा० राम मनोहर लोहिया		Dr. Ram Manohar Lohia .	8109
श्री नंदा		Shri Nanda . . .	8109–12
विशषाधिकार का प्रश्न		Point of Privilege . .	8112–13
नियम 377 के अन्तर्गत प्रश्न		Point under Rule 377 . .	8113–14
सभा-पटल रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	8114
उपज उपकर विधेयक—		Produce Cess Bill—	8114
प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन		Memorandum Re. Delegated Legislation	8114
दिल्ली प्रशासन विधेयक—		Delhi Administration Bill—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य		Report of Joint Committee and Evidence	8114–15
औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति के उदार बनाये जाने के बारे में वक्तव्य—		Statement re. Liberalisation of Industrial Licensing Policy—	
श्री संजीवय्या		Shri D. Sanjivayya . .	8115–17
सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में (श्री सरजू पाण्डये)		Re. Health of a Member (Shri Sarjoo Pandey) . .	8117–18
संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक—		Constitution (Nineteenth Amendment) Bill—	
पुर:स्थापित		Introduced	8118

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
केरल में राष्ट्रपति का शासन जारी रखने के बारे में संकल्प —(स्वीकृत)	Resolution re. Continuance of President's Rule in Kerala—*adopted*	
श्री अ० ना० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar .	8119
श्री प० कुन्हन	Shri P. Kunhan . . .	8119–20
श्री श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair .	8120–21
श्री मणियंगाडन	Shri Maniyangadan . .	8121–22
श्री अल्वारेस	Shri Alvares	8122–23
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma .	8123–24
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Muhammad Ismail. .	8124
श्री श्रीनारायण दास	Shri Sree Narayan Das . .	8124–25
श्री अ० व० राघवन	Shri A. V. Raghavan . .	8125–26
श्री नम्बियार	Shri Nambiar . . .	8126
श्री वारियर	Shri Warrior . . .	8126–27
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	8127
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair . .	8127–28
श्री हाथी	Shri Hathi	8128–30
केरल आय-व्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगें (केरल)—	Kerala Budget, 1966-67—General Discussion and Demands for Grants (Kerala)—	
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair . .	8132–49
श्री श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair .	8149

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 9 मई, 1966/19 वैशाख, 1888 (शक)
Monday, May 9, 1966/Vaisakha 19, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Assistance for Development Works in Nepal

+

*1541. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shrimati Maimoona Sultan :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any amount has been earmarked for the development works in Nepal during the Fourth Five Year Plan;

(b) so, the amount thereof; and

(c) the particulars of the works to be executed ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c). Pending finalization of the Fourth Five Year Plan no specific amount has been earmarked for assistance to Nepal. A number of projects which were taken up during the Third Plan are under construction and the work on these will naturally continue during the current Plan. Government have agreed to take up some new projects also in the Fourth Plan. Important once are the East-West Highway and the Kamla Barrage.

Shri M. L. Dwivedi : I want to know the amount of money sanctioned by the Government of India for projects in Nepal in the Third Five Years Plan and the amount of money being sanctioned in the Fourth Five Year Plan ?

Shri Dinesh Singh : Projects are going on, the amount sanctioned for this was 20 crores. For future the projects are under the consideration of the Government. Some we have accepted and some we are considering. As regards the amount of money we will sanction after due consideration.

Shri M. L. Dwivedi : Whether the Government of Nepal have requested or consulted the Government of India regarding the projects which can probably work in Nepal with Cooperation of the Government of India ?

Shri Dinesh Singh : We had talks with the Nepal Government and there are still going on.

Shri Bhagwat Jha Azad : Whether Government of Nepal have sent some proposals and recommendations for some projects to be included in the Fourth Five Year Plan, and the amount sanctioned for that ?

Shri Dinesh Singh : I have already stated that talks are still going on, and the final dicision has not yet been taken. I will be able to state only after we have any decision.

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है। क्या इस काल में जिन परियोजनाओं को पूरा किया जाना है वे निर्धारित राशि में पूरी हो जायेगी अथवा उन्हें पूरा करने के लिये अतिरिक्त धन राशि स्वीकृत करनी होगी ?

श्री दिनेश सिंह : इसे आगे ले जाया जायेगा। अभी तक हम 20 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुके हैं, वसे मूल परियोजना 33 करोड़ रुपये की है। अत: 13 करोड़ तो आगे चलेगा ही।

श्री स० चं० सामन्त : 20 करोड़ रुपये की राशि में से कितना अनुदान है और कितना ऋण ?

श्री दिनेश सिंह : यह बात एकदम तो नहीं बताई जा सकती।

श्री म० ल० द्विवेदी : महीनों हो गये है, प्रश्न को प्रस्तुत किये हुए परन्तु मंत्री महोदय कहते हैं कि वह ऐसे नहीं बता सकते। उन्हें स्थिति का पता ही नहीं यह बात हम स्वीकार कैसे करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि अभी परियोजनायें पूरी नहीं हुई, चल रही है।

Shri Vishram Prasad : According to a news item published in the papers Nepal wants to get some money in this direction from China also. I want to know whether it is due to the fact that Government of India are not giving Nepal the required amount of moneies ?

Shri Dinesh Singh : We cannot say anything ergarding erquisite moneys. As far as possible we are giving them help.

श्री कपूर सिंह : इस काल में नेपाल को जो चीन और पाकिस्तान से सहायता मिली वह भारत के अनुमान से कितनी है ?

श्री दिनेश सिंह : हमारी सहायता की मात्रा बहुत काफी है।

Shri K. N. Tiwari : I want to know the aid demanded by the Prime Minister of Nepal during his visit in India while having talks with the Prime Minister of India and the amount of money Government of India has accepted to offer them.

Mr. Speaker : He has answered this question.

श्री श्रीनारायण दास : कोलम्बो योजना के अन्तर्गत जो सहायता भारत सरकार ने नेपाल को दी है, उसकी राशि क्या है और इस योजना के अन्तर्गत कितने विद्यार्थियों को भारत में प्रशिक्षण दिया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे पूरी संख्या का तो पता नहीं, परन्तु यदि अलग से माननीय सदस्य नोटिस दे तो मैं संख्या बता सकूंगा।

Shri Parkash Vir Shastri : Whether India has given aid to Nepal for Industrial and Financial projects or has helped her due to India's Centuries—old Cultural relations with her, and whether there is any plan for giving aid in future ?

Shri Dinesh Singh : Still there is no consideration for Cultural matters, our aid is given for the construction of University.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या नेपाल की अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए अपेक्षित उद्योगों को भारतीय सहयोग से चलाया जायेगा। यदि हो तो इस दिशा में विस्तार से मामला क्या है ?

श्री दिनेश सिंह : भारत सरकार के सहयोग की बात मैं बता चुका हूं भारतीय व्यापारियों के सहयोग की बात मैं नहीं जानता।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Whether due consideration is being paid to the security of our borders while negotiating these plans ?

Shri Dinesh Singh : Our effort is that Nepal's economic position should improve. As her economic position improves, her defence resources will also improve.

पंचन लामा के विरुद्ध आन्दोलन

+

*1542. **श्री मधु लिमये** :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत में पंचन लामा के विरुद्ध किये गये आन्दोलन के बारे में कोई समाचार मिला है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ तिब्बति साधुओं ने दबाव में आकर पंचन लामा का साथ छोड़ने की अपेक्षा आत्म-हत्या करना उचित समझा; और

(ग) यदि हां, तो इस नवीनतम स्थिति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारत उरकार को मालूम है कि चीनी अधिकारियों ने तिब्बत में पंचन लामा के विरुद्ध ज़बर्दस्त आन्दोलन चलाया है सरकार ने ऐसी रिपोर्टें भी देखी हैं कि तिब्बत में बहुत से भिक्षुओं ने पंचन लामा की बुराई करने की बजाय आत्म-हत्या करना पसंद किया।

(ग) सरकार चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बति संस्थाओं का दमन करने और तिब्बत में मूलभूत मानव अधिकार देने से इन्कार करने की निंदा करती है।

Shri Mudhu Limaye : Have the Government received information to the effect that in the Eastern and North-Eastern areas of Tibet 'Hen' Chinese are being rehabilitated on a large scale ; about 25-30 lakh Chinese have already been

rehabilitated and the Tibetans are being put to death if, so, the steps being taken by Government for sending the protest note or for raising this matter in the U.N.O. ?

श्री स्वर्ण सिंह : गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 20 वें अधिवेशन में भारत ने एक संकल्प का समर्थन किया था जिसमें उन सभी कार्यवाहियों को बन्द करने की मांग की गई थी जिनसे तिब्बतियों को उनके मानव अधिकारों और मूल स्वतन्त्रताओं से वंचित रखा जाता था जिनका उन्होंने सदैव उपयोग किया था।

Shri Madhu Limaye : Have the Government of China alleged that India is giving monetary and military aid to Tibetan hostiles , if so, in view of the fact that since China is not giving up its aggressive policy, are the Government considering any proposal to give arms and economic aid to Tibetans ?

Shri Swaran Singh : There is no such proposal.

Shri Vishwanath Pandey : The hon. Minister stated that an intensive anti-Panchen Lama campaign is being carried on in Tibet. May I know whether Dalai Lama has sent any protest note in this regard to the Government if, so, the reaction of the Government thereon ?

Shri Swaran Singh : Dalai Lama has not furnished any specific information about Panchen Lama, but we have taken the stand in U.N.O. on the basis of what has been stated to us.

श्री हेम बरुआ : यह देखते हुए कि चीन काश्मीर में, जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, आत्म अवधारण की मांग कर रहा है, फिर हमारी सरकार ने तिब्बत में बदली हुई परिस्थितियों के होते हुए भी तिब्बत पर चीन के महाधिपत्य का खंडन क्यों नहीं किया है ; जब कि तिब्बत में हत्याएं करना एक साधारण सी बात हो गई हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : किसी व्यवस्था का खंडन करने के लिये ये बातें काफी नहीं है, और हम केवल इसलिये एक गलत रवैया नहीं अपना सकते क्योंकि चीन ने एक गलत रवैया अपनाया है । गलत रवैया का मुकाबिला गलती को बता कर करना चाहिये न कि स्व गलत रवैया अपनाकर।

श्री कपूर सिंह : क्या पंचन लामा की सुरक्षा और वह कहां पर हैं इस बारे में कोई विश्वस्त समाचार उपलब्ध है और क्या मामले में चिन्ता प्रकट करने के लिये हमने कोई कदम उठाया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : उनका अतापता इस समय मालूम नहीं है और इस सम्बन्ध में कोई खास काम नहीं कर सकते हैं।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में मिशन

*1543. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपनी बर्मा यात्रा के पश्चात स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों में काफी शक्तिशाली मिशन स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था ;

(ख) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में राजनयिक मिशनों को मजबूत बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ छोटे देशों की भारत के विरुद्ध काफी चिरकाल से यह शिकायत रही है की उसने उन देशों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया है; और

(घ) इन शिकायतों को कहां तक दूर करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री शास्त्री ने इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया था।

(ख) सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों मे स्थित मिशनों में पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता है। अपने साधनों की सीमाओं में रहते हुए हमने इस आवश्यकता को पूरा किया है।

(ग) जी नहीं। भारत ने दक्षिण एशिया के देशों को यथोचित महत्व दिया है और उनके साथ उसके मित्रतापूर्ण संबन्ध हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : वियतनाम के सम्बन्ध में, अर्थात् यह कि बम्बारी से वियतनाम का सवाल हल नहीं होगा, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को अपने एजन्सिज साधनों द्वारा अपनी नीति से सहमत कराने में भारत सरकार को कहां तक सफलता मिली है?

श्री दिनेश सिंह : ऐसा कोई कार्यक्रम हमने आरम्भ नहीं किया है। हमने स्वयं उनसे यह नहीं कहा है कि वे हमारे मत से सहमति प्रकट करें। जहां तक वियतनाम के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसका शांतिप्रिय हल होना चाहिय। और इसका कोई सैनिक हल नहीं होना चाहिये। लगभग सभी देशों का यह मत है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : डा० सुबान्द्रियों के जाने के बाद जो कि भारत से विरुद्ध अपशब्द निकाला करता था, क्या अब इन्डोनेशिया के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार होगा?

श्री दिनेश सिंह : इन्डोनेशिया के साथ हमारे सम्बन्धों में काफी सुधार हो रहा है। व्यक्तियों को छोड़ कर हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच हमेशा ही बहुत अच्छे सम्बन्ध रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : हम इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री के नवीनतम वक्तव्य का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने भारत के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की इच्छा प्रकट की है। हमारी सदैव ही यह नीति रही है कि भारत और इन्डोनेशिया के लोगों के बीच मित्रता और समझबूझ है, और हमें आशा है कि इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री ने जो संकेत दिया है उससे सरकारी स्तर भी दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार होगा।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने हाल ही में लाओस का दौरा किया और कुछ देशों में इसका यह अर्थ निकाला गया था कि वियतनाम में युद्धविराम कराने और बम्बारी को रोकने के लिये वह उत्तर वियतनाम और अन्य देशों में गया था? यदि हां, तो इस अधिकारी के दौरे का क्या परिणाम निकला?

श्री दिनेश सिंह : वैदेशिक कार्य मंत्रालय के कर्मचारी उन देशों में, जहां अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग कार्य कर रहा है, आयोग के प्रशासनिक पहलुओं की जांच करने के लिए तथा आवश्यक मितव्ययता करने के लिए गये थे। जैसाकि सभा को विदित है, एक सदस्य, चीन ने कुछ समय से देय राशि का भुगतान नहीं किया है और हम इस बात के इच्छुक है कि व्यय में यथासम्भव कटौती की जाये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय वैदेशिक-कार्य मंत्री ने जिस वक्तव्य का उल्लेख किया है, उसमें यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच कुछ गलत फहमियां हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : सरकारों के बीच।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें मंत्री स्तर पर एक बैठक शीघ्र होने की आशा है । उसी वक्तव्य में यह कहा गया था । उन्होंने किन गलतफहमियों का उल्लेख किया है और मंत्री स्तर की बैठक के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं मंत्री स्तर की बैठक का स्वागत करता हूं । जिस गलतफहमी के बारे में मैं उल्लेख करना चाहता हूं और जिसके बारे में सभा को पूरी जानकारी है, वह भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय इंडोनेशियाई सरकार तथा विदेश मंत्री डा० सुबांदरियों का रवैया है । उनके इस प्रकार पक्षपातपूर्ण रवैये से हमें वास्तव में हैरानी हुई ।

श्री हिम्मत सिंहजी : क्या राष्ट्रवादी चीन (ताइवान) सरकार ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से हमारे तथा अपने देश के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कोई प्रयत्न किये हैं ? यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री दिनेश सिंह : हम ताइवान के पृथक अस्तित्व को मान्यता नहीं देते । वह चीन का अंग है । इसलिये हमने ऐसे कोई सम्बन्ध स्थापित करने के विचार को नहीं माना है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : दक्षिण पूर्वी एशिया के इन देशों में से कुछ में जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और मैंने देखा है कि उनकी भारत के प्रति मित्रता की भावना बहुत अधिक है और साथ ही वे भारत के साथ निकट आर्थिकसम्बन्ध चाहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या करना चाहती है ?

श्री दिनेश सिंह : हम दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ करने का स्वागत करेंगे । वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में एक विभाग इन मामलों की ओर देखने के लिए और हम इसे सुदृढ करने के प्रत्येक प्रयत्न करेंगे ।

श्री स्वैल : पाकिस्तान के साथ हमारे पिछले संघर्ष में इण्डोनेशिया के विरोधी रवैये तथा मलयेशिया के मैत्रीपूर्ण रवैये को देखते हुए क्या सरकार इण्डोनेशिया के साथ अपने सम्बन्ध ठीक करने के लिए अग्रेत कार्यवाही करने से पहले मलयेशिया सरकार के साथ विचार विमर्श करेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारा मलयेशिया सरकार के साथ सम्पर्क है और उनके साथ विचारों की पूर्ण समानता है । हमारा मलयेशिया के प्रतिनिधियों से सम्पर्क है और मुझे विश्वास है कि भारत तथा इण्डोनेशिया के बीच सम्बन्ध ठीक होने इण्डोनेशिया तथा मलयेशिया के सम्बन्धों के हित में भी है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि सरकार ने उन क्षेत्रों में दूतावास सुदृढ करने के लिये कुछ उपाय किये है । क्या मैं जान सकता हूं कि हाल ही में किय गये उपाय क्या हैं ?

श्री रंगा : कोई नहीं ।

श्री दिनेश सिंह : इन उपायों के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि हमने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में नया विभाग स्थापित किया है । वह उन देशों के साथ निकट आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मैं इसके आर्थिक पहलू के बारे में नहीं जानना चाहता । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों में दूतावासों को सुदृढ करने के लिए क्या व्यावहारिक उपाय किये गये हैं क्योंकि आपने स्वयं कहा था कि हमने कुछ उपाय किये है । वे उपाय क्या हैं ?

श्री दिनेश सिंह : दूतावासों को सुदृढ़ करने के प्रश्न की व्याख्या करना बहुत कठिन है। हमें देखना होता है कि किस प्रकार उनका अधिक अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। यह उनके पुनर्गठन का मामला है परन्तु मैंने यह नहीं कहा है कि हम कोई मूल परिवर्तन कर रहे हैं। हम इस मामले पर लगातार पुनर्विचार करते रहते हैं ताकि यह देखें कि उनका अधिक अच्छा प्रयोग कैसे किया जा सकता है।

मंत्रियों की आस्तियों के विवरण

*1544. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने अपनी आस्तियों के विवरण दे दिये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किन किन व्यक्तियों ने अभी तक विवरण नहीं दिये हैं; और

(ग) उनके द्वारा कब विवरण दिये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Shri Yashpal Singh : It was stated last time that two ministers have accounts in foreign banks. Whether any further list has been received showing any other minister having accounts in foreign banks.

डा० सरोजिनी महिषी : जी नहीं।

Shri Yashpal Singh : Whether the Government have made enquiries regarding persons who have deposits in the name of their uncles, wives or nephews ?

डा० सरोजिनी महिषी : सभी मंत्रियों की सम्पत्तियों, अस्तियों तथा दायित्वों के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया था और गृह-कार्य मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर 31 मार्च, 1965 को दिया था।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर माननीय संसदीय सचिव ने 'हां' में दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणों में चल तथा अचल सम्पत्ति दोनों शामिल हैं। यदि हां, तो क्या सदस्यों तथा समुचे देश की जानकारी के लिए विवरण की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

डा० सरोजिनी महिषी : आस्तियों तथा दायित्वों के विवरण का अर्थ यह है कि उसमें चल तथा अचल अस्तियां भी शामिल हों, यह ठीक है कि विवरण दिये गये थें परन्तु क्योंकि ब्यौरे गोपनीय हैं, इसलिए वे केवल प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किये जाते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : ब्यौरे सभा-पटल पर नहीं रखे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पटल पर नहीं रखा जा सकता।

Shri Buta Singh : In regard to the statements regarding the property of Central ministers submitted to the Prime Minister, I would like to know the name of the richest and the poorest amongst the ministers. Whether there is any minister who is in debt.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। ब्यौरा नहीं पूछा जा सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रधान मंत्री जानती है कि संविधान सभा में जब यह मामला पहली बार उठाया गया था, डा० अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान विधेयक प्रस्तुत किया था, न केवल इस बात के लिए सहमत हो गये कि ऐसे विवरण कानूनी रुप से अनिवार्य बनाये जायें बल्कि उन्होंने यहां तक सुझाव दिया की विवरण न देने अथवा झुठे विवरण देने पर दंड के उपबन्ध से ठीक विवरण सुनिश्चित हो सकेंगे। यदि हां, तो क्या सरकार का संसद के समक्ष विवरण प्रस्तुत करने के मामले में पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है। यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ? **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मंत्रियों के लिए आचार संहिता में.....

श्री हरि विष्णु कामत : संविधान सभा में **(अन्तर्बाधा)**।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : प्रश्न उस संहिता के सम्बन्ध में है जो बनाई गई है और जिसका पालन किया जा रहा है। उसके अन्तर्गत मंत्री प्रधान मंत्री को अपनी आस्तियों तथा दायित्वों और अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के व्यापारिक हितों के बारे में जानकारी देते हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार ने डा० अम्बेडकर द्वारा बनाये गये सिद्धांत की विशेष रुप से व्याख्या कर तथा उसे आचार संहिता का नाम देकर रद्द कर दिया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस मामले पर विचार किया गया था और एक संहिता तैयार की गई थी। हम उस संहिता के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

Shri Kashi Ram Gupta : May I know the number of ministers who are connected with industry and trade ?

Shri Shiv Narain : Whether the minister is prepared to lay a statement on the table of the House of persons, whether ministers or not, having accounts, in foreign countries ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विदेशी बैंकों में लेखे रखने वाले लोगों के नाम बताने में लोक हित के विरुद्ध क्या बात है ? हम राशि नहीं जानना चाहते।

Shri Shiv Narain : My question is simple. Shrimati Renu Chakravartty should understand it.

Mr. Speaker : Are the Government prepared to lay on the table the names of those persons who have accounts in foreign banks and which are in the knowledge of the Government ?

Shri Shiv Narain : The accounts of the leaders of each political party may be laid before the House.

Shri Hari Vishnu Kamath : We agree to it.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरा ऐसा विचार नहीं है।

Shri Madhu Limaye : You have always been saying that there should be one of the reasons for not replying any question i.e. it is not in public interest or the results achieved will not be commensurate with the expenditure and time involved or the information is not available. The Prime Minister has not stated any of those reasons. She has not stated the objections in giving information regarding property of ministers and members of their families which means the relatives upto one degree.

डा० सरोजिनी महिषी : आचार संहितास्वीकार की गई थी और उसके उपबन्धों के अनुसार कार्य किया जा रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या हमारा संहिता से कोई सम्बन्ध है। हमने उस पर कभी विचार नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर विचार करने का समय दिया जाये कि क्या सरकार इन तीनो के कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से जानकारी देने से इनकार कर सकती है अथवा नहीं

Shri Madhu Limaye : She has not stated any of those reasons.

श्री रंगा : इस तथ्य को देखते हुए कि तथा-कथित आचार संहिता की रचना केवल शासक दल के नेताओं द्वारा अथवा सरकार के नेताओं द्वारा की जानी थी, क्या वह समय नहीं आया है जब कि उसकी रचना करने से पहले सरकार को विरोधी नेताओं से परामर्श करने के लिए इच्छुक होना चाहिये, नहीं तो यह आचार संहिता एक-पक्षीय हो जाएगी जोकि पूरे देश के लिए स्वीकार्य नहीं है ? हम सबको एक साथ इसके लिए मस्तिष्क लगाना है। **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : सदस्य सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार अभी विरोधी दलों के नेताओं से परामर्श करने के लिए तत्पर है।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : जी नहीं ।

ताशकन्द समझौते की क्रियान्विति

+

***1545. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राजदेव सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :
श्री बाल कृष्ण सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री फिरोडिया :
श्री लिंग रेड्डी:

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ताशकन्द समझौते की क्रियान्विति में आज तक कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सैनिक वापसी और लड़ाई बंदी, सामान्य राजनयिक संबंधों की पुन: स्थापना, युद्ध-बंदियों की अदला-बदली और डाक तथा दूर संचार की कड़ियों को सीमित रूप से पुन: जोड़ने के अतिरिक्त, ताशकंद घोषणा की अन्य व्यवस्थाओं पर अमल करने में प्रगति रुकी हुई है क्योंकि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच आगे से संबंधों को सामान्य करने में रुचि नहीं रखता ।

2—71 L.S./66

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह क्रियान्विति के सम्बन्ध में बहुत प्रसन्न नहीं हैं और वह ताशकन्द भावना को पुनः लाने की ओर बहुत महत्व दे रही हैं। उन्होंने कहा था कि वह कुछ सक्रिय कदम उठायेंगी। क्या मैं जान सकता हूं कि इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वैदेशिक-कार्य मंत्री की पाकिस्तान के रुख में परिवर्तन के सम्बन्ध में उनकी क्या भावना है ? और बजाये ताशकंद समझौते और वार्ता के सम्बन्ध में बात करने वह झगड़े की बात कर रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है कि पाकिस्तानी नेताओं ने कहा था कि वे ताशकन्द घोषणा को क्रियान्वित कर रहे हैं। तत्पश्चात्, उन्होंने अपना रवैया बदल दिया और हमने उनके रवैये को बिल्कुल विपरीत पाया। इस सम्बन्ध में मैंने स्थिति का मूल्यांकन किया है। कई लोगों का तो यह विचार है कि पाकिस्तान की आन्तरिक स्थिति ऐसी है कि वह भारत-घृणा आन्दोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरे चीन और पाकिस्तान की मित्रता की घनिष्टता भी एक कारण है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के इस वक्तव्य के पश्चात् कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध लड़ता रहेगा, स्थिति और भी खराब हो गई है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह अच्छा होता यदि उसने उन देशों को परिणाम देखा होता जिन्होंने यह रवैया अपनाया था। हम अब भी यह आशा करते हैं कि ताशकंद घोषणा जिसको पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है, भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों का पथप्रदर्शन करती रहेगी।

श्री दी० चं० शर्मा : जब भारत के स्वर्गीय प्रधान मंत्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति आय्यूब खां से ताशकंद में मिले थे, तो यह निर्णय किया गया था कि हम उनके साथ युद्ध-वर्जन समझौता नहीं कर सकते, परन्तु यह भी निर्णय किया गया था भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े बल-प्रयोग द्वारा नहीं सुलझाये जायेंगे। इसको दृष्टिगत रखते हुए क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह कहां तक ताशकंद भावना के अनुसार है कि वह सियालकोट के निकट एक और इच्छोगिल नहर बना रहे हैं और भारत-पाकिस्तान सीमा पर मुजाहिदों और रज़ाकारों को बसा रहे हैं।

वे अब भी जम्मू और काश्मीर में घुसपैठिये भेजने का यत्न कर रहे हैं यदि बड़े पैमाने पर नहीं तो कम से कम पर्याप्त संख्या में।

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा माननीय सदस्य ने कहा है ऐसी कोई भी कार्यवाही ताशकंद घोषणा के अनुकूल नहीं होगी और इस प्रकार की जाने वाली कार्यवाहियां ताशकंद घोषणा के मुख्य उद्देश्य से संगत नही है जिसमें तनाव कम करने तथा ऐसे वातावरण उत्पन्न करने को कहा गया है। ताकि दोनों देशों के मतभेदों को शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जा सके। माननीय सदस्य के प्रश्न के तीसरे भाग के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि उनके चाहे जो भी इरादे हों वे जम्मू और काश्मीर में घुसपैठिये भेजने में सफल नहीं हुए हैं।

श्री विश्वनाथ राय : पाकिस्तान द्वारा ताशकंद घोषणा के विरुद्ध दिये गये वक्तव्यों तथा की गई कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार को रुस सरकार की किसी प्रतिक्रिया का पता लगा है यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रियां है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा मैंने पहले ही सभा को बताया है हम रुस सरकार तथा दूसरे बद्धहित मित्रों को ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत पाकिस्तान के दायित्व के सम्बन्ध में उसके रवैये के बारे में जानकारी देते रहे हैं और रुस सरकार जब यह देखती है कि ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत पाकिस्तान अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहा है तो उन्हें प्रसन्नता नहीं होती है।

श्री लिंग रेड्डी : क्या ताशकंद घोषणा के उल्लंघन के बारे में सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचना दी गई है और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि ताशकंद घोषणा पर सुरक्षा परिषद में अथवा इसके कार्य क्षेत्र के ढांचे के अन्तर्गत हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। यह हमारे लिये आवश्यक नहीं है कि हम पाकिस्तान द्वारा ताशकंद घोषणा की शर्तों का पालन न करने के बारे में सुरक्षा परिषद में शिकायत करें।

श्री त्यागी : सरकार इस बात को मानेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में केवल शक्तिशाली स्थिति से ही लाभ होता है। इस तथ्य के बावजूद कि पाकिस्तान चीन के साथ मित्रता कर रहा है उसने अपने पश्चिमी मित्रों को भी नहीं छोड़ा है। इस तथ्य को देखते हुए क्या सरकार युद्ध-विराम रेखा के दूसरी ओर रहने वाले भारतीय नागरिकों के बारे में सतर्क है ? अभी पिछले दिन माननीय मंत्री ने कहा था कि काश्मीर का दूसरा भाग भी भारत का अभिन्न अंग है। क्या यह सच है कि भारत द्वारा हाजीपीर खाली किये जाने के पश्चात पाकिस्तान हमारे उस क्षेत्र से 20 ग्रामों को खाली कराके वहां पर प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्य कर रहा है। और यदि हां, तो क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को कोई विरोध पत्र नहीं भेजा है अथवा सुरक्षा परिषद को कि पाकिस्तान उस क्षेत्र पर प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्य कर रहा है जो क्षेत्र हमने इस बात पर खाली किया था कि पाकिस्तान आक्रमक कार्यवाही नहीं करेगा। स्यालकोट मोर्चे की भी यही स्थिति है। मुझे आश्चर्य है यदि सरकार इस बारे में पूर्णतया सतर्क है....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत लम्बा हो गया है।

श्री स्वर्ण सिंह : वास्तव में युद्ध-विराम रेखा के सम्बन्ध में जिन शर्तों का दोनों देशों ने पालन करना है वे युद्ध-विराम समझौते में दी गई है और भारत तथा पाकिस्तान दोनों ने संयुक्त राष्ट्र में उनको स्वीकार किया है। इन शर्तों के अथवा युद्ध-विराम समझौते के उल्लंघन को सुरक्षा परिषद तथा प्रेक्षकों के ध्यान में लाया जाता है। यह बिल्कुल सच है कि जम्मू तथा काश्मीर में, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, जो कुछ हो रहा है उसका पाकिस्तान बहुत प्रचार करता है। वे इस बात को बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के लोगों की दशा बहुत अधिक खराब है और जम्मू और काश्मीर के लोगों के लिये इस प्रकार की चीजों की मांग करते हुए यह भी भूल जाते हैं कि वहां पर लोकतन्त्रात्मक अधिकार प्राप्त है और वहां संवैधानिक सरकार कार्य कर रही है। पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर के लोगों की दशा की तुलना पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के लोगों के साथ बिल्कुल नहीं करता है।

श्री त्यागी : मेरा प्रश्न पाकिस्तान द्वारा बनाये जाने वाले प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्यों के बारे में था जिनके कारण हमारे लिये अपना क्षेत्र वापस लेना असम्भव हो जायेगा। क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा उनको कोई जानकारी प्राप्त हुई है कि उस ओर ये निर्माण कार्य हो रहे हैं ?

श्री रंगा : क्या कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं ने उत्तर देते समय यह बताने का यत्न किया था कि युद्ध-विराम समझौते पर हस्ताक्षर करते समय दोनों देशों की प्रतिरक्षा क्षमता के बारे में भी समझौते में बताया गया था .....

अन्तर्बाधा

श्री त्यागी : उसके बारे में सबको मालूम है।

श्री स्वर्ण सिंह: हमें सूचना मिली है कि पाकिस्तान अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है।

श्री त्यागी : ऐसी स्थिति में पहले ही आक्रमण क्यों नहीं कर दिया जाता ?

श्री स्वर्ण सिंह : युद्ध-विराम समझौते के किसी भी उल्लंघन के बारे में उचित प्राधिकार को बताया जायेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : महोदय हम सतथ्य जानकारी चाहते हैं ।

श्री वारियर : इसके बावजूद कि पाकिस्तान तथा चीन के बढ़ते हुए सम्बन्धों ने पाकिस्तान को ताशकंद घोषणा का उल्लंघन करने के लिये प्रोत्साहित किया है क्या अमरीका के रवैये से भी पाकिस्तान को प्रोत्साहन मिला है ? क्या सरकार ने इस बारे में कुछ अनुमान लगाया है ?

श्री कपूर सिंह : नहीं, नहीं ।

श्री स्वर्ण सिंह : पिछली बार जब चीन के नेताओं ने पाकिस्तान की यात्रा की थी तो उन्होंने बहुत ही भडकाने वाले वक्तव्य दिये थे इनसे तथा जारी की गई संयुक्त विज्ञाप्तियों से ही चीन के रवैये का पता लगता है। मेरे लिये अमरीका के नेताओं द्वारा ऐसे किसी भी वक्तव्य के बारे में बताना कठिन है जिस में उन्होने पाकिस्तान को ताशकंद घोषणा से मुकर हो जाने के लिये प्रोत्साहित किया हो।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान ताशकंद घोषणा के विरुद्ध हमारी सीमाओं पर सैनिक जमा कर रहा है और यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सैनिकों की उपस्थिति के बारे में भी कुछ प्रबन्ध किये गये हैं जिसके बारे में प्रतिरक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया है और मुझे विश्वास है कि उस प्रबन्ध अथवा समझौते के किसी भी उल्लंघन के बारे में प्रतिरक्षा मंत्रालय पाकिस्तान के साथ प्रश्न उठायेगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह महिडा : श्री त्यागी के प्रश्न के उत्तर में वैदेशिक कार्यमंत्री ने बताया है कि सरकार उचित समय पर उचित प्राधिकार तक पहुंच करेगी। क्या मै उस प्राधिकार के बारे में जान सकता हुं कि वह प्राधिकार कौन सा है।

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा मैने पहले बताया है कि युद्ध-विराम समझौता हुआ है और उसके उल्लंघनों को संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षको तथा सुरक्षा परिषद के ध्यान में लाया जाता है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : संयुक्त राष्ट्र काश्मीर की समस्या को हल करने के लिये कोई सहायता नहीं कर सका है। पाकिस्तान काश्मीर को झगड़े का क्षेत्र कहता है और हम इसको अस्विकार करते हैं। ताशकंद घोषणा में सभी झगड़ो को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिये कहा गया है। क्या सरकार काश्मीर समस्या को सुलझाने के बारे में पुनः विचार कर रही है। वैदेशिक कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा है उससे ऐसा मालूम होता है कि सरकार काश्मीर के बारे में समझौते के लिये पुनः संयुक्त राष्ट्र में जाना चाहती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य ने जो कहा है उन्होंने वह भावना कहा से ले ली है। जैसा मैने पहले बताया है कि ताशकंद घोषणा के अनुसार दोनों देश अपने मतभेदों को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिये सहमत हो गये हैं। हमने ऐसा कभी भी जाहिर नहीं किया है कि हम पाकिस्तान द्वारा उठाये गये किसी भी मामले पर चर्चा करने के लिये तैयार नहीं है और हम सदा सभी झगड़े तथा मतभेदों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिये यत्न करते रहेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं दिया गया है कि काश्मीर मामले पर पुनर्विचार नहीं हो रहा है। यदि आप ऐसा नहीं कहते तो बहुत कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्री मुकर्जी के प्रश्न से मैं यह समझा था कि वह स्थिति के बारे में पुनर्विचार के बारे में कह रहे हैं न कि काश्मीर के मूल प्रश्न के बारे में। काश्मीर के मूल प्रश्न के बारे में मैंने कई बार अपनी स्थिति को दोहराया है कि जम्मू और काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों से हम नहीं समझ सके कि सरकार की क्या स्थिति है। देश को इस समय विदेश की आवश्यकता है। एक निश्चित स्थिति उत्पन्न हो गई है। उस बारे में सरकार की क्या स्थिति है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 5,000 मील लम्बी सीमा है। क्या सरकार की नीति बदला लेने को लिये है अथवा मित्रता बताने की इच्छा प्रकट करने की और यदि मित्रता बताने की है तो क्या हमें दोनों सरकार के बीच होने वाली बातचीत पर निर्भर रहना है अथवा पाकिस्तान के प्रति सरकार की नीति बताने के लिये प्रचार जैसे तरीको को अपनाया जायेगा क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को भी हमारी नीति के बारे में जानकारी होना उतना ही आवश्यक है जितना की विश्व को। माननीय मंत्री बतायें कि सरकार की क्या नीति है और देश के लिये क्या निदेश है?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय महिला सदस्य ने अपने प्रश्न में जो सुझाव दिया है और जो विश्लेषण किया है उससे मैं मुख्य रूप से सहमत हुं। दोनों चीजे परस्पर विरोधी नहीं है। हम मतभेदों को सुलझाने के लिये सरकारी स्तर पर प्रयत्न जारी रखेंगे। हमारा रवैया पाकिस्तान के लोगों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना है और इसके लिये हम गैर-सरकारी यत्नों का स्वागत करेंगे। मैं यह चेतावनी भी दे देना चाहता हूं कि इस समय ऐसा करना कठिन है क्योंकि पाकिस्तान के नेता तनाव को कम करने की बजाये मोर्चाबन्दी में अधिक विश्वास रखते हैं। उसी समय हमें तनाव को कम करने के लिय अपने प्रयत्न जारी रखने है और कि हमें तनाव को बढ़ाना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय महिला सदस्य ने जो कुछ कहा है मंत्री महोदय उससे आमतौर पर सहमत हो गये हैं। अब उनको संतुष्ट हो जाना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने अभी, अभी बताया है कि पाकिस्तान द्वारा ताशकंद घोषणा के उल्लंघनों की ओर रूस सरकार का ध्यान दिलाया गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने रुस के पास शिकायत की है कि भारत ही ताशकंद घोषणा का उल्लंघन कर रहा है और न कि पाकिस्तान। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि रुस का क्या रवैया है क्योंकि उनके पाकिस्तान के साथ आर्थिक सम्बन्ध बढ रहे है?

श्री स्वर्ण सिंह : उनको शिकायत करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।....

श्री हरि विष्णु कामत : उनको सूचना देना।

श्री स्वर्ण सिंह : एक मित्र राष्ट्र के नाते हम सभी घटनाओं के बारे में उनको सूचना देते हैं.....

श्री हम बरुआ : क्या आप को इस बात का पता है कि पाकिस्तान ने शिकायत की है।

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान द्वारा की गई किसी भी शिकायत के बारे में हमें पता नहीं है।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान ने शिकायतें की है?

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक आरोप लगाने का सम्बन्ध है कोई भी आरोप लगाया जा सकता है चाहे वह ठीक हो या गलत। यदि गलत आधारों पर कोई आरोप लगाया जाता है तो माननीय सदस्य को उसे मुख्यरूप देने की बजाय उसकी उपक्षा करनी चाहिये।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह ऐसी बातों का सुझाव न दे जिनका कोई औचित्य नहीं है। ऐसी बातों को सभा में उठाना उचित नहीं है।

श्री हेम बरुआ : मैं व्यक्तिगत रूप से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय यह भी नहीं जानते कि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध रुस के पास शिकायत की है। जब माननीय मंत्री ने रूस को पाकिस्तान में प्रणिधि भेजने का सुझाव दिया था तो पाकिस्तान ने रुस को लिखा था कि किसी प्रणिधि के भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत ताशकंद घोषणा का उल्लंघन कर रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मि० भुट्टो के कथित वक्तव्य की ओर जिसमें चीन के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध लम्बी अवधि के लिये मोर्चाबन्दी के बारे में तथा हाजीपीर से 20 ग्रामों को खाली कराकर पाकिस्तान जो भारी जमाव कर रहा है उसकी ओर ब्रिटेन का जिसने उस समय हमें आक्रमणवादी कहा था, तथा अमरीका का जिसने पाकिस्तान को घातक हथियार देने का निर्णय लिया है का ध्यान दिलाया है और यदि हां तो उस पर ब्रिटेन तथा अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक पाकिस्तान को हथियार देने तथा हथियार सप्लाई करने सम्बन्धी समझौते का सम्बन्ध है मेरा विचार नहीं की किसी पश्चिमी राष्ट्र ने पाकिस्तान को घातक हथियार देने का आश्वासन दिया है। अपने सम्बन्धों के बारे में हम ब्रिटेन, अमरीका, रूस और फ्रांस को सूचित किये हुए हैं और हम उसको लगातार इस बारे में जानकारी देते रहेंगे परन्तु इतनी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पता नहीं लग सकता। ऐसे मामलों में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये समय लगता है तथा वे आमतौर पर दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहते है। यह सब अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का एक अंग है।

चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना

*1546 **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के बारे में सरकार के रवैये में इस बीच किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या अन्य महत्वपूर्ण देशों के रवैये में भी कोई परिवर्तन हुआ है जो चीन को इस विश्वसंघ का सदस्य बनाने का विरोध करते आ रहे हैं; और

(घ) यदि हा, तो रवैये मे किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : प्रौरेक्ट 1964 में चीन लोक गणराज्य के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया क्योंकि महासभा का 19 वें सत्र अनुच्छद 19 के विवाद के कारण अपना बहुतसा सामान्य कार्य किए बिना ही समाप्त हो गया। महासभा के 20 वें सत्र में जिस तरह मतदान किया गया, उसकी 1963 में 18 वें सत्र में किये गए मतदान के तरीके से अगर तुलना की जाए तो पता चलता है कि कुछ देशों के रवैयें में परिवर्तन हुआ है जिन्होंने 1963 में चीन के प्रवेश का विरोध किया था। यह परिवर्तन एक विवरण में दिखाया गया है जो सदन की मेज़ पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6256/66।]**

श्री श्रीनारायण दास : क्या सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि जब भी चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन जायेगा वह देश सुरक्षा परिषद का भी सदस्य चुना जायेगा और यदि हां तो क्या उस स्थिति की जटिलताओं का अध्ययन किया गया है और क्या चीन की सुरक्षा परीषद में उपस्थिति उन देशों के लिये जिनके चीन के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं अलाभ-प्रद नहीं होगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब चीन लोक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व मिलेगा तब उसको सुरक्षा परिषद में भी स्थान प्राप्त होगा। इसकी जटिलताओं का अध्ययन किया गया है और जसा माननीय सदस्यों ने कहा हो सकता है कि कुछ देशों के हितो में इस पर प्रभाव पड़े। यदि चीन लोक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व का हक है तो उसका सुरक्षा परिषद में भी स्थान मिलेगा परन्तु वहां पर अन्य शक्तियां भी हैं इसलिये वहां पर चीन को उसी प्रकार कार्य करना होगा जिस प्रकार वहां पर हो रहा है। इस बात को सभी तरीकों से देखना होगा। कुछ लाभ भी हो सकते है और कुछ अलाभ भी और अस्थायीरूप से कुछ कठिनाई भी हो सकती है। परन्तु ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब वह संयुक्त राष्ट्र दूसरे देशों के विचार सुनेंगे और अपने विचार रखेंगे तो उनका व्यवहार अच्छा हो जायेगा।

श्री श्रीनारायण दास : क्या भारत सरकार चीन के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश का समर्थन करते समय इन शर्तों का भी समर्थन करती है जो चीन ने रखी है जैसा कि फार्मोसा को वहां की सदस्यता से हटाना और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन करना ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। वास्तव में मैंने जैनरल असैम्बली में अपना वक्तव्य देते समय यह स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि चीन के वैदेशिक कार्य मंत्री ने कुछ असम्भव शर्तें रखी हैं जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता और कि उन को वर्तमान चार्टर को स्वीकार करना होगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मुख्य प्रश्न के भाग (ग) के संदर्भ में मैं यह जानना चाहती हूं कि पिछले कुछ सप्ताहों से अथवा महिनों से अमरीकी सरकार के रवैयो में कोई परिवर्तन आया है कि चीन गणराज्य की सरकार को मान्यता दी जाये विशेषकर उन सुझावों के कारण जो श्री डीन रस्क और रोबर्ट कैनेडी ने दिये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे कुछ पता नही है। मैं इन बातों में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से पथप्रदर्शन नहीं प्राप्त करता हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम जो विरोधी दल के हैं समाचार पत्र पढ़ते हैं। यह सरकार का कार्य है कि वह हमें बतायें कि वास्तविकता क्या है तथा उनके दूतावास की क्या खबर है। मंत्री महोदय इस मामल को इतनी सरलता से न टालें।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इसे पूरी गंभीरता से कह रहा हूं कि मुझे तो चीन सरकार के प्रति अमरीकी सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता।

Shri M. L. Varma : China was our friend previously and is now our enemy. Should there be no change in the style of name by which we call China ?

Shri Swaran Singh : The style of name does not make much difference. If we are in favour of seating Peoples Republic of China in the U. N., we will continue to address the China in the same way ?

श्री रंगा : साम्यवादी चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सुरक्षा परिषद में पहुंचने के क्या परिणाम होंगे, हम इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में परिवर्तन के बारे में दूसरे राष्ट्रों से बात की है जिस से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो और जिससे भारत तथा अफ्रीका और एशिया के अन्य राष्ट्र भी सुरक्षा परिषद के सदस्य बन सके ?

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में स्थायी सदस्यों की संख्या में परिवर्तन करने का विषय हमने नहीं उठाया है।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार ने इस उदार प्रयास पर ध्यान दिया है जो वहां कैनेडी आदियों ने प्रारंभ किया है कि चीन को नियन्त्रण में तो रखो परन्तु अलग मत करो। परन्तु आज के समाचार पत्रों से तो अमरीका के उप-राष्ट्रपति हम्फरी ने भी इस बात का समर्थन किया है क्या सरकार अनुभव करती है कि यह हमारे ही सिद्धांतो को मान्यता दी जा रही है।

श्री स्वर्ण सिंह: हम तो चीन गणराज्य के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश के हक में हैं। यदि दूसरे राष्ट्र भी इस बात के लिये सहमत हो गये हैं तो हमें इस बात से प्रसन्नता होगी कि वह भी अपनी नीति बदल रहे हैं।

Rejectin of Application bearing signature in Hindi

S.N.Q.*27. Dr. Ram Manohar Lohia : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Service Commission, Calcutta rejected an application for the post of Legal Assistant on the 5th February, 1966 on the ground that the applicant had not signed the application in English ;

(b) whether there is any administrative rule under which the signatures in Hindi, which has been recognised as official language in the Constitution or in any other Indian Language are not to be considered as authentic ; and

(c) whether Government would clarify their policy in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, Sir;

(b) No, Sir, unless specifically stated to the contrary ; and

(c) Extant instructions are to the effect that candidates must fill application forms in English in their own handwriting. It follows, therefore, that the candidates must also sign in English ; otherwise there will be a doubt whether the candidate has filled the form himself. However, in view of the importance of propogation of Hindi as the official language of the Union, it is proposed to accept signature in Hindi on the application form filled in English provided the candidate writes his name in English in his own handwriting below the signature in Hindi and also provided that all subsequent official documents after joining service are signed by him in Hindi with his name written in English below.

Dr. Ram Manohar Lohia : Whether the hon. minister has considered the fact thereby treating both English and Hindi on equal footing the results is that hatred for Hindi is developing and will the minister would give instructions that regional languages will take the place of English there *e.g.* Bengali in Calcutta ?

Dr. Ram Subhag Singh : The instructions given now are that every Railway Public Service Commission should use forms both in English and Hindi. Those who obtain Hindi forms should sign in Hindi and those who obtain English forms should sign in English.

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whether this Mr. Saxena has got job or not. If so, how many people like him have got job ?

Dr. Ram Subhag Singh : Because the English form was filled in English and signed in Hindi, the Railway Public Service Commission rejected him. But he can be considered again if he so wants.

Shri A. P. Sharma : Will the hon. minister issue instructions that there should be signature only in one language in one application—either in English or in Hindi ?

Dr. Ram Subhag Singh : We believe tnat the signature should be in the language of the form. This was the first case of its kind and hence we decided that the English form could be signed in Hindi also provided the candidate writes English name also below his signature in Hindi.

श्री कन्डप्पन : यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार केवल हिन्दी के बारे में सोच रही है। क्या यह संविधान की भावना के विरुद्ध होगा यदि आवेदन पत्रों पर तामिल अथवा किसी अन्य भाषामें हस्ताक्षर किये जायें?

डा० राम सुभग सिंह: अभी तो रेलवे सेवा आयोग के सामने केवल हिन्दी और अंग्रेजी का प्रश्न है।

Shri Sheo Narain : As Government given instructions to the Railway Public Service Commission to issue forms both in English as well as in Hindi and the man who has signed in Hindi will also be considered for a job ?

Dr. Ram Subhag Singh : Yes sir, we agree to it.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि आवेदन पत्र को रद्द क्यों किया गया। प्रत्याशी को बुलाकर यदि उसने गलती की थी तो अंग्रेजी में हस्ताक्षर करवा लते। क्या यह छोटी सी गलती के लिये बहुत कड़ा दंड नहीं है?

Dr. Ram Subhag Singh : The wording of the form was :

"All entries must be made in tne candidates' own handwriting, either in English only or in Hindi only, and not in both. No column should be left blank".

It was due to this that the form was rejected.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : कुछ समय पूर्व सरकार ने यह घोषणा की थी कि परीक्षायें भारत की सभी राष्ट्रीय भाषाओं में हों। क्या रलवे वालों ने भी यह बात सोची है की आवेदन पत्र देश की सब भाषाओं में मिलने चाहिये?

डा० राम सुभग सिंह : यह तो बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले इसे गृह-कार्य मंत्रालय वाले मान ले और फिर रेलवे में भी यह आ जायगा।

श्री त्यागी : क्या सरकार लोक सेवा आयोग को यह निदश देगी कि हस्ताक्षर तो केवल एक ही भाषा में हो नाम चाहे किसी भाषा में लिखे हों। इसका अर्थ यह होगा कि जितनी फाईलों पर मैंने हस्ताक्षर किये वह सब गैर-कानूनी थे?

डा० रामसुभग सिंह : उस समय आपने एक मंत्री के नाते हस्ताक्षर किये न कि एक प्रत्याशी के रूप में आवेदन पत्र दिया।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : जैसा त्यागी जी ने कहा हस्ताक्षर तो केवल एक भाषा में होने चाहिये अन्यथा इसका अर्थ तो हस्ताक्षर का अनुवाद करना होगा और उस पर हस्ताक्षर बदलने के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है। क्या सरकार प्रविष्टि (एनटरी) शब्द में हस्ताक्षर को भी शामिल करती है ?

श्री हरि विष्णु कामत : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति किसी भाषा में हस्ताक्षर करे ? मेरे विचार से इस मामले का संबंध लिखि से है नकि भाषा से ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत ने इसे ठीक समझा है। उस प्रश्न को उठाने की आवश्यकता ही नहीं थी।

डा० राम सुभग सिंह : यहां तो प्रश्न दो प्रकार के फार्मों के बारे में था जिसके बारे में अब स्पष्ट नियम तथा विनियम बना दिये गये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जैट विमानों का निर्माण

***1547. श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 21 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 477 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जैट विमानों के निर्माण के सम्बन्ध में अक्तूबर, 1965 में संयुक्त अरब गणराज्य जानेवाले हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के तकनीकी अधिकारियों के दल द्वारा दिय गये विस्तृत प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख) : एच० ए० एल० से तकनीकी अफसरों के दल की रिपोर्ट का, जो कि अक्तूबर, 1965 में काहिरा गए थ, निरीक्षण किया जा चुका है। एक एच० एफ०-24 प्राकल्प यू० ए० आर० को काहिरा में विकासित इंजन सहित उड़ान परीक्षणों के लिये भजा गया है। उड़ान परीक्षणों का यू० ए० आर० अधिकरणों के सलाह मशविरे से और आग अध्ययन किया जाएगा ।

बर्मा के साथ करार

***1548. श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 28 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 257 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा सरकार के साथ भारतीयों की उस चल तथा अचल संपत्ति के संबंध में, जिसे व लोग भारत आते समय वहां छोड़ आय थ, इस बीच कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। इस मामले पर अभी बातचीत चल रही है।

चीन विरोधी कार्यवाहियों के बारे में चीन का विरोध पत्र

*1549. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन की सरकार ने भारत सरकार को विरोध पत्र भेजा है जिसमे यह लिखा है कि भारत में पीकिंग विरोधी कार्यवाहियों में एक यह भी है कि भारत सरकार के० एम० टी० चीन के प्रसीडन्ट चियांग काई शेक के समर्थकों के साथ सांठ-गांठ कर रही है तथा उनका समर्थन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इन आरोपों को निराधार और अनावश्यक कह कर अस्वीकार कर दिया है।

भारतीय साम्यवादियों की गिरफ्तारी के बारे में प्रवदा में लेख

*1550. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 मार्च, 1966 की प्रवदा में, प्रकाशित इस लेख की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह घोषणा की गई है कि सोवियत पत्र-पत्रिकायें, प्रवदा विशेष रूप से, और सोवियत लोग भारतीय साम्यवादियों तथा अन्य लोकतन्त्रवादियों की गिरफ्तारी की निन्दा करते है;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) हालांकि यह आशा नहीं है कि भारत सरकार की इस कार्रवाई को पूरी तरह समझा जागा और उसे पूरा समर्थन मिलेगा, फिर भी, सोवियत अधिकारियों के साथ अपनी बातचीत से हमारी यह धारणा बनी है कि हमारे सामने जो समस्याएं हैं उन्हें समझा जा रहा है और हम्ने जो कार्रवाई की है उसके कारणों को भी।

राकेट विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान

*1551. **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** 11 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1044 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या है जिनके साथ भारत ने (एक) राकेट विज्ञान; और (दो)

बाह्य अंतरिक्ष खोज के सम्बन्ध समन्वयकारी अनुसन्धान करने के लिये करार किये है;

(ख) इनमें से प्रत्येक करार की शर्तें क्या है; और

(ग) यदि इस संबंध में किसी देश ने भारत के साथ सहयोग करने से मना किया है, तो उन देशों के नाम क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :(क) और (ख) : मैसर्स सूद एविएशन आफ फ्रांस से प्राप्त लाइसेंस के अंतर्गत फ्रेंच सैन्टोर साउंडिग राकेट बनाने की जानकारी भारत ने प्राप्त कर ली है। एक जापानी राकेट विशेषज्ञ, उन्हें उनकी व्यक्तिगत हैसियत में सलाहकार नियुक्त किया गया है, के मार्गदर्शन में परमाणु ऊर्जा विभाग भी अपने राकेटों का विकास कर रहा है।

शांतिमय उपयोगों के लिये बाह्य अंतरिक्ष की खोज तथा अनुसंधान के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग अमरीका की नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोवियत संघ की हाइड्रोमीट्रोलाजिकल सर्विस तथा फ्रांस के सेंटर नेशनल डेट्यूड स्पेश्यल के साथ सहयोग कर रहा है। इन संगठनों के साथ आदान-प्रदान किए गए पत्रों तथा समझौता ज्ञापनों की प्रतियां 29 नवम्बर, 1965 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1470 के उत्तर में सदन के सभा पटल पर रखी गई थी।

(ग) शांतिमय उपयोगों के लिये बाह्य अंतरिक्ष की खोज तथा अनसंधान करने के कार्य में भारत के साथ सहयोग करने के लिये किसी भी देश ने इन्कार नहीं किया है।

Concentration of Chinese Troops in Bhutan-Tibet Border

***1552. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Linga Reddy :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinese troops are being heavily concentrated on the Bhutan-Tibet border;

(b) whether it is also a fact that the Chinese are constructing a road from Tibet to Bhutan border and they are also patrolling the area;

(c) whetner it is also a fact that due to fear of the Chinese, thousands of the Tibetans have entered India during the period from April, 1965 to March, 1966; and

(d) the steps taken by Government in regard to this posture of the Chinese ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) There have been concentration of Chinese troops all along the borders including the Bhutan-Tibet border. There are however no new concentrations across the Bhutan border.

(b) The Chinese authorities in Tibet have constructed some roads leading to the Bhutan border and are known to have carried out patrolling.

(c) During the period April, 1965 to March 1966, a total of 172 Tibetan refugees have crossed the border into India.

(d) The Government are taking all necessary steps.

Tibetan Refugees

***1553. Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as a result of the Chinese atrocities, Tibetan refugees are continuously pouring into India;

(b) if so, the number of Tibetans who have arrived in India so far; and

(c) the names of places where they have been rehabilitated ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Some Tibetan refugees are still coming into India in small numbers.

(b) A total of about 50,000.

(c) About 15,000 Tibetan refugees have been resettled at Bylakuppe in Mysore district, at Chandragiri in Orissa, Mainpet in Madhya Pradesh, at Tezu and Changlang in NEFA, and Paro and Thimpu in Bhutan. Some refugees have been resettled in Tibetan Handicrafts. Several thousand Tibetan children are in boarding schools specially run for them.

पाकिस्तानी और चीन के बीच गुप्त सन्धि

***1554. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान और चीन के बीच हुई गुप्त सन्धि के समाचार की ओर दिलाया गया है, जिस के अन्तर्गत चीन पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में बड़े शस्त्रास्त्र और विमान देने के अलावा 50,000 छापामार सैनिक भर्ती करने, उन्हें प्रशिक्षण देने और उन्हें हथियारबन्द करने में पूरी सहायता देगा ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थल सेना और वायु सेना की शक्ति का अन्तर कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस के बारे में चीन, पाकिस्तान तथा अन्य सम्बन्धित देशों से पत्र व्यवहार किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चीन और पाकिस्तान के बीच किसी गुप्त सैन्य संधि के बारे में भारत सरकार को कोई सूचना नहीं है। बहरहाल, यह मालूम है कि चीन ने पाकिस्तान को सैनिक उपकरण दिए है, जिनमें भारी बख्तरबंद सामान और हवाई जहाज शामिल है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने इस मामले को चीन और पाकिस्तान की सरकारों के साथ नहीं उठाया है। यह जाहिर है कि ये दोनों सरकारें भारत के विरुद्ध एक-दूसरे के साथ मिलकर साठगांठ कर रही है। सरकार ने सार्वजनिक रूप से अपनी चिंता व्यक्त की है और चीन-पाकिस्तान की साठगांठ के महत्व को समुचित राजनयिक सूत्रों के जरियों मित्र देशों को समझाया है।

पश्चिम जर्मनी और चीन के बीच सहायता करार

*1555. श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में पश्चिम जर्मनी और चीन के बीच हुए सहायता करार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस सहायता से चीन की युद्ध करने की क्षमता में वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीन सरकार को इस समझौते के संबंध में, जो भारत के राष्ट्रीय हित के लिये हानिकर है, आगे कार्यवाही करने से रोकने के लिये कोई कार्य किया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चीन में एक इस्पात मिल स्थापित करने के लिये यूरोपीय फर्मों के एक संघ और चीन के बीच हुए समझौते की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है। इस संघ में पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम की फर्में हैं। जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार ने संबद्ध फर्म को करीब 28 करोड़ दीशमार्क की गारंटी देना स्वीकार कर लिया है।

(ख) भारत सरकार को बताया गया है कि यह इस्पात मिल सिर्फ इस्पात साफ करने के लिए है, इस्पात तैयार करने के लिए नहीं। जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार ने हमें यह भी आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित इस्पात मिल के उत्पादों का इस्तेमाल गोले, टैंक, आर्मर प्लेटें तथा इसी तरह की अन्य चीजें बनाने में नहीं किया जा सकेगा। जो भी हो, भारत सरकार के विचार में, इससे चीन लोक गणराज्य के भारी उद्योगों को बढाने में सहायता मिलेगी।

(ग) भारत सरकार ने जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार को अपने विचार बता दिए है।

पादरी माइकेल स्कांट द्वारा बर्मा सरकार को लिखा गया पत्र

*1556. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालेंड शान्ति मिशन के सदस्य, श्री माइकेल स्काट द्वारा बर्मा सरकार को लिखे गये उस पत्र की एक प्रति सरकार के पास है, जिसमें विद्रोही नागाओं द्वारा पाकिस्तान से चोरी छिपे हाथियार लाने को रोकने के लिये बर्मा सरकार की कार्यवाही के प्रति विरोध प्रकट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नागालैंड शान्ति मिशन के एक सदस्य द्वारा विद्रोहियों के साथ इस प्रकार दुरभिसंधि को एक गंभीर बात समझती है; और

(ग) पादरी माइकेल स्काट के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : हमारे पास जो सूचना सुलभ है, उसके अनुसार, रेवरेंड माईकेल स्काट ने छिपे नागाओं का एक पत्र जो शांति मिशन के नाम था, बर्मा सरकार के पास भेजा था। इस पत्र में उन्होंने बर्मी प्रदेशों में प्रवेश करने वाले कुछ हथियारबंद नागा कर्मचारियों को गिरफ्तार करने पर बर्मा सरकार की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रकट किया है। शांति मिशन से कहा गया था कि इस तरह की कार्रवाई शांति मिशन के सिद्धान्तों से परे है और उसे अपने आपको नागालेंड के भीतर शांति स्थापित करने के कार्य तक ही सीमित रखना चाहिये।

(ग) भारत सरकार ने रेवरेंड स्काट से भारत छोड़ जाने को कहा है और वह पहले ही देश छोड़कर जा चुके है ।

श्री सुखाई का वक्तव्य

*1557. **श्री सिंहासन सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 अप्रैल, 1966 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित श्री सुखाई के, जो नागालैंड के प्रधान मंत्री होने का दावा करते हैं, इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि नागालैंड एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य है तथा उसे यह प्रभुसत्ता 14 अगस्त, 1947 को प्राप्त हुई थी; और

(ख) क्या सरकार उनसे उस हैसियत से बातचीत कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । सरकार की स्थिति कई अवसरों पर स्पष्ट की जा चुकी है ।

पाकिस्तान स्थित मिजो नेशनल फ्रंट के नजरबन्दी शिविर में सरकारी अधिकारी

*1558. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० पतिवारी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हेम बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री फिरोडिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुंगलेह के उप-विभाग अधिकारी (सब-डिवीजनल आफिसर) पूर्वी पाकिस्तान में मिजो नैशनल फ्रंट के नजरबन्दी शिविर में हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार के कुछ अधिकारी जिन में सीमा सुरक्षा दल के अधिकारी भी शामिल है, बन्दी बना कर पाकिस्तान मे मिजो नेशनल फ्रंट के नजरबन्दी शिविर मे रखे गये है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी हां । विश्वसनीय खबरों के अनुसार उपद्रवी और विद्रोही मीजों लोगों द्वारा जो एस० डी० ओ०, लुंगलेह और कुछ अन्य सिविल तथा सैनिक कर्मचारी अपहृत किए गए थे और पूर्व पाकिस्तान ले जाए गए थे, वे अभी तक भारत वापस नहीं लौटे हैं ।

(ग) सरकार ने पाकिस्तान को कई पत्र भेजे हैं जिनमें उनसे उन भारतीय कर्मचारियों को लौटाने की बात कही गई है जो उपद्रवी मीजों लोगों द्वारा पूर्व पाकिस्तान ले जाए गए थे । 46 व्यक्ति वापस आ गए हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि लगभग 50 व्यक्ति अब भी पूर्व पाकिस्तान में हैं । पाकिस्तान सरकार से उनकी वापसी के लिये भी कहा गया है ।

आकाशवाणी के बारे में चन्दा समिति का प्रतिवेदन

*1559. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री बारियर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दाजी :
श्री फिरोडिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त सूचना और प्रचार माध्यम संबंधी चन्दा समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादूर) : (क) सूचना-प्रसारण समिति ने "भारत में प्रसारण" पर अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है। अब इसने इस मंत्रालय के अन्य विभागों की जांच शुरू की है।

(ख) और (ग) : रिपोर्ट की सिफारिशों पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा। रिपोर्ट को चालू अधिवेशन में ही लोक सभा की मेज पर रखने का विचार है।

पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता

*1560. **श्री नाथ पाई :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी सरकार पाकिस्तान को फिर से सैनिक सहायता देने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान में जिस तरह इन हथियारों का उपयोग किया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए इन रिपोर्टों के बारे में सरकार बहुत चिंतित है।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

*1561. **श्री हीं० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको कुछ ऐसे मामलों का पता लगा है कि जिनमें सरकारी कर्मचारियों, ने जिनके विरुद्ध जांच की जाती है, जांच अधिकारी की सत्यनिष्ठा अथवा जांच के तरीके के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये थे;

(ख) क्या यह सच है कि सन्तप्त पक्षों द्वारा बार बार स्मृतिपत्र दिये जाने के बावजूद भी उनके अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया गया और उनको उत्तर भी नहीं दिये गये; और

(ग) यदि हां, तो नीचे के स्तर पर अभ्यावेदनों का उत्तर न मिलने पर क्या सम्बन्धित संतप्त सरकारी कर्मचारी को मंत्री महोदय से सीधा पत्र-व्यवहार करने की अनुमति होती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी नहीं । आपन्न सरकारी कर्मचारी मंत्री को सीधे प्रत्यावेदन नहीं दे सकता । उसे अपना प्रत्यावेदन उपर्युक्त उच्चतर अधिकारी को उचित माध्यम द्वारा देना होता है कि नियमों के अनुसार उसका उचित निपटारा किया जा सके ।

सैनिक ट्रक तथा जीपें

*1562. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सम्बन्धी ट्रकों के निर्माण में दो-तीन वर्षों में आत्मनिर्भर होने के हेतु जबलपूर में केवल शक्तिमान तथा निस्सान ट्रकों के निर्माण के लिये ट्रक बनाने का एक पृथक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) क्या बहुत से देश इस कार्य के लिये पूंजीगत माल बेचने के इच्छुक हैं ; और

(ग) ट्रकों के निर्माण में देशी सामान का कितना प्रयोग किया जायेगा तथा विदेशी मुद्रा की व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) 6000 शक्तिमान 3 टन और 7000 वार्षिक निस्सान ट्रकों और पैटरोल गाडियों का निर्माण करने के लिए जबलपुर में एक विहिकल फैक्टरी स्थापित की जा रही है ।

(ख) मुख्य निदेशक आर्डनेंस फैक्टरीज़ को उपयुक्त विदेशी और देशीयों फर्मों से कोटेशन प्राप्त करने को अधिकृत किया गया है ।

(ग) उत्पादन आरंभ होने की तिथि से लगभग दो वर्ष के अन्दर शक्तिमान निस्सान ट्रकों का देशीय अंश 90 प्रतिशत पहुंच जाने की आशा है । जब तक देशीय उत्पादन पूर्णतया स्थापित नहीं हो जाता अनिवार्य संघटकों का आयात किया जाएगा ।

केन्द्रीय संधि संगठन (सेंट्रल ट्रीटी आर्गनाइजेशन) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन

*1563. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकारा में हुए केन्द्रीय संधि संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन तथा जारी की गई अन्तिम विज्ञप्ति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की निन्दा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को खेद है कि सेन्टो विज्ञप्ति में भारत-पाकिस्तान संघर्ष का उल्लेख तो किया गया लेकिन उसमें पाकिस्तान के आक्रमण और उसकी जिम्मेदारी के प्रश्न को टाल दिया गया ।

Passage through Indian Territory to East Pakistan

*1564. **Shri Brij Basi Lal :**
Shri Braj Behari Mehrotra :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan Government have again approached Government for a passage through Indian territory so that East Pakistan and West Pakistan are linked directly; and

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) The Pakistan Government has made no approach for a passage through Indian territory to link up East and West Pakistan.

(b) Does not arise.

Indian Diplomats Abroad

*1565. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad : **Shri P. C. Borooah :**
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have adopted any measures to keep our Ambassadors and High Commissioners and their officers and staff in the various countries informed from time to time about the various subjects involving India's interests to enable them to grasp all the aspects of the Indian stand and present them in a logical manner in the foreign countries ;

(b) if so, what are the reasons that even our Ambassadors accredited to important countries do not have correct information about India's case and they can much less present the case properly ; and

(c) whether any Conferences of diplomats are also held on the lines of those of the Chief Ministers and Governors and if not, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir. Every effort is made to keep the Heads of Missions fully informed on subjects involving India's interests.

(b) It is not correct to say that our Ambassadors do not have adequate or accurate information about India's case or that they do not present our case properly.

(c) In 1963, two conferences of our representatives from Asia and Africa were held in Delhi. Last month Foreign Secretary held a meeting in Geneva with Heads of Missions in Europe. The desirability of holding such conferences is constantly kept in view, but as they involve heavy expenditure, they cannot be held frequently.

Conference of Asian Parliamentary Union

*1566. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Kishen Pattanayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the proceedings of the conference of the Asian Parliamentary Union held at Tokyo;

(b) whether the Indian Delegates had participated in that Conference;

(c) whether they have submitted any report to Government; and

(d) the reaction of the Delegates of the various countries on Indo-Pak conflict and the Chinese ultimatum to India ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Two Members of Parliament Shri Venkata Subbaiah and Shri D. Basumatari participated in it.

(c) Yes, Sir.

(d) According to the Joint Communique issued by the Asian Parliamentarians' Union, the delegates agreed to "give strong support for a peaceful settlement of the India-Pakistan conflict". The Chinese ultimatum to India does not find a reference in the Communique.

लापता सैनिक कर्मचारी

*1567. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मिज़ो पहाड़ी ज़िले में की गई सैनिक कार्यवाही के दौरान लापता हुए सैनिक अधिकारियों तथा सैनिकों का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उनका पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उनमें से बहुत से कर्मचारियों को विद्रोहियों द्वारा पकड़ लिये जाने का समाचार मिला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ग) : इन संक्रियाओं में तीन अफसर लापता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे मीज़ो नेशनल फ्रण्ट द्वारा बन्दी बना लिए गये है। उनमें से दो तो बार्डर रोड टास्क फोर्स में सेवा कर रहे थे और तीसरा लुंगलेह में आसाम राइफल्स की एक चौकी का इन्चार्ज था। अभी तक उनका पता नहीं लग सका है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि मीज़ो नेशनल फ्रन्ट के लोग उन्हें पूर्वी पाकिस्तान ले गये है।

(ख) उनका पता लगाने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे है। इस विषय में सरकार ने एक विरोध-पत्र भी पाकिस्तान सरकार को भेजा है।

केन्द्रीय सीमा सुरक्षा बल

*1568. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सीमा सुरक्षा बल ने ताशकन्द घोषणा के अनुसार पंजाब, आसाम और त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षा का कार्य सेना से अपने हाथ में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां। यह एक अन्दरूनी प्रबंध है, और ताशकंद करार के अन्तर्गत किसी आधार से सम्बन्धित नहीं है।

पाकिस्तानी सेना द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति का नष्ट किया जाना

*1569. श्री प्र० चं० बरुआ : श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री बसुमतारी : श्री बड़े :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सेनाओं ने ताशकंद घोषणा के अनुसरण में वापस हटते समय अधिकांश सम्पत्ति को, विशेष रूप से रेलवे सम्पत्ति को, नष्ट कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो (1) रेलवे स्टेशनों और रेलवे लाइनों, (2) तार की लाइनों, तथा (3) अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति को कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या पाकिस्तानी सेना की वापसी के बाद राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पानी में विष मिला हुआ पाया गया ; और

(घ) इस बारे में सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) से (ग) : राजस्थान से लौटने से पहले पाकिस्तानियों ने रेलवे स्टेशन भवन, स्टाफ क्वार्टरों, चेकपोस्ट हाल, रिलीविंग-लाज, पानी के टेंकों को नुकसान पहुंचाया था और आरामगाह को विनष्ट कर दिया था। वह समस्त फर्नीचर और लम्बी रेल पटड़ियों का बहुत बड़ा भाग, सिग्नल साजसामान इत्यादि अपने साथ ले गए। इस के अतिरिक्त पाकिस्तानी सेनाओं ने कुओं, नलकुपों और कई स्थानों पर तालाबों पर काफी क्षति पहुंचाई। उन्होंने कुओं को रेत और टहनियों से भर दिया और कुछ हालतों में मरे पशुओं की हड्डियों से।

(घ) कुओं को साफ करने और रेलवे लाइन फिर से बिछाने और रेल संपत्ति की मरम्मत का काम हस्तगत है।

आकाशवाणी पर विरोधी नेताओं की वार्ता

*1570. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी पर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिये विरोधी दलों के नेताओं को आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की जायेगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग) : विरोधी दलों के सदस्यों को आकाशवाणी द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजित चर्चाओं में भाग लेने के लिए पहिले से ही बुलाया जा रहा है। अब प्रस्ताव है कि सामयिक विषयों पर और अधिक चर्चाएं कराई जाएं, जिसमें विभिन्न विचार धाराओं के प्रतिनिधियों को, भाग लेने को आमन्त्रित किया जाए। ये चर्चाएं साधारणतः ऐसे विषयों पर होंगी, जिन पर लोगों का सबसे अधिक ध्यान केन्द्रित हो या जिन पर बहुत मतभेद हो।

राजस्थान में भूतपूर्व सैनिक

5954. **श्री कर्णीसिंहजी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेष रूप से राजस्थान में, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को होने वाली कठिनाइयों तथा बाधाओं के बारे में, कोई अध्ययन सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण] के निष्कर्ष सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख) : प्राप्य सूचना के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों और सेवा कर रहे सेविवर्ग और उनके आश्रितों की कठिनाइयों और बाधाओं का सर्वेक्षण राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्ययन दल द्वारा किया गया है । अध्ययन दल रिपोर्ट तैयार कर रहा है, और उसे सरकार से प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

फिल्म वित्त निगम

4955. श्री अ० क० गोपालन : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म वित्त निगम को 1964-65 में हानि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई थी; और

(ग) इस हानि का मुख्य कारण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, हां ।

(ख) 1,28,917 रुपये ।

(ग) निगम का मुख्य उद्देश्य अच्छी फिल्मों के निर्माण के लिए धन देना है जिससे फिल्मों का स्तर ऊंचा उठ सके । निगम की सहायता से बनी कुछ फिल्में अच्छी तरह नहीं चल सकीं और इस कारण उनको दिया हुआ ऋण बट्टेखाते डालना पड़ा । हानि का यही कारण है ।

निजी रूप से पाकिस्तान जाने वाले आकाशवाणी के कर्मचारी

4956. श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री हेम राज :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कितने कर्मचारी 1947 से अब तक वर्षवार निजी कार्य के लिये पाकिस्तान गये;

(ख) क्या उनमें से कोई कर्मचारी आकाशवाणी से गुप्त नक्शे ले जाने के मामले से सम्बन्धित था;

(ग) क्या कोई सरकारी जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6257/66 ।]**

(ख) से (घ) : जांच अभी चल रही है और सूचना देना जन-हित में नहीं है ।

राष्ट्रीय रक्षा परिषद्

4957. श्री राम हरख यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा परिषद् के गठन में हाल में काफी परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पुनः गठित परिषद् का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अधिकार तथा कृत्य क्या होंगे ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी नहीं। केवल उन्हीं स्थानों की पूर्ति की गई है जो कुछ सदस्यों के निधन एवं त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए थे।

(ख) परिषद् के वर्तमान सदस्य ये है :

प्रधान मंत्री —अध्यक्ष

श्री गुलज़ारीलाल नन्दा

सरदार स्वर्ण सिंह

श्री यशवन्तराव चव्हाण

श्री शचीन्द्र चौधरी

श्री अशोक मेहता

श्री जी० एम० सादिक, मुख्य मंत्री, जम्मू तथा काश्मीर

श्री एस० निजलिंगप्पा, मुख्य मंत्री, मैसूर

श्री राम किशन, मुख्य मंत्री, पंजाब

श्रीमती सुचेता कृपलानी, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

श्री पी० सी० सेन, मुख्य मंत्री, पश्चिमी बंगाल

श्री बी० पी० चालिहा, मुख्य मंत्री, असम

स्थल सेनाध्यक्ष

नौ सेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

ले० जनरल सन्त सिंह (अवकाशप्राप्त)

ले० जनरल एस० पी० पी० थोराट, ए० सी०, डी० एस० ओ० (अवकाश प्राप्त)

श्री कामराज नादार

श्री अतुल्य घोष

श्री फ्रेंक एन्थनी

श्री ऐन० डन्डेकर

श्री एस० एस० खेड़ा

डा० विक्रम ए० साराभाई

डा० डी० एस० कोठारी

मंत्रिमण्डल सचिव

रक्षा सचिव

रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार

उपरोक्त मुख्य मन्त्रियों के अतिरिक्त वे सभी मुख्य मंत्री भी परिषद् की बैठक मे भाग लेते हैं, यदि वे परिषद् की बैठक के समय दिल्ली में हों ।

(ग) राष्ट्रीय रक्षा परिषद् एक सलाहकार संस्था है । जब यह पहली बार बनी थी इसके कार्य ये थे :

(1) समय समय पर स्थिति का आंकन करना और राष्ट्रीय रक्षा की व्यवस्था करना तथा सरकार को राष्ट्रीय रक्षा विषयक बातों में सलाह देना ।

(2) आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिये राष्ट्र के संकल्प को बढ़ावा देना तथा उसका समुचित मार्गदर्शन करना ।

(3) राष्ट्रीय रक्षा में जनता के सहयोग का उपयोग करने के विषय में केन्द्रीय नागरिक समिति को यथा उचित सुझाव देना ।

(4) साधारणतया सरकार को ऐसे विषयों पर सलाह देना जिनसे आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध-चालन में मदद मिल सके ।

स्वर्गीय श्री सावरकर की रचनायें और भाषण

4958. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय श्री सावरकर की रचनाओं और भाषणों को प्रकाशित करने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नौसेना प्रशिक्षण संस्थान, विशाखापतनम

4959. श्री राम हरख यादव :
श्री रामानन्द शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम स्थित बालक नौसेना प्रशिक्षण संस्थान को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संस्थान को अब किस स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

कमीशन प्राप्त मृत अफसरों के आश्रितों को प्रसादतः पुरस्कार

4960. श्री मनोहरन :

श्री अ० व० राघवन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कमीशन प्राप्त अफसरों के जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो जाती है किन्तु स्पष्ट रूप से सेवा के परिणामस्वरूप नहीं होती, आश्रितों को प्रसादतः अनुदान (अवार्ड) दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो किन दरों पर उन्हें अनुदान दिये जाते हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के अनुदान अराजपत्रित अफसरों तथा जवानों को दिये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो किन किन दरों पर ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। यह अवार्ड (रक्षा सेवाओं) के अनुकम्पा उपदान निधि से दिए जाते हैं, अगर वह निधि के नियमों के अनुसार देय हों।

(ख) जिन हालतों में अवार्ड निधन प्राप्त अफसर के निर्धारित आश्रितों को देय हैं, उनके दर इस प्रकार हैं :

	अधिकाधिक	कम से कम
(1) विधवा और बच्चे	प्रत्येक सम्पूर्ण सेवा वर्ष के लिए अन्तिम प्राप्त वेतन पर डेढ़ मास का वेतन या 10,000 रुपये, दोनों में से जो भी कम हो।	3000 रुपये
(2) माता पिता मिल कर	7,500 रुपये	2,500 रुपये
(3) माता पिता अकेले अकेले	5,625 रुपये	1,875 रुपये
(4) अवस्यक भाई-बहने सामूहिक तौर पर	5,000 रुपये	2,000 रुपये

अवार्ड किसी हालत में भी उस कुल राशि से अधिक न होगा, जो देय होता, अगर प्रत्येक लाभ उठाने वाले/वाली को 30 रुपये मासिक बच्चा भत्ता दिया जाता जब तक कि वह 18 वर्ष का/की न हो जाए।

(5) एक एक करके अवयस्क भाई-बहिन	अवार्ड किसी हालत में भी उस कुल राशि से अधिक न होगा, जो देय होता, अगर लाभ उठाने वाले/वाली को 30 रुपये मासिक बच्चा भत्ता दिया जाता, जब तक कि वह 18 वर्ष का/की न हो जाय।

(ग) जी नहीं। जब (रक्षा सेवाओं का) अनुकम्पा उपदान निधि, 1958 में चालू किया गया था, अफसर पद से निम्न रक्षा सेवाओं के सभी सेविवर्ग को पहले से ही उपदान या पैन्शन के रूप में कुछ लाभ देय थे, जो ऐसे कारणोंवश निधन प्राप्त हों सेवा के कारण न माने योग्य हों, या सेवा द्वारा वृद्धि को प्राप्त न हुए हो उस समय अफसरों के संबंध में ऐसी स्थिती न थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कन्नानूर छावनी बोर्ड

4961. श्री मनोहरन :

श्री म० व० राघवन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में केरल में कन्नानूर छावनी बोर्ड के लिये सामान्य सहाय्य अनुदान और विशेष सहाय्य अनुदान योजना के अधीन कितनी धनराशि मंजूर की गयी है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये 1966-67 के आय व्ययक में कितनी धनराशि रखी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) 1965-66 के दौरान निम्न राशिएं छावनी बोर्ड, कन्नूर को दी गई हैं :

(1) सहायता के लिये साधारण अनुदान	15,443 रुपये
(2) सहायता के लिए विशेष अनुदान	27,541 रुपये

(ख) भारत में सभी छावनी बोर्डों के लिए साधारण और विशेष सहायता अनुदानों के लिए 1966-67 के रक्षा बजट में 63 लाख रुपये का उपबंध किया गया है । किसी छावनी बोर्ड विशेष के लिए विशेषतौर पर कोई राशि अलग नियत नहीं की जाती । तदपि छावनी बोर्ड कन्नूर ने अपने 1966-67 के बजट अनुमानों में अपने बजट को सन्तुलित बनाने के लिए 19967 रुपये के साधारण सहायता अनुदान का उपबंध किया है, और विकास कार्यों को सम्पन्न करने के लिए 68,000 रुपये के विशेष सहायता अनुदान के लिए । देश में अन्य छावनी बोर्डों की मांगों के साथ इन का निरीक्षण किया जाएगा ।

केरल में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाना

4962. श्री मनोहरन :

श्री अ०व० राघवन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को कृषि व्यवसाय में रोजगार देने की योजना अन्तर्गत कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मंजूर की गयी है; और

(ग) इस मद के अधीन वर्ष 1966-67 के आयव्ययक में कितनी धनराशि रखी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) केरल सरकार से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

Supply of Cartridges to National Rifle Association

4963. Shri Rananjai Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to supply cartridges manufactured in the Ordnance Factories to the National Rifle Association of India and to the Rifle Clubs;

(b) if so, of what bore; and

(c) by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) As in the case of other indentors, sporting cartridges manufactured in ordnance factories are sold to the National Rifle Association of India as orders are placed by them on the factories.

(b) The cartridges normally sold to the Association are 12 bore shot-gun cartridges and .22" Rimfire Ball ammunition.

(c) The outstanding orders of the National Rifle Association and its affiliated clubs are for 68,000 12 bore ammunition, and 25,000 .22" Rim Fire Ball ammunition. Supplies against these orders are expected to be made shortly.

अंतरिक्ष अनुसन्धान संबंधी भारतीय राष्ट्रीय परिषद्

4964. श्री राम हरख यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष अनुसंधान सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय परिषद का पुनर्गठन हाल ही में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनर्गठित निकाय की शक्तियां तथा कृत्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना, जिसमें पुनर्गठित अन्तरिक्ष अनुसंधान-संबंधी भारतीय राष्ट्रीय परिषद् की रचना बताई गई है, की एक प्रति सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6258/66।]**

(ग) परिषद् एक सलाहकारी निकाय है तथा इसके कार्य निम्नलिखित है :

(i) सरकार को अन्तरिक्ष अनुसंधान तथा खोज कार्यों और उनके शान्तिमय उपयोग के बारे बारे में सलाह देना ।

(ii) अन्तरिक्ष अनुसंधान तथा खोज कार्यों और उनके शान्तिमय उपयोग में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना ।

(iii) इन्टरनेशनल कौन्सिल आफ साइंटिफिक यूनियनज की अन्तरिक्ष अनुसंधान कमेटी और अन्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों; जो कि अन्तरिक्ष अनुसंधान और उसके शान्तिमय उपयोग मे रुचि रखते हों, में सम्पर्क रखना और प्राय: अन्तरिक्ष के शान्तिमय उपयोग के विकास में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों का समर्थन करना तथा सहायता देना ।

(iv) सरकार को बाह्य अन्तरिक्ष के शान्तिमय उपयोग और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ ऐसे ही विषयों पर यूनाइटेड नेशनज् कमेटी के कार्यों में भाग लेने के लिये परामर्श देना ।

दक्षिण में आकाशवाणी का क्षेत्रीय निदेशालय

4965. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण में आकाशवाणी का एक क्षेत्रीय निदेशालय स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) विषय विचाराधीन है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में विचार और टिप्पणियां

4966. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 8 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 240 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक ऐसी कितनी पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई है जिनमें भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में विचार और टिप्पणियां दी गई है; और

(ख) उनको किन किन भाषाओं में प्रकाशित किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वण सिंह) : (क) और (ख) : ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर हो जाने की बात को ध्यान में रखते हुए, ऐसे पाम्फलेट निकालने के प्रस्ताव पर अमल नहीं किया गया जिनमें भारत-पाक संघर्ष के बारे में विचार और टिप्पणियां दी गई हों ।

Hindi in Cantonment Boards

4967. Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri P. C. Borooah :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Cantonment Boards have been allowed to work in Hindi ; and

(b) if so, the number of such Boards, which have started working in Hindi at present ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : Under the Cantonment Act no permission of Government is required for the use of Hindi. There are, however a large number of difficulties in the introduction of Hindi which have been brought to the notice of Government by a number of Cantonment Boards. Nevertheless, 33 Cantonment Boards have permitted their employees to use Hindi both in notes and in correspondence.

जंजीबार से आने वाले भारतीय शरणार्थी

4968. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि जंजीबार से आने वाले कुछ भारतीय शरणार्थियों को अपने साथ केवल पहिनने के कपड़े लाने की अनुमति दी गई है और उन कपड़ों को भी सीमा शुल्क विभाग ने जब्त कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिक्किम, भूटान और तिब्बत के बीच व्यापार

4969. श्री मधु लिमये : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई अध्ययन किया है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध का सिक्किम, भूटान और तिब्बत के बीच होने वाले व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) सरकार का इस हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है कि ये राज्य क्षेत्र अपने स्वदेशीय संसाधनों का विकास कर सकें तथा शेष भारत के साथ व्यापार के अन्य साधन निकाल सके ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) 1962 के पहले, चीन सरकार ने तिब्बत के सम्बन्ध में जो निरोधक नीतियां अपनाई थीं, उनके कारण भूटान, सिक्किम और भारत के साथ तिब्बत का व्यापार खत्म हो गया । 1962 में हम पर चीन के आक्रमण के बाद, भूटान और सिक्किम ने तिब्बत के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है ।

(ख) भारत सरकार ने भूटान और सिक्किम को उनकी अपनी-अपनी विकास योजनाओं पर अमल करने में सभी आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता दी है । सरकार चौथी योजना काल में ऐसी ही सहायता देते रहने का इरादा रखती है । हाल के वर्षों में भूटान में और सिक्किम के व्यापार में काफी वृद्धि हुई है ।

उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण

4970. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग ने 1965-66 में उत्तर प्रदेश में कितने सर्वेक्षण किये ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इन सर्वेक्षणों पर कितना खर्च हुआ ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6259/66 ।]**

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विषयक व्यय : (1) प्रतिदर्श (सैंपुल) चुनने, प्रपत्र बनाने, हिदायतें देने आदि सर्वेक्षण के तकनीकी डिज़ाइन सम्बन्धी कार्य करने, (2) आंकड़ा संकलित करने, तथा (3) सारणीकरण के लिए किया जाता है । उत्तर प्रदेश में आंकड़ा संकलन का क्षेत्र-कार्य राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है । सर्वेक्षण के डिज़ाईन निश्चित करने तथा सारणीकरण सम्बन्धी अधिकांश काम भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टिटयूट) में किया जाता है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सर्वेक्षणों की अवधि वित्तीय वर्ष की अवधि से मेल नहीं खाती, इसलिए संलग्न विवरण में सूची-बद्ध कुछ सर्वेक्षण उक्त काल-सीमा से अंशतः बाहर है। डिज़ाईन तथा सारणीकरण का काम अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है । इन विषयों के राज्यवार तथा सर्वेक्षण के अनुसार व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । इन कारणों से 1965-66 के दौरान किये गये सर्वेक्षणों के कुल व्यय को निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। फिर भी 1965-66 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश में किये गये सर्वेक्षणों के क्षेत्र-कार्य पर किया गया व्यय लगभग 10.43 लाख रुपये है ।

शान्ति दल के स्वयंसेवक

4971. श्री विभूति मिश्र :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका से अमरीकी शान्ति दल के 60 स्वयंसेवक 29 दिसंबर 1965 को भारत आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके आगमन का उद्देश्य क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। 60 स्वयंसेवकों का एक दल 29 दिसंबर 1965 को भारत पहुंचा। वे महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों में रहेंगे जहां वे ग्राम सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सहायता देंगे।

अमरीकन वायर सर्विस द्वारा नई दिल्ली से भेजा गया समाचार

4972. श्री काजरोलकर : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अमरीकी विदेश विभाग (स्टेट डिपार्टमेंट, के प्रवक्ता) ने 'अमरीकन वायर सर्विस' द्वारा भेजे गये इस समाचार के बारे में आश्चर्य व्यक्त किया था कि वस्तुतः सभी वर्गों की भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में राष्ट्रपति जान्सन की आलोचना की जा रही है और इससे भारत-अमरीकी संबंधों को स्थायी रुप से नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी पुष्टि की गई थी;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई थी कि यह झूठा समाचार वहां तक किस प्रकार भेजा गया ; और

(घ) इसका खंडन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

वैदेशिक-कार्य मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह समाचार कुछ भारतीय समाचार पत्रों द्वारा की गई छिटपुट टिप्पणियों पर आधारित है जो अलग-अलग समय पर प्रकाशित हुई हैं।

(घ) वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत ने उस वक्तव्य का तत्काल खंडन किया जो अमरीका के अखबारों में छपा था।

आदिस अबाबा में पुगवाश सम्मेलन

4973. श्री श्रीनारायण दास : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आदिस अबाबा में हाल में हुये पंद्रहवें पुगवाश सम्मेलन की अन्तिम सिफारिशों की एक प्रति मिली है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों की मुख्य बातें क्या है;

(ग) इसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारतीय वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ङ) यदि हां, तो उन्होंने इसमें किस हैसियत से भाग लिया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। आशा है कि पन्द्रहवें पुगवाश सम्मेलन की छपी हुई कार्रवाई सिर्फ जून 1966 में ही निकाली जाएगी।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रोफेसर वी० ए० साराभाई, प्रोफेसर एम० जी० के० मेनन और श्री ए० रहमान इन भारतीयों ने पन्द्रहवें पुगवाश सम्मेलन में भाग लिया।

सेनाध्यक्षकों का कार्यकाल

4974. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री ब्रागड़ी :**
श्री राम सेवक यादव : **श्री धर्मलिंगम :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के अध्यक्षों का कार्यकाल कम कर दिय गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) पदस्थ सेनाध्यक्ष कितनी अवधि में सेवा निवृत्त होते हैं; और

(घ) वर्तमान तीनों सेनाध्यक्ष कब सेवा निवृत्त होंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : नौसेनाध्यक्ष की नियुक्ति अवधि जो तीन वर्ष थी घटाई नहीं गई है, सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष की नियुक्ति अवधि 4 वर्ष से घटा कर तीन वर्ष करते हुए तीनों पदों की नियुक्ति अवधि समतुल्य कर दी गई है। चूंकि इनसे निम्न पदों की नियुक्ति अवधि 4 वर्ष है इस प्रबंध से सेवाओं के अफसरों की पदोन्नति और सेवानिवृत्ति में चयन के लिये फैलाव का अवसर प्राप्त होता है।

(ग) सेना/नौसेना/वायु सेना अध्यक्ष का स्थान धारण करने वाला व्यक्ति या तो अपनी नियुक्ति अवधि सम्पूर्ण कर लेने पर सेवा से अवकाश ग्रहण करते या सेवा निवृत्ति आयु प्राप्त कर पर, जो भी पहले हो।

(घ) वर्तमान सेना और नौसेना अध्यक्ष इस प्रकार सेवानिवृत्ति आयु को प्राप्त करेंगे।

सेनाध्यक्ष--10-6-1966

नौसेनाध्यक्ष--16-1-1975

एयर चीफ मार्शल पद में वायु सेनाध्यक्ष के लिये सेवानिवृत्ति आयु अभी निर्धारित नहीं की गई।

आकाशवाणी का त्रिचूर केन्द्र

4975. श्री अ० क० गोपालन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के त्रिचूर केन्द्र को 20 किलोवाट से बढ़ा कर 100 किलोवाट करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : जी, हां। त्रिचूर में एक शक्तिशाली मीडियम-वेव ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव, आकाशवाणी की चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में शामिल है। यह काम चौथी योजना के मंजूर होने के बाद शुरू होगा।

आकाशवाणी के कालीकट और त्रिवेन्द्रम केन्द्र

4976. श्री अ० क० गोपालन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या आकाशवाणी के कालीकट और त्रिवेन्द्रम केन्द्रों का विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : कालीकट म एक स्थायी स्टूडियो खंड बनाने का प्रस्ताव है। त्रिवेन्द्रम के वर्तमान ट्रांसमीटर की शक्ति और स्टूडियों सुविधाओं को बढाया जायेगा।

आकाशवाणी के केन्द्रों को कोएक्सियल केबलों से मिलाना

4977. श्री अ० क० गोपालन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के केन्द्रों को कोएक्सियल केबलों से मिलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : जी हां। डाक-तार विभा समधुरीय तारों या सूक्ष्म तरंगों के जरिये इनके लिये सरकिट देगा। अभी इस प्रकार की व्यवस्था देश के कुछ ही भाग में ही सकी है। डाकतार विभाग जिन केन्द्रों में समधुरीय तार लगा देगा, उनको जोड़ दिया जाएगा।

बोरझार के निकट वायु सेना के विमान की दुर्घटना

4978. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फरवरी, 1966 में बोरझार हवाई अड्डे (गोहाटी) के समीप हुई भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना के बारे में एक जांच समिति बना दी है;

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो प्रतिवेदन के सरकार को कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) रिपोर्ट के मुख्य स्वरूप नीचे दिए गए हैं :—

विमान उडान के लिए सर्वथा सेवा योग्य था। विमान-चालक प्रशिक्षित अभ्यास के लिए सक्षम था, जिसके लिये उसे सम्यक् समझाया और अधिकृत किया गया था। विमान पर उचित सामान लादा गया था। कोटकी राय है कि दुर्घटना विमान चालक द्वारा गलत अन्दाजे के कारण हुई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-चीन सीमा विवाद संबंधी 'डित सुन्दर लाल का लेख

4979. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हिन्दी साप्ताहिक "स्वाधीनता" के दिनांक 26 जनवरी, 1966 के अंक में एक वयोवृद्ध गांधीवादी, पं० सुन्दर लाल द्वारा लिखित भारत-चीन सीमा विवाद के बारे मे एक लेख प्रकाशित हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो क्या अकसाई चीन पट्टी को छोड़ कर, जिसे चीन अमरीका से अपनी आत्म-रक्षा के लिये आवश्यक समझता है, सारे विवादास्पद क्षेत्र की भारत को वापसी और उसके बदले में चीन के राज्यक्षेत्र में से उसके बराबर भाग भारत को देने के बारे में लेख में दिये गये प्रस्ताव की ओर सरकार ध्यान दिलाया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

मंत्रालयों की समाप्ति

4980. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास, पंचायत राज तथा सहकार और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालयों को समाप्त करने के क्या कारण हैं और इस समाप्ति से क्या लाभ हुये हैं; और

(ख) सामुदायिक विकास तथा सामाजिक कल्याण मंत्रालयों का क्रमश: खाद्य तथा कृषि और उद्योग मंत्रालयों के साथ विलय का क्या अभिप्राय है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : जब जनवरी, 1966 मे वर्तमान मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था तो उस अवसर का लाभ कुछ मंत्रालयों तथा विभागों का पुनर्गठन करने के लिये उठाया गया था तथा उनके विषयों का पुनर्निधारण किया गया था । सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के साथ विलय कर दिया गया और उस मंत्रालय का नाम खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय रखा गया। उस के आधीन 4 विभाग हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग को न तो कभी समाप्त किया गया था और नही उस का विलय किया गया था अपितु इस का नाम सामाजिक कल्याण विभाग रख दिया गया है ।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के साथ इस लिये मिलाया गया है कि इसके समन्वित प्रयास से कृषि उत्पादन को अधिकतम बढ़ावा दिया जाये ।

Firms Run By Relatives Of Employees Of Audio-Visual Department

4981. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Bagri :
Shri Maurya :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state

(a) whether Government have ever tried to ascertain the fact that the various employees of the Audio-Visual Publicity Department have set up firms in the names of their fathers, sons, wives etc ;

(b) whether Government are aware that these firms are earning undue profit by getting work on a large scale from the Department concerned; and

(c) if not, whether Government propose to make necessary enquiries in the matter ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c): On the basis of an anonymous complaint in 1964 investigations were conducted by the Central Bureau of Investigation, but the allegations were not established. Government is not aware of any such firms earning undue profit. Two further complaints have recently been received which are being enquired into departmentally. Further action, if any, will be taken in the light of the results of the Departmental Enquiry.

Allotment of Newsprint

4982. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an announcement is proposed to be made regarding the allotment of extra quota of newsprint for the General Election ; and

(b) if so, the name of the newspapers likely to get it ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b): Attention is invited to paragraph 9(b) of Annexture I to the Ministry of Commerce Public Notice No. 54-ITC (PN)/66, dated 26th April, 1966, a copy of which was laid on the Table of the Lok Sabha the same day. Newspapers will be entitled to an additional quota of Newsprint on further request

पूर्वी जर्मनी में व्यापार मिशन

4983. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वी जर्मनी में एक व्यापार मिशन खोलने का निश्चय किया है अथवा वह खोलने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ठीक स्वरूप क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख): जी नहीं। लेकिन, आपसी व्यापार में मदद देने के लिए पूर्व जर्मनी में राज्य व्यापार निगम का एक कार्यालय खोला जाना है ।

केरल में अमरीकी शान्ति दल के कार्यकर्ता

4984. श्री वासुदेवन नायर : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी शांति दल के स्वयंसेवक केरल राज्य में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या है तथा वे किन विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या उनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो केरल को और कितने स्वयं सेवक भेजे जायेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) केरल में स्वयंसेवकों का हुनर के हिसाब से वितरण इस प्रकार है ;

(1) स्कूली शिक्षण	2
(2) कुक्कुट विकास	20
(3) ग्राम सार्वजनिक स्वास्थ्य	24
(4) स्वयंसेवी डाक्टर	1
(5) मिस्तिरी	2
(6) नर्स	1
कुल	50

(ग) और (घ) : राज्य सरकार की निश्चित मांग पर स्वयंसेवक भेजे जाते हैं । निम्नलिखित प्रार्थनाओं को अभी पूरा करना है ।

(1) लघु उद्योग	20 स्वयंसेवक
(2) शहरी लोक कार्य क्षेत्र	6 स्वयंसेवक

आर्थिक अपराधों के लिये बर्मा में नजरबंद भारतीय

4985. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 21 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 670 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में रोके गये भारतीय राष्ट्रजनों के विरुद्ध लगाये गये "आर्थिक अपराधों" का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रोके गये सभी व्यक्तियों को इस बीच रिहा कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) ब्यौरा सुलभ नहीं है क्योंकि बर्मा की सरकार ने इनका कभी उल्लेख नहीं किया ।

(ख) और (ग): रोके हुए तमाम लोगों को नही छोड़ा गया है । भारत सरकार ने उनकी रिहाई का सवाल बर्मा सरकार के साथ उठाया है ।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू की रचनायें

4986. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री 21 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू की संपूर्ण रचनाओं के प्रकाशन कार्य के लिये एक पृथक एकक स्थापित करने के प्रस्ताव को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) और (ख) : इस प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

नेपाल स्थित भारतीय दूतावास द्वारा हिन्दी का प्रयोग

4987. श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 21 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 467 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख): इस प्रस्ताव पर अमल करने में कोई कठिनाई नहीं है बशर्ते कि इससे किन्हीं हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को नुकसान न पहुंचता हो और इस पर अतिरिक्त खर्च न आता हो ।

पाकिस्तान द्वारा सीमा का उल्लंघन

4988. श्री यशपाल सिंह :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 मार्च, 1966 से अब तक पाकिस्तानी सेना द्वारा हमारी सीमा का कोई उल्लंघन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कहां पर; और

(ग) अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : अतिलंघनों, गोली चलाने तथा अन्तरिक्ष क्षेत्र के उल्लंघनों के जम्मू काश्मीर में 14, राजस्थान में 4, त्रिपुरा में 1, असम में दो और पश्चिमी बंगाल में 1 घटना हुई है ।

(ग) जहां आवश्यक हुआ पाकिस्तान अधिकरणों को विरोध पत्र भेजे गए है । जम्मू काश्मीर में युद्ध विराम रेखा पर घटनाओं के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रों के सैनिक प्रेक्षकों को युद्ध विराम उल्लंघनों की शिकायतें कर दी गई हैं ।

सीमा के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों को बसाना

4989. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 28 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1202 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के सुझावों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) : मामला अभी विचाराधीन है ।

अखबारी कागज का आयात

4990. श्री मुहम्मद काया : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत अखबारी कागज लेने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, नहीं, फिलहाल नही ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Trailer for Atomic Energy Establishment

4991. Shri Onkar Lal Berwa : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a 200 ton trailer is being brought from Kandla Port for the Atomic Energy Establishment;

(b) if so, whether there has been delay in its despatch from Kandla; and

(c) whether it is also a fact that adequate number of drivers and technical experts are not available in requisite number to handle it ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) A 200 ton trailer has been purchased in Canada for the use of the Rajasthan Atomic Power Project of the Department of Atomic Energy, but has not yet arrived in India.

(b) Does not arise.

(c) No difficulty in the recruitment of technical staff to handle the trailer is anticipated.

Hindi in A. I. R.

4992. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bade :
Shri Daji :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindi programmes are neglected at all the Centres of All India Radio by the Officers who are admirers of English;

(b) whether it is also a fact that the entire work of the offices of All India Radio is done in English;

(c) whether Government have received reports to this effect; and

(d) if so, the steps taken to check this practice?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Some reports to this effect appeared in the press. There is, however, no truth in the reports that All India Radio does not give due respect or consideration to lovers of Hindi. In so far as office work is concerned, like other Central Government offices, All India Radio offices also conduct their notings and correspondence mainly in English. However, those members of staff who prefer to write office notes in Hindi are allowed to do so. Letters received in Hindi are also replied to in Hindi.

(d) Does not arise.

इंटक की कांग्रेस के भिलाई अधिवेशन में पारित संकल्प

4993. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिसम्बर, 1965 में इंटक के कांग्रेस के भिलाई अधिवेशन में पारित इंटक के उन संकल्पों की ओर दिलाया गया है, जो उनके मंत्रालय के पर्यवेक्षण में आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

[वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने इंटक द्वारा "पाक आक्रमण" और "रोडेशिया" पर पास किए गए प्रस्तावों को देख लिया है और वह इन प्रस्तावों में निहित भावना से संतुष्ट है । इस बीच, ताशकंद घोषणा संपन्न हो गई है जिसम भारत और पाकिस्तान के इस दृढ़ निश्चय की पुष्टि की गई है कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण और अच्छे पड़ोसियों के सम्बन्ध स्थापीत किए जाएंगे और उनमें रहने वाले लोगों के बीच समझ-बूझ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा ।

जहां तक रोडेशिया पर प्रस्ताव का संबंध है, सरकार रोडेशिया में गर-काननी श्वेत अल्पसंख्यक शासन का अंत करने तथा 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धान्त पर ज़िम्बाबवे की स्वाधीनता के लिए अफ्रिकी राज्यों तथा अफ्रिकी एकता संगठन का ऐसे कार्यों में बराबर समर्थन करती रहेगी,जो आवश्यक समझे जाएंगे जिनमें बल का प्रयोग भी शामिल है ।

राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों का अगला सम्मेलन

4995. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों का अगला सम्मेलन लंदन के अतिरिक्त राष्ट्रमंडल के देशों में किसी अन्य स्थान पर करने का कोई प्रस्ताव राष्ट्रमंडल सचिवालय के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के लिये कौन से प्रस्तावित स्थान हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्मेलन को नई दिल्ली में करने का प्रस्ताव रखा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर राष्ट्रमंडल के देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

नेपाल से भारत को धान और चावल लाना

4996. श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने नेपाल के राज्यक्षेत्र से भारत को अनाज विशेषकर धान और चावल, लाने पर लगाये गये सभी प्रतिबंध हटा दिय है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई शर्तें लगाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) नेपाल की सरकार ने धान और चावल को नेपाल से भारत ले जाने पर प्रतिबंध हटा लिए हैं ।

(ख) और (ग) : धान के निर्यात पर 10 पैसे (नेपाली) प्रति किलोग्राम के हिसाब से और चावल पर 9 पैसे (नेपाली) प्रति किलोग्राम के हिसाब से निर्यात कर लिया जाता है ।

Training given in Pakistan to people who fled away from India

4997. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that training in guerilla warfare has been imparted by Pakistan to the people who fled away from Kashmir by keeping them in the Camps near Khuiratta in the occupied territory; and

(b) whether it is also a fact that Pakistani police has shot dead 85 persons for refusing to undergo the training and Government have not taken any action so far in the matter ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) It is a fact that the young and able-minded muslims from among the exfiltrators who had fled from Jammu and Kashmir to Pakistan occupied Kashmir in the wake of the Indo-Pakistan conflict last year, have been recruited from different refugee camps in Pakistan occupied Kashmir as Razakars by Pakistan. Government have no information whether they are being trained in guerilla warfare in a camp near Khuiratta.

(b) Government have no information. However there have been reports that in the last week of February 1966 the refugees from Jammu and Kashmir had organised demonstrations at Khuiratta against the so-called Government of Pakistan occupied Kashmir. The police was reported to have opened fire as a result of which some persons were killed. A number of refugees were arrested.

दिल्ली छावनी बोर्ड के चुनाव

4998. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बडे :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 16 दिसम्बर, 1963 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1710 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड के चुनाव के लिये दिल्ली छावनी में अभी तक एक द्वि सदस्यीय वार्ड हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली छावनी में द्वि सदस्यीय वार्ड रखना कहां तक उचित है जबकि ऐसे वार्ड दिल्ली नगर निगम जैसे पड़ौसी नगर निकायों से हटा दिये गये हैं; और

(ग) क्या ऐसे द्वि सदस्यीय वार्ड रखना, द्वि सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करने की सरकार की घोषित निती के विरूद्ध नहीं है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : अनुसूचित जातियों/कबीले छावनी के सभी क्षेत्रों में फले हुए है और उन्हें छावनी बोर्डों में प्रतिनिधित्व देने के लिए एक स्थान का आरक्षण आवश्यक है। संसद और राज्य विधान सभाओ के निर्वाचन के लिए डबल मेम्बर निर्वाचन क्षेत्र समाप्त कर दिए गए थे क्योंकि इस में अधिक खर्च और कष्ट अन्तर्ग्रस्त था, अतिरिक्त इस के कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी वह असुविधाजनक और कष्टप्रद थे। छावनियों में निर्वाचन क्षेत्र आकार में छोटे होते हैं और उनमें ऐसी असुविधा, कष्ट और खर्च अन्तर्ग्रस्त नहीं होता, डबल मेम्बर निर्वाचन क्षत्रों द्वारा अनुसूचित जातियों/कबीलों और जनता के अन्य अनुभागों को भी एकल मेम्बर निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में अच्छा प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, जिनमें एक या दो पूर्वोक्त के लिए आरक्षित रहते हैं। सरकार देश की सभी छावनियों में एक सी प्रणाली को आवश्यक ख्याल करती है, और जहां तक उन्हें ज्ञात है राज्यों में कई नगरपालिकाओं में डबल मेम्बर निर्वाचन क्षत्र विद्यमान है।

फिल्म डिवीज़न के कमेंटेटर्स

4999. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री 14 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2049 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म डिवीजन के कमेंटेटर्स को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अब कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : विषय अभी विचाराधीन है ।

टेप्स लाइब्रेरियन

5000. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री 14 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2092 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेप्स लाइब्रेरियन के पद को, जिस पर इस समय स्टाफ आर्टिस्टों के रूप में नियुक्ति की जाती है, नियमित (सिविल) पद में बदलने के प्रश्न पर इस बीच विचार किया जा चुका है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) जी, हां ।

(ख) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों और कार्यालयों में रिकार्ड की गई सामग्री के संग्रहों को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में नियमित (असैनिक) पदों को बनाने का विचार है । इस विषय में आवश्यक कारवाई की जा रही है ।

रोडेशिया के विरुद्ध बल प्र ोग

5001. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोडेशिया के विरूद्ध बल प्रयोग के बारे में संयुक्त राष्ट्रसघ में भारत की अपील को कोई समर्थन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रोडशिया में गर-कानूनी श्वेत अल्पसंख्यक शासन को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में देशों ने बल प्रयोग करने की बात कही है ; उनमें अधिकांश अफ्रीकी और एशियाई राज्य सम्मिलित हैं ।

(ख) ब्रिटेन के अनुरोध पर आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक में 9 अप्रैल को रोडेशिया के प्रश्न पर विचार-विमर्श हुआ था। भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत ने 24 सदस्यों की उपनिवेशवाद विशेष समिति के सदस्य की हैसियत से 21 अप्रैल 1966 को समिति के तमाम अफ्रीकी और एशियाई सदस्यों के साथ एक प्रस्ताव सह प्रस्तुत किया, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र के सातवें परिच्छेद में निहित निर्देशक व्यवस्था को लागू करना चाहिए। वह प्रस्ताव 19 समर्थक वोटों से पास हो गया और शेष पांच सदस्यों ने—आस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका—इसके विरुद्ध वोट दिए।

सुरक्षा परिषद् में काश्मीर विवाद

5002. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बडे :
श्री श्रीनारायण दास :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में काश्मीर विवाद को एक बार फिर से उठाने की पाकिस्तान की मंशा के बारे में 12 अप्रैल, 1966 को ढाका में पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कश्मीर के विषय पर भारत की स्थिति संसद और सुरक्षा परिषद में कई बार बताई गई है। केवल इस तथ्य से, कि पाकिस्तान सरकार इस मसले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने के प्रश्न पर विचार करती है, उस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ सकता अगर पाकिस्तान इस मसले को संयुक्त राष्ट्र में उठाता ही है तो सरकार उस स्थिति पर कार्रवाई करेगी।

भारत-पाकिस्तान शिखर सम्मेलन

5003. **श्री किशन पटनायक :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधू लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस में एक अन्य भारत-पाकिस्तान शिखर सम्मेलन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

"हू सफर्स" ("किस को हानि होती है") सम्बन्धी वि ापन

5004. डा० सारादीश राय : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केवल पूर्वी भारत के अनेक समाचारपत्रों (अंग्रेजी तथा देशी भाषाओं, दोनों के) में "हू सफर्स" ("किसको हानि होती है") तथा "राशनिंग इन वेस्ट बंगाल" ("पश्चिमी बंगाल में राशन") शीर्षकों से 6 अप्रैल, 1966 तक कुछ विज्ञापन दिये गये थे,

(ख) यदि हां, तो उन समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं और विज्ञापन कुल कितने स्थान में थे तथा उन पर अनुमानत: कितनी राशि खर्च हुई,

(ग) क्या ये विज्ञापन पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुरोध पर तथा पिछले 6 अप्रैल को "बंगाल बन्द" की अपील के पहले की निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से दिये गये थे, और

(घ) यदि हां, तो इनसे "बंगाल बन्द" की अपील पर क्या प्रभाव पड़ा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, हां।

(ख) "हू सफर्स" (किसकी हानि होती है) और "राशनिंग इन वेस्ट बंगाल" (पश्चिम बंगाल में राशन) नामक विज्ञापन कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले निम्नलिखित अखबारों को दिए गए :—

1. स्टैट्समैन
2. अमृत बाजार पत्रिका
3. हिंदुस्तान स्टैंडर्ड
4. आनन्द बाजार पत्रिका
5. जुगान्तर
6. बसुमती
7. जनसेवक
8. विश्वमित्र
9. सन्मार्ग
10. देश दर्पण
11. रोजाना हिन्द
12. आजाद हिन्द
13. लोक सेवक
14. विश्वबन्धु

इन विज्ञापनों ने कुल 19,219 कालम-इंच स्थान घेरा। इन पर कुल 1,80,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) : विज्ञापन पश्चिम बंगाल सरकार के निवेदन पर नहीं दिए गए थे। विज्ञापनों का उदेश्य समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों के विरुद्ध जनमत बनाना था। यह आवश्यक समझा गया था कि पश्चिम बंगाल में खाद्य वितरण के बारे में जनता के सामने सही तसवीर

रखी जाए और उन्हें बताया जाए कि सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट भ्रष्ट करने से क्या बुराई होती है। "हू सफर्स" (किसकी हानि होती है) विज्ञापन का उद्देश्य लोगों को यह समझाना था कि उपद्रव और हुल्लड़बाजी से, किसी को लाभ नहीं होता और जनता को ही तकलीफ और कठिनाई होती है। "राशनिंग इन वेस्ट बंगाल" (पश्चिम बंगाल में राशनिंग) विज्ञापन में राज्य में राशनिंग व्यवस्था के बारे में बताया गया था और इसका उद्देश्य लोगों के मन से यह भ्रान्ति दूर करना था कि, पश्चिम बंगाल से अन्याय किया जा रहा है और उसे यथेष्ट खाद्य सामग्री नहीं दी जा रही है। विज्ञापनों से उक्त लक्ष्यों की पूर्ति हुई।

चेकोस्लोवाकिया के विदेश उप-मंत्री तथा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत

5005. श्री फिरोडिया : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1966 में, चेकोस्लोवाकिया के विदेश उप-मंत्री और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चैकोस्लोवाकिया के उप-विदेश मंत्री ने भारतीय अधिकारियों के साथ जो बातचीत की थी, उसमें चैकोस्लोवाकिया और भारत के बीच संबंधों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी चर्चा हुई थी।

Explosion in Ordnance Factory at Kirkee

5006. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri Yudhvir Singh : **Shri Bade :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3505 on the 11th April, 1966 and state :

(a) the amount of financial assistance given by Government to the families of two persons who died and to two other persons who sustained injuries as a result of the explosion that occurred in the Ordnance Factory at Kirkee;

(b) whether the report of the enquiry held into this matter has been received ;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the time by which the same is likely to be received ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) to (d). A statement is laid on the Table [**Placed in Library, see No. LT-6260/66.**]

National Defence Fund

5007. Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Yudhvir Singh :**
Dr. L. M. Singhvi : **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the amount contributed in the National Defence Fund so far along with the ornaments, gold and silver;

(b) the amount out of it spent so far item-wise; and

(c) the amount spent on military personnel?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The contributions to the National Defence Fund received up to 30th April, 1966 are :

Cash	Rs. 77·48 crores*
Gold ornaments and articles . . .	24·67 lakh grammes.
Silver ornaments and articles . . .	15·65 lakh grammes.

(b) and (c). The item-wise expenditure from the Fund up to 30th April, 1966 is :

Purchase of Defence Equipment—Rs. 27·27 crores.

Welfare of the Jawans and provision of amenities to them through Citizens' Central Council Rs. 00.84 crores.

Grant of financial assistance to the dependents of those killed, disabled or reported missing. Rs. 00·33 crores.

Resettlement and rehabilitation of ex-servicemen. Rs. 4.35 crores.

Rifle Training to students through University Grants Commission and the Ministry of Education. Rs. 00·13 crores.

Total Rs. 32·92 crores.

Indian Embassy in South Korea

5008. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India would soon open an Embassy in South Korea ;

(b) if so, when; and

(c) the advantages Government would have thereby ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

*This includes a sum of Rs. 1·16 crores on account of the credit afforded to the Fund against gold and silver donated to the Fund, but taken over to Government stocks.

अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादकों का सम्मेलन

5009. श्री दे० शि० पाटिल :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादन सम्मेलन के १८ वें अधिवेशन में क्या विचार व्यक्त किये गये तथा क्या सुझाव दिये गये; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) 16 अप्रैल 1966 को पंचमढ़ी में अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के 18 वें वार्षिक अधिवेशन में अपनाये गये संकल्पों की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6261/66।]**

(ख) आवश्यक तथा संभव कार्यवाही के लिये संकल्पों के पाठ को ध्यान में रखा गया है।

राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन

5010. श्री बसवन्त :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय आय तथा सम्बन्धी अनुसन्धान संस्था ने केन्द्रीय सांख्यिकी संस्था से राष्ट्रीय आय के प्राक्कलनों के पुनरीक्षित आंकड़े प्रकाशित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारतीय राष्ट्रीय आय तथा धन अनुसंधान संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर वी० के० आर वी० राव ने 12 अप्रैल से 14 अप्रैल, 1966 तक अहमदाबाद में आयोजित संस्था के सम्मेलन में भाषण करते हुए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से राष्ट्रीय आय के अनुमानों की संशोधित अंकमाला के प्रकाशन को अन्तिम रूप में शीघ्रता करने का अनुरोध किया है।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन इस विषय में पहले से ही कार्यव्यस्त है।

भारी पा ी (हेवी वाटर) का निर्यात

5011. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री बसवन्त :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत नंगल भारी पानी संयंत्र में उत्पादित भारी पानी का संभरण करने की स्थिति में है और भारत ने बैल्जियम को 10 मीट्रिक टन भारी पानी भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी मात्रा में भारी पानी का निर्यात किया जा सकता है ; और

(ग) विदेशों में इसकी मांग का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : अभी भारत दूसरे देशों को भारी पानी बेच सकने की स्थिति में नहीं है। बैल्जियम को केवल 10 टन भारी पानी 3 वर्ष के लिये दिया गया है और यह राजस्थान तथा मद्रास विद्युत स्टेशनों के चालू होने से पहले ही वापिस मिल जायेगा। इन स्टेशनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रतिवर्ष 200 टन भारी पानी तैयार करने वाले एक संयंत्र को स्थापित करना आवश्यक पाया गया है।

सैनिक अभियन्ता सेवा (एम०ई०एस०) में इंजीनियरों के तबादले

5012. श्री हेम बरुआ : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० ई० एस० के कुछ इंजीनियरों ने, जिन्हें 1,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन मिलता है और जिन्हें कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता, दिल्ली में अपनी नियुक्ति के निर्धारित कार्यकाल से बहुत अधिक समय तक ठहरने की व्यवस्था कर रखी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे इंजीनियरों के मामले में, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता, इतनी लम्बी अवधियों के लिये बारी-बारी से तबादले से संबंधित नियम का पालन करवाने में कोई अपवाद न करने का है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, एम० ई० एस० के असैनिक अफसरों के लिए दिल्ली में कोई सेवावधि निर्धारित नहीं की गई है। जहां तक एम०ई०एस० के सेवाओं के अफसरों का संबंध है कोई भी अफसर किसी भी नियुक्ति में निर्धारित 4 वर्ष की निर्धारित अवधि से अधिक नहीं रह पाया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तदपि सरकार प्रशासनिक सुविधा को सामने रखते हुए कुछ असैनिक अफसरों के स्थानान्तरण के प्रश्न का निरिक्षण कर रही है।

पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास सम्बन्धी विशेष सेवा निधि (सर्विसिज फंड)

5013. श्री अ० व० राघवन :

श्री मनोहरन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास सम्बन्धी विशेष सेवा निधि के अन्तर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षत्रों को अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) इस निधि में से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये कितनी कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) इस निधि में से बकाया देय राशि शीघ्र दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) : राज्यों / संघीय क्षेत्रों को अलाट की गई और दी गई राशिएं दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6262/66।]**

(ग) उन राज्य सरकारों को जिन्हें ऐसे भाग दिए नहीं गए कहा गया है कि वह निधि के प्रशासन के लिए राज्य प्रबंधक समितियां शीघ्र स्थापित करें, कि उन के भाग उन समितियों के सचिवों को विमुक्त किए जा सकें।

Store Keepers in Air Headquarters

5015. Shri Prakash Vir Shastri : Shri S. M. Banerjee :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Daji :
Dr. L. M. Singhvi : Shri Priya Gupta :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the duties of Store-Keepers working in the Air Headquarters;

(b) the number of Store-Keepers appointed during July, 1965; and

(c) whether it is proposed to transfer the Unit Clerks who have been brought on regular strength to work as Store-Keepers in the Air Headquarters ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) Civilian Storekeepers employed at Air Headquarters are responsible for maintenance of records and for dealing with correspondence relating to forcasting requirements, preparation of draft indents for approval of concerned authorities and placing indents on authorised procurement agencies and progressing supplies.

(b) Nil.

(c) No, Sir.

Use of Hindi in Defence Offices

5016. Shri Prakash Vir Shastri : Shri Priya Gupta :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri S. M. Banerjee :
Shri Daji : Dr. L. M. Singhvi :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that work in all the offices under the Ministry of Defence is conducted in English;

(b) whether it is also a fact that non-English knowing persons in these offices are forced to do their work in English only;

(c) the steps taken by Government to introduce the use of Hindi in Official work in these offices; and

(d) the number of officer under his Ministry where the use of Hindi in official work has been introduced ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (d). In the matter of use of Hindi for official work, the offices of Defence Ministry are generally governed by instructions similar to those applicable to other Central Government Offices. These instructions provide for the use of Hindi for some purposes, e.g., correspondence with State which have adopted Hindi as their Official Language, replying in Hindi to communications received in Hindi, etc.

Truck Accident in Delhi Cantonment

5017. Shri Daji :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Priya Gupta :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one soldier was killed and three other persons were injured in a truck accident near the Supply Depot in Delhi Cantonment on the 16th April, 1966 ;

(b) whether the injured persons included any civilian employees also and

(c) the causes of the accident ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A.M. Thomas) : (a) There was no such accident on the 16th April 1966. However, on the 17th April, 1966, a 15 Cwt Service truck overturned near Supply Depot, Delhi Cantonment, resulting in the death of 1 jawan and injuries to 5 other jawans.

(b) No, Sir.

(c) A Military Court of Inquiry has been ordered. The cause of the accident will be known after the report of the Court of Inquiry becomes available.

Export of Radio Isotopes

5018. Shri Baswant :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total quantity of radio isotopes exported so far from India ; and

(b) the countries to which it has been exported and the value thereof ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). About 4·07 million millicuries of radio-isotopes valued at approximately Rs. 81,200/- were exported to Afghanistan, Algeria, Australia, Ceylon, France, German Democratic Republic, Ghana, Japan, South Korea, Pakistan, Philippines, Taiwan and Thailand, from 1961 to date.

आयुध कारखानों में उत्पादन लागत

5019. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में उत्पादन लागत कम करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या विभिन्न कारखानों में एक ही प्रकार वस्तुओं की उत्पादन लागत के अन्तर को समाप्त करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) शायद प्रश्न (तीसरी लोक सभा की पब्लिक एकाऊण्टस कमेटी द्वारा उनकी 48 वीं रिपोर्ट के पैरा 4.13 और 4.18 में उठाई आपत्तियों पर आधारित है। स्थिति यूं है कि जबकि आर्डनेन्स फैक्ट्रियों में कुछ मदों के उत्पादन की लागत, विशेषकर आपात स्थिति के जोर के कारण उत्पादित की गई मदों की लागत वाणिज्य में प्राप्य वैसी मदों की लागत से अधिक हैं, अधिकतर मदों के संबंध में आर्डनेंस फैक्ट्रियों में उत्पादन की लागत बहुत कम है। इसके अतिरिक्त मुख्यत: कई आर्डनेंस फैक्ट्रियों में संयंत्र और मशीनों के पुराना होने पर उत्पादन लागत अन्य देशों की तुलना में, मुकाबले में कम है, और कई हालतों में कम। तदपि उत्पादन लागत निरन्तर पुनरीक्षण अधीन रहती है कि यथा-संभव उसे कम किया जा सके।

(ख) आर्डनेंस फैक्ट्रियों में उत्पादन लागत कम करने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) विभिन्न कारखानों में उत्पादन का युक्तिकरण।

(2) पुराने संयन्त्र और मशीनों का पुनरावास और आधुनिकीकरण।

(ग) शायद यह प्रश्न (तीसरी लोक सभा) की पब्लिक एकाऊंटस कमेटी द्वारा उनकी रिपोर्ट के पैरा 4.1 और 4.12 में उठाई गई आपत्ति पर आधारित है, इस स्थिति को व्यक्त करते कि भिन्न कारखानों में निर्मित एक ही मद की उत्पादन लागत बहुत भारी अन्तर दर्शाती थी। अन्तर के कारणों की व्याख्या कर दी गई है, और पता चलेगा कि भिन्न कारखानों में उत्पादन लागत में भिन्नता निर्माण सुविधाओं में भिन्नता के कारण था। सरकार को वर्तमान क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग करना था, कि आवश्यक सप्लाई सुनिश्चित हो सके। इस लिए यह सदा ही संभव नहीं हो पाया कि आर्डर केवल उसी फैक्टरी तक सीमित रखे जाएं, जहां उत्पादन वित्तीय दृष्टि से अधिक लाभ कर था।

पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

5020. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 28 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2910 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 13 और 17 नवम्बर, 1965 को पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन किये जाने के बारे में सरकार द्वारा पाकिस्तान को भेजे गये विरोध पत्र का इस बीच उत्तर मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर मिला है और उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उलान बतोर में रिहायशी (रेजीडेंट) मिशन

5021. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 28 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2908 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उलान बतोर में एक रिहायशी मिशन खोलने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : उलन बाटोर में एक रिहायशी मिशन खोलने के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी

5022. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी के बारे में 28 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2906 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या इस बीच पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Requisition of Land for Defence Artillery at Jaisalmer

5023. Shri Tan Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a vast area of land is being requisitioned for the purpose of conducting training in defence Artillery at Jaisalmer;

(b) whether the residents of Jaisalmer have submitted a memorandum against the acquisition of this land and whetner any suggestions regarding alternative land have also been made there in; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) About 600 sq. miles of land which includes both State Government and private land, in Jaisalmer district of Rajasthan, is being acquired for a Field Firing Range and training of troops.

(b) Yes, Sir.

(c) The present site has been selected in consultation with and approval of the State Government after considering other alternative sites. The site has been selected keeping in view the need to cause as little dislocation to the civil population as possible. Government is however examining the representation and will give due consideration to the memorandum.

पाकिस्तान में ईसाईयों का उत्पीड़न

5024. श्री हरि विष्णु कामत : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी देशों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान में ईसाईयों के उत्पीड़न तथा उसके परिणामस्वरूप उनके भारत आने के बारे में प्रचार करने के लिये कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा पश्चिमी देशों की सरकारों और जनता पर इन प्रयासों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान में ईसाइयों पर अत्याचार होने और उसके परिणामस्वरूप उन ईसाइयों के भारत में आप्रवास करने के समाचार का विदेशों में प्रचार हुआ है और इसपर कुछ वर्गों को चिंता हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डा० भाभा के नाम पर अणुशक्ति संस्थान का नामकरण

5025. श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मौंट ब्लैंक पर हुई विमान दुर्घटना में मारे गये महान अणु शक्ति वैज्ञानिक की स्मृति में अणु शक्ति संस्थान का नाम डा० एच० जे० भाभा अणु शक्ति अनुसन्धान केन्द्र (डा० एच० जे० भाभा सेन्टर आफ न्यूक्लियर रिसर्च) रखने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह भी एक सुझाव है कि तारापुर में भारत के प्रथम अणु बिजली घर का नाम, जो 1968 में चालू हो जायेगा, डा० भाभा के नाम पर रखा जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : जी हां। डा० होमी जे० भाभा की स्मृति में परमाणु ऊर्जा संस्थान, ट्राम्बे का नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र रखने का निर्णय किया गया है। तारापुर परमाणु बिजली घर का नाम, उनके नाम पर रखे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चलचित्रों में चुम्बन

5026. श्री हेम बरुआ : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय चलचित्रों में चुम्बन करने की अनुमति देने के हेतु वर्तमान चलचित्र सेन्सर नियमों में उपयुक्त संशोधन करने का निश्चय किया है,

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है, और

(ग) सरकार किन कारणों से यह कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठते।

इंडियन मिलिटरी एकेडेमी देहरादून में दाखिला

5027. श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लगभग सभी राज्यों में उच्चतर माध्यमिक प्रणाली आरम्भ कर दी गयी है तथा इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया है, क्या सरकार का

विचार इण्डियन मिलिटिरी एकेडेमी, डेहरादून में दाखिले के लिये निर्धारित योग्यता को इंटरमीडिएट से घटाकर उच्चतर माध्यमिक स्तर करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) इस समय उपरोक्त एकेडेमी में दाखिला पाने के लिए आयु सीमा तथा अन्य शर्तें क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं। परन्तु उन राज्यों में जहां इंटरमीडिएट समाप्त कर दी गई है उच्चतर माध्यम के पश्चात कालिज में पहले वर्ष में उत्तीर्णता को, भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट के समतुल्य मान लिया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय अकादमी में सीधे अतकनीकी असैनिक प्रविष्टि के लिए आयु सीमाएं और अन्य शर्तें यह हैं :—

आयुसीमाएं —जिस मास में कमीशन से पूर्व का प्रशिक्षण आरंभ होना हो उसकी पहली तिथि को 18 से 21 वर्ष ।

शिक्षा अर्हताएं —किसी मान्य भारतीय विश्वविद्यालय या बोर्ड की इण्टरमीडिएट या समतुल्य परीक्षा ।

डाक्टरी सक्षमता—"ए 1" श्रेणी अर्थात् सभी प्रकार से संसार के किसी भी भाग में सेवा करने योग्य ।

अणु शक्ति विभाग द्वारा आरम्भ की गई नई परियोजनायें

5028. श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु शक्ति विभाग ने इसी वर्ष में देश में किरणीयन (इर्रेडियेशन) प्रयोगशाला जैसी अनेक नई परियोजनायें आरम्भ करने की कुछ योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप दिये जाने वाली योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और वे कौन कौन सी परियोजनायें हैं तथा उनमें कितना विदेशी सहयोग प्राप्त है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) खाद्य किरणीयन और उपयोगीकरण प्रयोगशाला के अतिरिक्त इस वर्ष निम्नलिखित नई महत्वपूर्ण प्रायोजनायें कार्यान्वित करने का विचार है :—

(i) यूरेनियम आक्साइड संयंत्र

(ii) सिरामिक ईंधन निर्माण संयंत्र

(iii) ज़रकोनियम संयंत्र

(iv) भारी पानी संयंत्र

(v) इलैक्ट्रोनिक फैक्टरी

(vi) राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन (दूसरा यूनिट)

(vii) मद्रास परमाणु विद्युत स्टेशन

(viii) सेंटौर ध्वनि राकेटों और उनके लिये प्रणोदकों का निर्माण

(ix) अन्तरिक्ष विज्ञान तथा टैक्नोलौजी केन्द्र

(x) प्रायोगिक उपग्रह संचार भू-केन्द्र

यूरेनियम आक्साइड, सिरामिक ईंधन निर्माण, ज़रकोनियम और भारी पानी संयंत्रों के सफलतापूर्वक निर्माण तथा चालू होने से देश पूरी शक्ति से न्यूक्लीय शक्ति कार्यक्रम आरम्भ कर सकेगा ।

इलैक्ट्रानिक्स फैक्ट्री में न्यूक्लीय विद्युत स्टेशनों तथा अनुसंधान संस्थाओं के लिये मुख्यत: आवश्यक उपकरण और अंगों का उत्पादन होगा ।

राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन (दूसरा यूनिट) और मद्रास परमाणु विद्युत स्टेशन, जिसमें क्रमश: 200 मैटावाट और 400 मैटावाट बिजली का उत्पादन होगा, मुख्यत: भारतीय इंजीनियरों द्वारा कनाडा से, परमाणु ऊर्जा विभाग और एटामिक एनर्जी आफ कनाडा लिमिटेड के साथ हुए तकनीकी सहयोग करार के अन्तर्गत प्राप्त मूल डिजायनों का प्रयोग करते हुए स्थापित किया जायेगा । इन प्रायोजनाओं पर होने वाले व्यय के लिये वित्तीय सहायता क्रमश: कनाडा और फ्रांस से मिलने की आशा है ।

सेन्टौर राकेटो और प्रणोदकों का निर्माण

परमाणु ऊर्जा संस्थान, ट्राम्बे की वर्कशाप में फ्रांस की मैसर्स सूद ऐविएशन के लाइसेन्स के अन्तर्गत सेन्टौर ध्वनि राकेटों का निर्माण शुरू किया जा रहा है । थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र के समीप राकेटों में ईंधन के लिये प्रणोदकों का उत्पादन करने के लिये एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है । प्रणोदक निर्माण के लिये तकनीकी जानकारी और संयंत्र की स्थापना के लिये तकनीकी सहायता फ्रांस सरकार द्वारा दी जायेगी ।

अन्तरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलौजी केन्द्र

थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र के समीप स्थापित किये जाने वाले अन्तरिक्ष विज्ञान तथा टैक्नोलौजी केन्द्र में (क) विभिन्न प्रकार के राकेटों और आयभारों के डिजायन तथा निर्माण कार्य के लिये अनुसंधान तथा विकास सुविधायें प्रदान करना (ख) टलीमिटरी मार्ग का पता लगाना समय आंकडों का प्रक्रमण और संचार सुविधाओं का विकास तथा विस्तार करना (ग) अंगों और पद्धतियों का मूल्यांकन तथा परीक्षण करना इत्यादि, होंगे । विभाग ने इस प्रायोजना के लिये सलाहकार के रूप में एक जापानी राकेट विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त कर ली हैं ।

प्रायोगिक उपग्रह संचार भू-केन्द्र

यह केन्द्र उपग्रह संचार के लिये अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कक्ष में उपग्रहों के मार्ग का पता लगाने, व्यवहारिक परीक्षणों में भाग लेने, उपग्रह संचार तकनीकों में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान करने का कार्य करेगा । यह केन्द्र राष्ट्र संघ के स्पेशल फंड से प्राप्त तकनीकी तथा वित्तीय सहायता से स्थापित किया जा रहा है ।

राकेट और अन्तरिक्ष अनुसन्धान

5029. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु शक्ति आयोग ने राकेट और अन्तरिक्ष अनुसन्धान कार्यक्रम तथा संचार के लिये लेसर बीम के प्रयोग के लिये कुछ योजनाएं अन्तिम रूप से तैयार कर ली हैं;

(ख) क्या सेन्टौर राकेटों के लिये ठोस प्रणोदक (सालिड प्रोपलैंट) बनाने वाला कारखाना भी इसी वर्ष स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) सेन्टौर राकेटों के प्रणोदक (प्रोपलैंट) बनाने वाले कारखाने का निर्माण कार्य इस वर्ष शुरू होगा और आशा की जाती है कि यह आगामी वर्ष तक पूरा हो जायेगा।

(ग) अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के साथ साथ, ये कार्य भी शामिल हैं (i) राकेटों की सहायता से ऐक्स-रे खगोल-विज्ञान सम्बन्धी परीक्षण (ii) गतिज तथा वायुमण्डलीय रचना संबंधी अध्ययन (iii) डी तथा ई क्षेत्रों और चलायमान ई का अध्ययन तथा इलैक्ट्रोजट के साथ इसके संबंध (iv) तटस्थ हवाओं और इलक्ट्रान घनत्व पार्श्विका के मध्य संबंध का अध्ययन (1) उपग्रहों के माध्यम से संचार तकनीक का विकास।

राकेट अनुसंधान कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के आयभारों, भूमि आलम्ब सुविधाओं और साधनों तथा राकेट-बोर्न इलैक्ट्रानिक और अन्य उपकरणों के डिजायन तैयार करने, उनके विकास तथा निर्माण का कार्य शामिल है। विभाग ने एक जापानी विशेषज्ञ, जिसे व्यक्तिगत हैसियत से नियुक्त किया गया है, के निर्देशन में भारतीय डिजायन तथा विशिष्ट विवरण के मौसम विज्ञान तथा साऊंडिंग राकेट बनाने का एक कार्यक्रम बनाया है।

लेसर बीम को बहुसरणि संचार तथा आरेखन के लिये प्रयोग में लाने की योजना विचाराधीन है।

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के लोग

5030. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 11 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3521 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के लोगों (अधिकारियों तथा सैनिकों) को देय वेतन और भत्तों की एक करोड़ रुपये अथवा इसके लगभग की राशियों का अभी भुगतान करना शेष है ;

(ख) यदि हां, तो इन बकाया राशियों का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार बकाया राशियां चुकता देने का है ; और

(घ) यदि हा, तो कब ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जैसा कि 21 मार्च 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2494 के उत्तर में बताया गया है भूतपूर्व आय० एन० ए० सेविवर्ग बकाया कोई

वेतन और भत्ते दय नहीं हैं। कुछ अवधियों के उन के वेतन और भत्ते जब्त हो गए थे। बीते समय में उनके जब्त किए गए वेतन और भत्तों की बहाली के प्रश्न पर सरकार द्वारा ध्यान किया गया है, परन्तु ऐसा स्वीकार नहीं किया गया।

(ख) से (घ) : उपरोक्त स्थिति को सामने रखते, यह प्रश्न नहीं उठते।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में क्रय (पर्चेज़) अधिकारी का पद

5031. श्री नरदेव स्नातक : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में हाल ही में एक क्रय-अधिकारी नियुक्त किया गया है;

(ख) क्रय-अधिकारी के कर्त्तव्य क्या हैं; और

(ग) क्या इस मंत्रालय में अन्य अधिकारी भी हैं, जिन्हें ऐसी खरीद करनी पड़ती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इस मंत्रालय में पहले जो क्रय अधिकारी था वह 1962 में नियुक्त किया गया था। 1965 में उसकी मृत्यु हो जाने पर, संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से दूसरा क्रय अधिकारी नियुक्त किया गया।

(ख) उसका काम उन सभी उपकरणों और चीजों को थोक में खरीदना है जिनकी जरूरत मुख्यालय और हमारे विदेश-स्थित मिशनों में पड़ती है।

(ग) विशिष्ट व्यक्तियों के लिए उपहार खरीदने के काम के अलावा, जो प्रोटोकोल प्रभाग खरीदता है, इस मंत्रालय की ओर से सारी खरीदारी क्रय अधिकारी ही करता है।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में सहायक

5032. श्री नरदेव स्नातक : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में भारतीय विदेश सेवा (ख) (सहायक) की सामान्य पदावलि में स्थायी ग्रेड 4 के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें सहायक के रूप में काम करते हुए 15 से लेकर 20 वर्ष तक हो चुके हैं;

(ख) उन्हें अब तक सेक्शन ऑफिसर के पद पर पदोन्नत न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) अपनी पदोन्नति की आशा वे कब कर सकते हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) आजकल भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के वर्ग iv में ऐसे 138 स्थायी अधिकारी हैं जिन्होंने सहायक के रूप में 15 से 20 वर्ष तक सेवा की है; इसमें वह सेवा भी सम्मिलित है जो उन्होंने भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त होने से पूर्व समान वर्गों में की है।

(ख) इन अधिकारियों की निम्नलिखित कारणों से तरक्की नहीं की जा सकी :

(1) सेक्शन अफ़सर वर्ग में रिक्तियों की सीमित संख्या; और

(2) इन में से अधिकांश अधिकारियों की तरक्की पर विचार किया गया था लेकिन वे योग्य नहीं पाये गये और अन्य अधिकारी अभी इतने वरिष्ठ नहीं हैं जिनके विषय में विचार किया जा सके।

(ग) इन अधिकारियों की तरक्की रिक्त स्थानों के सुलभ होने तथा उनकी योग्यता और वरिष्ठता पर निर्भर करती है।

असमर्थ हो गये सैनिकों को रोजगार दिलाना

5033. **श्री राम हरख यादव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर चीन द्वारा किये गये आक्रमण के पश्चात् असमर्थ हो गये सैनिकों को रोजगार दिलाने के लिये एक व्यापक योजना बनाने के लिये सरकार ने एक तालिका बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत हो जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं। तदपि निर्योग्य सैनिक सेविवर्ग के पुनरावास के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। ऐसे उपायों के संबंध में सूचना 21 फरवरी के अतारांकित प्रश्न संख्या 522 और 531 और 14 मार्च 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2075 और 2110 के उत्तर में सभा को दी गई थी।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

प्रतिरक्षा क्लब

5034. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक अधिकारियों के लिये मनोरंजन तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये देश में विभिन्न स्थानों पर प्रतिरक्षा क्लब खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है;

(ग) इस समय देश में कितने प्रतिरक्षा क्लब हैं; और

(घ) अगले दो वर्षों में कितने क्लब खोले जायेंगे तथा कहां कहां पर ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (घ) : डिफेन्स क्लब विभन्न स्थानों पर स्थानीय प्रबंध में चलाए जा रहे हैं, और उन की संख्या ज्ञात नहीं है, ऐसे क्लब स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पाकिस्तान चले गये मिज़ो लोग

5035. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 25 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1320 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपनी उस प्रार्थना के बारे में पाकिस्तान से कोई उत्तर मिल गया है कि वह उन सब मिज़ो राष्ट्रजनों को रोक ले, जो हाल में पूर्वी पाकिस्तान चले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में पाकिस्तान सरकार का क्या रवैया है; और

(ग) क्या हाल में पूर्वी पाकिस्तान चले गये मिज़ो लोगों की संख्या के बारे में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : पाकिस्तान सरकार ने कानून तोड़ने वाले उन मीज़ो लोगों को बंदी बनाने की हमारी प्रार्थना का अभी उत्तर नहीं दिया है जो संभवत: सीमा पार कर पूर्व पाकिस्तान में चले गए थे।

(ग) सीमा पार कर पूर्व पाकिस्तान में जाने वाले मीज़ो लोगों की संख्या का पक्का अनुमान लगाना संभव नहीं हो सका है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

संयुक्त राज्य अमरीका के केन्द्रीय गुप्तवार्ता अभिकरण द्वारा भीतरी आणविक शक्ति के विषय में जासूसी किये जाने का समाचार

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon.

"Reported spying by the Central Intelligence Ageney of the U.S.A. on India's Nuclear Energy Capacity".

वक्तव्य

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमन्, सरकार के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे संयुक्त राज्य अमरीका की सैंट्रल इन्टैलिजेंस एजेंसी द्वारा भारत की आण्विक शक्ति पर जासूसी के आरोप की सूचना का समर्थन हो सके। यह बात संसद में बार-बार स्पष्ट कर दी गई है कि हम अपनी आणविक शक्ति को केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिये ही विकसित करना चाहते हैं। फिर भी, मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहुंगा कि हमारे आणविक निर्माणों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिये सभी सम्भव उपाय किये गए हैं और इन उपायों की लगातार पुनरीक्षा की जाती है। इन निर्माणों को संरक्षित स्थान घोषित किया गया है और इनमें प्रवेश का कड़ाई के साथ नियंत्रण किया जाता है। परमाणु ऊर्जा संस्थान जैसे नाजुक सरकारी संगठनों में नियुक्ति कर्मचारियों की विश्वासनीयता की सावधानी पूर्वक जांच के बाद की जाती है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा संस्थान के अधीन सेवा में नियुक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति को इस आशय के एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं कि उसने सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 5 की व्यवस्थाओं को पढ़ लिया है, और फिर सेवा छोड़ने से पूर्व उसे पुन: एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं, जिसमें वह घोषित करता है कि वह यह समझता है कि परमाणु ऊर्जा संस्थान में सेवा करते समय प्राप्त की गई सूचना के बारे में सरकारी गोपनीयता अधिनियम उस पर भविष्य में भी लागू रहेगा। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक के दर्जे का एक पुलिस अधिकारी संस्थान के सुरक्षा अधिकारी के पद पर पूर्णकालिक रूप से नियुक्त है। माननीय सदस्य इन उपायों की पर्याप्तता तथा सशक्तता के बारे में इस तथ्य से अनुमान लगा सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा संस्थान से भेद फुटने के संदेह का एक भी मामला नहीं हुआ।

परमाणु ऊर्जा संस्थान की पूरी-पूरी सुरक्षा रखने के लिये इन सावधानियों को जारी रखा जायगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उन्होंने पहले भी एक वक्तव्य दिया था। दोनों में से कौन सा ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह वही वक्तव्य है या और कोई ?

श्री नन्दा : केवल थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Is the hon. minister aware that research in atom for peace has advanced so much that in many countries, especially in America, it is being used for constructing roads in hilly areas, at a lower cost. But in this quest, the atom bomb takes precedence. Secondly, the people sent by the Centre for the studies of Democratic Institution to Vietnam are doing spying work for America.

Mr. Speaker : I feel that the reply to most of the questions by the Home Minister would be that it was not in public interest to reply to this question. If the hon. Members permit me, they might put the questions, make the comments and give the suggestions, and in the end the Home Minister might be permitted to give the statement, instead of replying to each and every question.

Dr. Ram Manohar Lohia : Is he still satisfied that Americans do not have information about us, despite the two facts mentioned by me.

Mr. Speaker : What can he say about it.

Dr. Ram Manohar Lohia : He can, at least, say whether he is aware of it or not, after all he is the Home Minister.

श्री नन्दा : मैंने इस विषय पर कुछ साहित्य पढ़ा है जैसे न्यूयार्क टाइम्स ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to draw the attention of the hon. Minister to the five articles published in New York Times. About 15 thousand persons are doing spying work on behalf of C.I.A. In several countries 75 per cent of the diplomatic personnel are engaged in this work. Therein a list of allegations against the C.I.A. has been given. Some of them are regarding Indian policy.

1. Plotting the assassination of Jawahar Lal Nehru of India.

2. Provoking the 1965 war between India and Pakistan.

Finishing off a general of India and "Murdering Patrice Lumumba in the Congo" has also been mentioned. We are very well aware of the efficiency of our intelligence department. They couldn't even detect the presence of infiltrators in Kashmir.

I have got a memorandum from a melon seller, which reads

"Memorandum to His Excellency Mr. Liu Shaw-Chi, Chairman of the People's Republic of China." In the end it is written :

"We are your Excellency's most oppressed neighbours." I would read a sentence and finish my speech.

"हम आपको और महान चीनी जनता को भारतीय आक्रमणकारियों का दमन करने के लिये दी गई सहायता के लिये अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं । इससे चीन के साथ हमारी मित्रता और भी अटूट हो गई है और यह हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जायेगी ।"

Shri Tyagi (Dehradun) : Where is it being distributed ?

Shri Madhu Limaye : Here in Delhi. I am placing it on the Table of the House.

Mr. Speaker : Please ask the question.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether our Intelligence Deptt. would be asked to investigate and exercise more vigilance.

श्री नन्दा : हम इस सूचना को ध्यान में रखेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : न्यूयार्क टाइम्स में कई लेख छपे हैं और उनमें दी गई सी०आई०ए० के सम्बन्ध में कई बातें सच निकली हैं । न्यूयार्क टाइम्स में छपे एक लेख में यह भी बताया गया है कि सी०आई०ए० के ऐजेन्टों के पास ऐसे यन्त्र हैं जिनकी सहायता से वे किसी घर की बिजली की तारों द्वारा खबरें प्राप्त कर सकते हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार की जासूसी के विरुद्ध क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री नन्दा : कई दिनों से में अणु शक्ति संस्थापन के निदेशक और अधिकारियों तथा अपने गुप्तवार्ता विभाग के साथ यहां दी गई सूचना के सम्बन्ध चर्चा कर रहा हूं ।

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda) : Are there any Americans in the Atomic Energy Establishment ?

श्री नन्दा : वहां कोई अमरीकी काम नहीं करते हैं ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : क्या हमारे नाभिकीय संस्थापनों की सुरक्षा का भार संस्थापन पर होता है अथवा केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग पर ?

श्री नन्दा : यह भार दोनों पर है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : क्या गृह मंत्री ने अमरीका के राजदूत से इस सम्बन्ध में बातचीत की है क्योंकि ऐसी बातों से सद्भावना के कम होने की आशंका है जो कि पहले ही बहुत कम है ?

श्री नन्दा : जी नहीं, मैंने अमरीका के राजदूत से कोई बातचीत नहीं की है ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The hon. Minister should not time and again say that we are producing atomic energy for peaceful utilization.

श्रीमती रेणू चक्रवर्ती (बैरकपुर) : गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि परमाणु उर्जा संस्थान से भेद फूटने के संदेह का एक भी मामला नहीं हुआ है । इस बात को देखते हुए कि जासूसी का जाल बहुत विस्तृत है और सांस्कृतिक संगठनों का भी इस कार्य के लिये उपयोग किया जा रहा है, क्या सरकार को विश्वास है कि हमारा गुप्तवार्ता विभाग इस समस्या को सुलझाने के लिये सक्षम है ? क्या उन्हें विश्वास है कि सी०आई०बी० देश में जासूसी के कार्य को रोक सकता है ?

श्री नन्दा : मै माननीय मंत्री से सहमत हूं कि हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए ।

Shri S. M. Banerjee : Has the attention of the hon. Minister drawn to this fact that espionage activities are also carried through Indians by paying them money. If so, what steps have been taken to counteract it ?

Shri Nanda : We are keeping all these things in view.

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : क्या सरकार का ध्यान न्यूयार्क टाइस में छपे उस लेख की ओर गया है जिसमें यह बताया गया है कि अमरीका के केन्द्रीय गुप्तवार्ता अभिकरण को अमरीका की अदृश्य सरकार बताया है जिसने कई सरकारों के तख्ते उलट दिये, क्यूबा पर हमला करवाया और 1950 के मध्य में शक्तिशाली जवाहर लाल नेहरु की सरकार को पलटने का भी प्रयत्न किया गया था। इस लेख में एलेन डलेस के बारे में यह कहा गया है कि वह भारत के नाभिकीय कार्यक्रम के बारे में सूचना एकत्र न कर सका। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने इन लेखों में छपी सभी बातों को पढ़ा है ?

श्री नन्दा : जी हां।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Have any of the employees been found engaged in suspicious activities even after taking the oath ? And has any of the employees been dismissed ?

Shri Nanda : I think no such occasion has arisen.

श्री अल्वारिस (पंजिम) : इस बात को देखते हुए कि सी०आई०ए० के एजेन्ट उन तरिकों को अपनाते है जिनको गृह-कार्य मंत्री कल्पना भी नहीं कर सकते, क्या मैं जान सकता हूं कि अमरीकी दूतावास के महत्वपूर्ण कर्मचारियों पर निगाह रखी जा रही है ?

श्री नन्दा : मैने पहले ही कह दिया है कि हम हर तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ अमरीकी समाचार पत्रों में यह भेद खोला गया है कि सी०आई०ए० के एजेन्ट, न केवल अपने देश के, बल्कि अन्य देशों के विश्व-विद्यालयों में काम कर रहे हैं, सरकार ने इण्डो-यू०एस०फाउन्डेशन में इस प्रकार की जासूसी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : हम इस प्रकार की कार्यवाही न होने देंगे।

श्री हेम बरुआ : प्रश्न यह है कि क्या सरकार इन गतिविधियों को रोकने में समर्थ है, चूंकि अमरीका आर्थिक सहायता द्वारा ऐसे कार्य करता है।

विशेषाधिकार का प्रश्न
POINT OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to raise a point of order against the Prime Minister under article 105 of the Constitution and Rule 224. You had admitted a calling Attention Notice on 29th April regarding famine condition and deaths due to starvation in Orissa. Although the Food Minister had promised to be present on the day, yet he was not present there. Later on he wrote a letter which was read by you in the House, in which he apologised. According to a news published in a daily 'Sakal' from Poona, Mr. Subrahmanian had gone to Jalna on the advice of tne Prime Minister. She had directed him to go to Jalna and get food from the farmers.

Mr. Speaker : I would like to know whether the news published was correct or not.

Shri Madhu Limaye : I beg to submit that the Prime Minister and Food Minister have disregarded tne Lok Sabha by giving such advice. Therefore, I wish it to be entrusted to the Committee on Privileges.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : What we are to find out is as to whether these words were actually said or not because if the Prime Minister says that she did not say these words, no newspaper would assert that she said so.

Mr. Speaker : Should I believe the news items inspite of the fact that the Prime Minister refuses for having said so ? When I got the notice I asked the Prime Minister about it and she told me that she didn't say so.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : She is sitting there. Let her speak.

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : उठती हैं— (व्यवधान)

Mr. Speaker : I am sorry that no standard of the House is being maintained. I asked the Prime Minister about it and she replied that she did not use these words. Now some of the members are saying that she is telling a lie. Even in some ordinary member says so some courtesy should be shown to him. Evens if Dr. Ram Manohar Lobia had said so. I would not have dared say that he is telling a lie. Every Member should be respected and whatever he says should be taken to be true. Now I would ask the Food Minister whether he said tnese word?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं यह स्पष्ट रुपसे कहता हूं कि जिन शब्दों के बारे में यह कहा गया है कि प्रधान मंत्री ने कहे थे वह उन्होंने नहीं कहे थ । वास्तव में हुआ यह था कि जब मैने उनसे इस बारे में सलाह ली तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष की और अध्यक्ष द्वारा सभा की इजाजत ले लूं । इसी लिये मैं आपसे मिला और आपको पत्र भी लिखा । जालना में मैंने यह कहा था कि मुझे संसद् में वक्तव्य देना था परन्तू इसके महत्व को देखते हुए मैंने प्रधान मंत्री की आज्ञा भी ले ली है और अध्यक्ष महोदय से पत्र द्वारा क्षमा याचना भी कर ली है । मैं संसद् का सदस्य रह चुका हूं और मैं यह आश्वासन देता हूं कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे संसद् की शान को बट्टा लगे ।

Shri Madhu Limaye : The Food Minister has not repudiated what he said in Jalna, that is I have come here on the advice of the Prime Minister who has told that Lok Sabha will not provide food. You go to Jalna.

Mr. Speaker : He has clearly stated what he said and what the Prime Minister said. Now this matter must end here.

नियम 377 के अन्तर्गत प्रश्न
POINT UNDER RULE 377

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी स्वीकृति नहीं दी थी ।

श्री कपूर सिंह : क्या आप अपने स्वविवेक के अधिकार द्वारा साक्ष्य और तर्क को दबाना चाहते है जिससे यह पता चलता है कि आपने प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन किया ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार चर्चा नहीं कर सकते हैं। आप मेरे विरुद्ध नियमित रूप से प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वस्त्र आयुक्त के संगठन सम्बधी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से वस्त्र आयुक्त के संगठन--रूई, सूती वस्त्र तथा वस्त्र मशीन निर्माण-सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन (भाग 1) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 6253/66।]**

भारत स्थित चीन के दूतावास को दिया गया भारत सरकार का दिनांक 30 अप्रैल, 1966 का पत्र

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं विदेश मंत्रालय, पीकिंग द्वारा चीन स्थित भारत के दूतावास को दिये गये दिनांक 31 जनवरी, 1966 के नोट के उत्तर में भारत स्थित चीन के दूतावास को दिये गये भारत सरकार के दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के नोट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हुं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6254/66।]**

उपज उपकर विधेयक
PRODUCE CESS BILL

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) मैं उपज उपकर विधेयक, 1966 के साथ संलग्न प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन संबंधी एक विवरण सभा पटल पर रखता हुं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6255/66।]**

दिल्ली प्रशासन विधेयक
DELHI ADMINISTRATION BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन तथा तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : कुछ समय पहले जब तीन या चार सदस्यों ने संयुक्त समिति से त्यागपत्र दिया था तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या सदस्य रिक्तियों की पूर्ति के लिये प्रस्ताव कर सकते हैं; आपने कहा था "हां, अवश्य"; उसी दिन मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दी। उस पर कभी भी विचार नहीं किया गया और मुझे बताया गया कि इस प्रस्ताव पर कभी भी विचार नहीं किया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति की रिक्तियों की पूर्ति क्यों नहीं की गई ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा ।

साक्ष्य

श्री कृष्णमूर्ति राव : मैं दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन तथा तत्संबन्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक के बारे में संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

औद्योगिक लाइसेन्सीकरण नीति के उदार बनाये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : LIBERALISATION OF INDUSTRIAL LICENSING POLICY

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : जैसा कि सदन को पता है कि इस सदन में तथा बाहर दोनों ही जगह जनमत का प्रतिनिधित्व करने केवल कांग्रस के नेताओं ने ही नहीं अपितु अन्य दलों के नेताओं ने भी समय समय पर आर्थिक क्षत्र में विभिन्न नियंत्रणों को जारी रखने पर पुर्नविचार करने का सुझाव दिया है । प्रधान मंत्री ने भी हाल ही में एक से अधिक बार सरकारी नीति को यह कह कर स्पष्ट किया है कि नियंत्रणों को केवल वहीं रखा जाएगा जहां उनका रखना जनहित में होगा । अत: सरकार वर्तमान विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों पर पुर्नविचार कर रही है ।

2. जहां तक पिछले दो वर्ष में उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों का ताल्लूक है भारत सरकार ने कुछ ढील देने का फैसला किया है । सभी ऐसे उद्योगों को जिनकी स्थिर आस्तियां 25 लाख रु० से अधिक नही हैं 1964 में ही अधिनियम के लाइसेंसी करण की धाराओं से मुक्त कर दिया गया था तथा वर्तमान एककों के द्वारा कुछ नई वस्तुओं के उत्पादन के लिए ऐसी लाईसेंस प्रदत्त क्षमता जिसके लिए विदेशी मुद्रा न खर्च करनी पड़े के काफी विस्तार के लिए पिछले वर्ष छूट दे दी गई थी । अब कुछ और छूट देने की सम्भावनाओं पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही है ।

3. हालांकि लाइसैंसीकरण के तरीकों में समानता लाने के लिए प्रयत्न किए गए फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि लाइसस देने के तरीके से स्पष्टत: कुछ विलम्ब हो जाता है । ऐसे उद्योगों में जहां लाइसेंसीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना क्रियात्मक रूप से सम्भव हो वहां क्षमता की स्थापना के कार्य में तेजी आने की सम्भावना है । इस समय निजि क्षेत्र द्वारा पूंजी लगाने की धीमी सी स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि अतिरिक्त क्षमता की तेजी से स्थापना करने के कार्य को, विशेष रूप से प्राथमिकता के क्षेत्रों में सभी उचित प्रोत्साहन देना चाहिए । अत: यह निश्चय किया गया है कि निम्नलिखित उद्योगों को उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम की लाइसेंसीकरण की धाराओं से मुक्त कर दिया जाए ।

क्रम सं०	उद्योग	अनुसूचित उद्योग संख्या
1	लौह तथा इस्पात ढलाई तथा गढाई	1ए(3)
2	लौह तथा इस्पात के निर्मित ढांचे . . .	1ए(4)
3	बिजली की मोटरें (10 अश्व शक्ति से अधिक नहीं)	5(2)

[श्री संजीवय्या]

क्रम सं०	उद्योग	अनुसूचित उद्योग संख्या
4	लुग्दी, लुग्दी वाली लकड़ी, यांत्रिक तथा रसायनिक घुलनशील लुग्दी समेत	24(5)
5	पावर एल्कोहल	26(1)
6	विलायक निसारण तेल (सोलवेंट एक्ट्रैक्टिड आयल)	28(1)
7	सरेस तथा जिलैटिन .	32
8	कांच—खोखली वस्तुओं के अलावा	33(2), (3), (4), (5) तथा (6)
9	**चीनी मिट्टी की बनी वस्तुएं**	
	ताप सह ईंट . . .	34(1)
	धमन भट्टी में प्रयोग होने वाली ईंटें	34(3)
10	**सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद**	
	पोर्टलैंड सीमेंट . .	35(1)
	इन्सूलेटिंग बोर्ड, ...	35(3)
	जिप्सम बोर्ड, दीवारों के बोर्ड तथा इसी के समान अन्य वस्तुएं	35(4)
11	**इमारती लकडी के उत्पाद**	
	प्लाइवुड	36(1)

इस सूचि के तैयार करने में जिन आधारभूत बातों को दृष्टिगत रखा गया है वह यह हैं :—

(1) यह वह चीजें हैं जिनके लिए बहुत अधिक पुर्जों अथवा कच्चे माल का अधिक आयात नहीं होता है।

(2) ऐसे उद्योगों को छोड़ दिया गया है जिनमें लघु तथा गृह उद्योगों को संरक्षण देना महत्व पूर्ण है।

5. उपरोक्त सूचि किसी भी प्रकार से विस्तार पूर्वक नहीं बताई गई है। अत: उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम की अनुसूचि में समय समय पर अन्य वस्तुएं शामिल करने की घोषणा पर पुनर्विचार किया जाएगा। उपरोक्त चौथे पैराग्राफ में वर्णित कारणों के अलावा और सूचियां तैयार करने के लिए जिस बात पर विचार किया जायगा वह निर्यात हो सकने वाली चीजें के उद्योगों के विकास को बढ़ाने की जरूरत होगी।

6. यह सुझाव है कि उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम की लाइसेंसीकरण की धाराओं से केवल पैरा 3 में वर्णित सूचि के उद्योगों को ही मुक्त किया जाय। इनमें से किसी भी उद्योग को अब लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी इन उद्योगों को

अधिनियम की अनुसूची में दर्ज किया जाता रहेगा तथा अधिनियम की बाकी धाराओं में केन्द्रीय सरकार को मिले अधिकारों का प्रयोग होता रहेगा। विशेष रूप से केवल आंकड़ों के बारे में इन उद्योगों को अपने आप को तकनीकी विकास के महानिदेशालय में रजिस्टर कराना पड़ेगा।

7. अन्त में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लाइसेंसीकरण की आवश्यकता से मुक्त की यह घोषणा केवल प्रयोगात्मक है। यह सुझाव है कि इस विनियंत्रिकरण के कारण होने वाले प्रभावों का एक दो वर्ष बाद पुर्नअवलोकन किया जाय तथा आगे नीति निर्धारण करती बार इसको विचार में रखा जाय।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : माननीय मंत्री ने वचन दिया है कि अधिक संख्या में कारखानों पर से नियंत्रण हटाया जायेगा। जब भी नियंत्रण घटाया जाये, वक्तव्य दिया जाना चाहिये जैसा कि आज मंत्री महोदय ने किया है।

श्री संजीवया : हम इस सुझाव पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : क्या उद्योग विकास तथा विनियमन विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत लाइसेंस लेने के छूट सभी प्रकार की इमारती लकड़ी के लिए दी जायेगी अथवा केवल प्लाईवूड के लिए।

श्री संजीवैया : केवल प्लाईवुड के लिए।

सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में
RE : HEALTH OF A MEMBER
(श्री सरजू पाण्डेय)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नियमों के निर्वचन तथा प्रवर्तन के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं तथा अन्य सदस्यों सभा का ध्यान इस सभा के एक सदस्य श्री सरजू पाण्डेय की भूख हड़ताल की ओर दिलाते रहे हैं। जब श्री अ० क० गोपालन जेल में भूख हड़ताल पर थे तो गृह-कार्य मंत्री अथवा कोई अन्य मंत्री उनके बारे में सूचना दिया करते थे। इस मामले का सम्बन्ध पूर्णतया केन्द्रीय सरकार से है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। यह मामला इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : आपने नज़रबन्दों के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दिलाने की सूचना की अनुमति देने के लिए नियमों में ढील दी थी और हमने इसका स्वागत किया था क्योंकि हम समझते हैं कि जब इस सदन के सदस्यों की स्वास्थ्य का मामला हो, तो सभा का उस मामले से सम्बन्ध है। मैं आप से निवेदन करता हूं कि कम से कम श्री सरजू पाण्डेय के स्वास्थ्य के बारे में एक वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक उनके स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, निश्चय ही मैं जांच करूंगा और मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कहुंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : अच्छा होगा कि मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कहने की बजाय वहां एक डाक्टर भेजा जाये।

6—71 L. S./66

अध्यक्ष महोदय : श्री स० मो० बनर्जी इसे समाप्त नहीं कर रहे हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I would like to draw your attention to rule 389. This matter relates to the health of a member. It may be allowed to be raised under rule 389.

Mr. Speaker : Order, Order. Papers to be laid on the Table.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : भूख हड़ताल का आज ग्यारहवां दिन है। हम चाहते हैं कि जानकारी आज पांच बजे से पहले मिले।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि यथासम्भव शीघ्र जानकारी दें।

संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (NINETEENTH AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं श्री नन्दा की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं नियम 72 के अन्तर्गत विधेयक पुर:स्थापित करने का विरोध करता हूं। विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी कथन में कहा गया है कि अनुच्छेद 3 में संशोधन करना इस लिये उचित समझा गया है ताकि यह स्पष्ट किया जाये कि राज्यों में संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं।

10 सितम्बर, 1965 को मैं ने सभा में यह प्रश्न उठाया था कि अनुच्छेद के खण्डों के अन्तर्गत शब्द 'राज्य' में संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं। इस लिए, संशोधन द्वारा यह त्रुटि दूर की जानी चाहिये। उस समय श्री हाथी ने कहा था कि सामान्य परिभाषा अधिनियम के अन्तर्गत 'राज्य' में संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं। यदि ऐसा है तो इस संशोधन विधेयक की क्या आवश्यकता है।

श्री हाथी : हम संविधान में संशोधन द्वारा स्थिति बिलकुल स्पष्ट करना चाहते है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाला विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/The motion was adopted.

श्री हाथी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

केरल में राष्ट्रपति का शासन जारी रखने के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE : CONTINUANCE OF PRESIDENT'S RULE IN KERALA

अध्यक्ष महोदय : श्री हाथी द्वारा 6 मई, 1966 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा अर्थात् :

"कि यह सभा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 24 मार्च 1965 की उद्घोषणा को 11 मई, 1966 से छ: मास की अग्रेतर अवधि के लिए लागू रखे जाने का अनुमोदन करती है।"

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : हमें राष्ट्रपति के शासन के लागू होने को कम महत्व नहीं देना चाहिये। उसे केवल इस समय की कठिनाइयां दूर करने और एक कार्य साधना के मामले के रुप में लागू नहीं किया जाना चाहिये। लोकतन्त्रीय प्रक्रिया को उलटनेसे एक सच्चे लोकतन्त्रीवादी की भावना को अवश्य धक्का पहुंचेगा। सत्तारुढ़ दल को यह प्रभाव कभी नहीं पड़ने देना चाहिये कि जब भी उसे बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वह एकाधिकार वाला शासन लागू करना चाहता है।

हाल ही में पंजाब में राष्ट्रपति का शासन लागू करने की बात चली थी। वहां ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि वहां संविधान के अन्तर्गत काम नहीं चलाया जा सकता। किसी लोकतन्त्रात्मक संविधान की असफलता को एकतन्त्रात्मक शासन लागू करके सफलता में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई असफलता होती है तो हमें उसे सामूहिक असफलता के रुप में समझना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

जब भी राजनैतिक मतभेद होते हैं तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाये। यह गलत दृष्टिकोण है। राष्ट्रपति का शासन लागू करने के गम्भीर परिणाम हैं। विरोधी दलों के सत्तारुढ़ दल से मतभेद है इस लिए, वह प्रति दिन राष्ट्रपति का शासन लागू करने की मांग करते हैं। आशा है कि गृह-कार्य मंत्री इस बात को ध्यान में रखेंगे और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के मामले को कम महत्व नहीं दिया जायेगा।

श्री प० कुन्हन (पालघाट) : मैं केरल में राष्ट्रपति के शासन की अवधि के बढ़ाये जाने का विरोध करता हूं। केरल में जितनी बार राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है, उतनी बार किसी दूसरे राज्य में नहीं किया गया है। ऐसा सत्तारुढ़ दल के राजनैतिक हितों के कारण किया गया है। कांग्रेस वालों ने, जो लोकतन्त्र के मामले में बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, देश में, और विशेष रुप से केरल में लोकतन्त्र को समाप्त किया है।

1959 में केरल में साम्यवादी मंत्रि-मण्डल को हटाया जाना भारत में लोकतन्त्र पर पहला आघात है। तब लोगों के विश्वास को कांग्रेस ने उस लोकतन्त्रावाद से धक्का लगा था और 1965 की घटनाओं के कारण लोगों का उनमें विश्वास पूर्णतया समाप्त हो गया है।

1965 के चुनाव में साम्यवादी दल को अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना था। भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत साम्यवादी दल के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। साम्यवादी दल से कांग्रेस को सब से अधिक खतरा था। उसकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए जान-बूझकर ठीक चुनाव के समय उसके नेता गिरफ्तार कर लिए गये थे। उसी समय उन पर देशद्रोह अथवा चीन-समर्थक होने का दोष लगाया गया था। केरल के लोग गृह-कार्य मंत्री के धोके में नहीं आये और उन्होंने बड़ी संख्या में साम्यवादी दल को मत दिये। इससे वहां के लोगों की राजनैतिक जागृति का पता चलता है। गृह-कार्य मंत्री को केरल को लोगों से क्षमा मांगनी चाहिये।

सभी लोग जानते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू होने से लोगों की दशा सुधरने की बजाय और खराब हो गई है। राज्य में खाद्य की बिगड़ती हुई दशा से लोग बहुत चिन्तित हैं। वसूली की वर्तमान व्यवस्था भ्रष्ट है और जमाखोरों का पक्ष लिया जाता है।

[श्री प० कुन्हन]

केरल में उर्वरकों के ऋण के लिए वहां के हज़ारों कृषक खण्डो तथा सहकारी भण्डारों के ऋणी हैं। वहां छोटी और मध्यम सिचाई योजनायें बनाने की बहुत गुंजाइश है परन्तु इन साधनों का लाभ उठाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में सरकार बिलकुल असफल रही है। पानी के बिना उर्वरक देने का कोई लाभ नहीं है।

तृतीय योजना के दौरान केरल में कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। कोचीन में दूसरा जहाज़ निर्माण कारखाना बनाने का काम पिछले दस वर्षों से लटक रहा है। वर्तमान उद्योग बिजली की कमी के कारण या तो बन्द हो गये हैं या क्षमता से कम काम कर रहे हैं। बेकार लोगों को और कोई काम नहीं दिया गया है। हाल ही में सरकार ने केरल में वेतनमानों में वृद्धि की घोषणा की है। बड़े अधिकारियों के वेतनों में बहुत अधिक वृद्धि की गई है जब कि लोअर डिविज़न क्लर्कों, अपर डिविज़न क्लर्कों और अध्यापकों आ दि को केवल एक अथवा दो रुपये की वृद्धि की गई है। केरल में राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत समाजवाद का एक और कार्य है। सरकार को सामान्य चुनाव की प्रतीक्षा किये बिना केरल में चुनाव तुरन्त कराने चाहिये।

श्री श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं श्री हाथी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का विरोध करता हूं। केरल के लिए परामर्शदाता समिति की तीन चार बैठकें हुई हैं। उसकी शक्तियां उचित ढंग से बनाई जानी चाहिये ताकि वह प्रभावशाली ढंग से इन समस्याओं को हल कर सके।

सरकार की यह धारणा कि केवल स्पष्ट बहुमत वाले दल को ही सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिये, अब नहीं चल सकती। हमें कोई दूसरी प्रक्रिया अपनानी चाहिये ताकि राज्य के लोगों का प्रशासन के साथ सम्बन्ध हो। लोगों व्दारा चुनी गई केरल विधान सभा को राज्य सभा के सदस्य भी नहीं चुनने दिये गये और उसे समाप्त कर दिया गया। केरल को प्रतिनिधित्व देने का कोई अन्य तरीका अपनाना चाहिये।

पिछले कुछ वर्षों में केरल में राष्ट्रपति के शासन के अधीन प्रशासन दिन प्रति दिन बिगड़ता जा रहा है। उसके कई कारण हैं परन्तु मुख्य कारण यह है कि प्रशासन का भार सम्भालने के लिए सरकार ने ईमानदार तथा सक्षम अधिकारी नियुक्त नहीं किये हैं। मुख्य सचिव वहां के लोगों की भाषा नहीं जानते हैं। उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत नोटों पर हस्ताक्षर करने के लिए एक रबड़ की मुहर बना रखी है। उनका मुख्य उद्देश्य अधिक मात्रा में धन बचाना है। वहां का प्रशासन चलाने के लिये जो व्यक्ति भेजा गया है उसको जनसाधारण की भाषा नहीं आती है। वह व्यक्ति नौकरशाही में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। वह लोकतन्त्रवादी बनने को तैयार नहीं है और न ही वह लोगों की शिकायतें सुनने को तैयार हैं। उनका रवैया केरल के मजदूरों के हित में नहीं है।

भारत में केवल केरल ही एक राज्य है जहां पर बोनस अदायगी अधिनियम की धारा 36 का कठोर उपबन्ध लागू किया गया है। इस धारा के अन्तर्गत सरकार किसी भी मालिक को छूट दे सकती है।

एक परिवहन निगम को, जिस पर मुख्यतया सरकार का नियंत्रण है, बन्द कर दिया गया है। इसको बन्द करने से पूर्व लगभग 5,000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई थी। इसके विरुद्ध हमने गृह-कार्य मंत्रालय में शिकायत की थी कि इतने कर्मचारियों की छंटनी अवैध है परन्तु अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। फिर यह मामला उच्च न्यायालय में उठाया गया था। उसने निर्णय दिया था कि 150 मजदूरों की छंटनी अवैध है। सरकार ने इस निगम को अपने नियंत्रण में लेने के पश्चात वरिष्ठ मजदूरों के स्थान पर इन मजदूरों को रखा लिया गया जोकि कनिष्ठ थे। मंत्री महोदय को स्पष्ट करके बताना चाहिये कि यह सब कैसे हुआ।

हाल ही में समाचारपत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि एक पुलिस कर्मचारी के 10 वर्षीय लड़के को जोकि चौथी श्रेणी में पढ़ रहा है पूछताछ के लिये पुलिस स्टेशन में तीन दिन रखा गया

तथा उसके बहुत ही अमानवीय तथा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। उसके नाखूनों तथा मांस के बीच वाले खण्ड में पिन चुमाये गये और उसके शरीर को जलती हुई लकड़ियों से जलाया गया। उसके हाथ-पांव बांध कर कई घंटे उसे लटकाये रखा गया। शंका यह थी कि शायद उसने चोरी की है। न तो भारत के किसी भाग में और न ही विश्व के किसी भाग में सरकार द्वारा इस प्रकार के अमानवीय ढंग नहीं अपनाये जाते हैं।

जब नये राज्यपाल वहां पर भेजे गये थे तो आशा थी कि वह अपने अनुभव से केरल में प्रशासन चलाने वाले नौकरशाही के अधिकारियों को अपने नियंत्रण में कर लेंगे परन्तु ऐसा हो नहीं सका है।

केरल बन्द में विद्यार्थियों पर किये गये अत्याचारों के लिये पुलिस के विरुद्ध बहुत गम्भीर आरोप हैं। यद्यपि जांच करने का वचन दिया गया था परन्तु अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया है। जांच करने के लिये जो अधिकारी नियुक्त किये गये थे उनका कहना है कि वह जांच बन्द कमरे में करेंगे। इस बात को हुए चार महीने व्यतीत हो गये है और इस दौरान पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों के जितने भी प्रमाण थे उनको समाप्त कर दिया गया है। साक्षियों को या तो खरीद लिया गया है या धमकाया गया है अथवा बहकाया गया है। इसके बावजूद भी सार्वजनिक जांच की अनुमति नहीं दी गई है। मैं गृह-कार्य मंत्रालय को बता देना चाहता हूं कि यदि उनका रवैया यही रहा तो सरकार को अधिक गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : मुझे आशा थी कि विरोधी पक्ष के मेरे मित्र कुछ वैकल्पिक सुझाव देंगे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। राष्ट्रपति के शासन की अवधि बढ़ाये जाने के बारे में मुझे भी प्रसन्नता नहीं है परन्तु अन्य कोई वैकल्प भी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वहां पर लोकप्रिय सरकार न होने के कारण लोगों को बहुत कठिनाई है।

सभा द्वारा छः महीने पूर्व स्वीकार किये गये पिछले संकल्प के पश्चात से एक सलाहकार समिति कार्य कर रही है। इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं और केरल के सभी संसद्-सदस्य इस समिति के भी सदस्य हैं। परन्तु इस समिति के किसी एक सदस्य ने भी केरल में चुनाव कराने का प्रश्न नहीं उठाया है। पिछले चार अथवा पांच महीनों में इस समिति की तीन चार बार बैठक हुई है परन्तु किसी सदस्य ने किसी बैठक में भी चुनाव के प्रश्न को नहीं उठाया हैं।

पिछले चुनाव में किसी दल को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। किन्हीं दो दलों के मिलने से भी बहुमत नहीं बनता था। वाम पक्षी साम्यवादी दल के नेता श्री नम्बूदरीपाद ने राज्यपाल को बताया था कि उन्हें 133 सदस्यों में से केवल 61 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। राज्यपाल ने सभी दलों के नेताओं से बातचीत की थी। उनको पूरा विश्वास हो गया था कि केरल में एक स्थायी सरकार बनाना सम्भव नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन भेजा और राष्ट्रपति ने विधान मण्डल का विघटन करने की उद्घोषणा कर दी क्योंकि ऐसी स्थिति को अनिश्चित काल के लिये नहीं छोड़ा जा सकता था। इस समूचे मामले पर सभा में पूरा पूरा विचार किया गया था।

यदि सभी दल केरल में चुनाव कराना चाहते हैं तो तुरन्त चुनाव कराने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरा दल भी इस पर कभी आपत्ति नहीं करेगा। वह चुनाव के लिये तैयार है। मुझे यह भी आशा है कि हमारे दल को बहुमत प्राप्त होगा क्योंकि लोगों के रवैये में परिवर्तन हो गया है।

सलाहकार समिति के कार्य के बारे में मैं भी अधिक प्रसन्न नहीं हूं। मैं महसूस करता हूं कि अधिकारी वर्ग सलाहकार समिति तथा इस द्वारा लिये गये निर्णयों की अधिक परवाह नहीं करता है। इसके निर्णयों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है।

[श्री म णियंगडन]

लगभग 30,000 एकड़ भूमि में से लोगों को निकाला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस क्षेत्र का परियोजना तथा वन संरक्षण के लिये प्रयोग किया जाना है। उप-समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था। परन्तु अधिकारियों ने उस उप-समिति के प्रतिवेदन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की है।

सलाहकार समिति ने निश्चय किया है कि उन विद्यार्थियों के अलावा जिन्होंने गम्भीर हिंसात्मक कार्यवाही में भाग लिया था, शेष सभी विद्यार्थियों के मुकदमें वापस ले लिये जायेंगे। परन्तु इस सिफारिश को दबा दिया गया है और यह कहा गया है कि केवल तकनीकी अपराध के मुकदमें ही वापस लिये जायेंगे। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह स्वयं इन मामलों पर ध्यान दें।

कोट्टयम का होम्योपैथिक कालेज सरकार तथा विश्वविद्यालय के निदेशों के अधीन कार्य कर रहा है। इसका पाठ्यक्रम चार वर्ष का है और उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को डिग्री दी जाती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान कुछ अन्य संस्थाओं के विद्यार्थियों को भी इसी स्तर का बना दिया गया है। इससे कोट्टयम के विद्यार्थि बहुत क्षुब्ध हो गये हैं और वे आन्दोलन कर रहे हैं। मैं गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले पर ध्यान दें।

मत्स्य निगम से मछुओं का संगठन और उनके प्रतिनिधि बहुत चिन्तित हैं। उनका कहना है कि यह निगम उनके हितों के विरुद्ध कार्य करेगी। मछुओं का कहना है कि उनकी सहकार समितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इन सब चीजों पर तुरन्त ध्यान दे।

अराजपत्रित अधिकारियों ने हड़ताल की धमकी दी है। मैं हड़ताल के पक्ष में नहीं हूं परन्तु कुछ हद तक उनकी मांगे उचित हैं। इस मामले पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

अध्यापकों की उपलब्धियों के बारे में भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कालेज अध्यापकों की परिभाषा में जुनियर कालेजों के अध्यापकों को शामिल नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि गृह-कार्य मंत्री इन सब मामलों पर ध्यान देंगे।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : उद्घोषणा की अवधि बढ़ाने के लिये आने वाले मानसून वर्षा जैसे मामूली बहाने नहीं बनाये जाने चाहिये। यदि सरकार वास्तव में केरल में चुनाव कराना चाहती है और पुनः वहां पर लोकप्रिय सरकार स्थापित करना चाहती है तो मेरे विचार में इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिये।

मेरे विचार में इसमें केरल में चुनाव न कराने का एकमात्र कारण यही है कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है इस लिये वह उद्घोषणा की अवधि को बढ़ाना चाहते हैं ताकि शेष देश के साथ ही वहां पर भी सामान्य निर्वाचन करा सकें। मुझे विश्वास है कि केरल के लोग वहां पर लोक प्रिय सरकार स्थापित करने के लिये उत्सुक हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि केरल के लोग किसी एक राजनैतिक दल को ही सत्ता प्रदान करेंगे। जो कुछ भी हो केरल के लोगों को चुनाव में भाग लेने तथा वहां पर लोकप्रिय सरकार स्थापित करने के लिये अवसर दिया जाना चाहिये।

पिछली बार जब उद्घोषणा पर चर्चा हो रही थी तो श्री कामत ने आकड़ों से सिद्ध किया था कि यदि विरोधी दलों को अवसर दिया जाता तो वे वहां पर मिल कर सरकार बना सकते थे तथा वह कुछ हद तक स्थायी सरकार ही बनती परन्तु सरकार कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल को केरल में सरकार बनाने का अवसर नहीं देना चाहती। आज वह लोगों पर यह विश्वास करने के लिये भी तैयार नहीं हैं कि उन्हें बहुमत की सरकार स्थापित करने की अनुमति दें। इस लिये लोकतन्त्र का अर्थ केरल में कांग्रेस की सरकार बनाना ही माना जाता है। यदि केरल में चुनाव न कराने का यही कारण है तो सभी लोकतन्त्रवादी इस बात की निन्दा करेंगे।

पिछले नवम्बर में जब अनाज की स्थिति गम्भीर थी तो केरल के लोग आन्दोलन कर रहे थे। उसका कारण यह था कि जब सारे देश में 16.5 औंस अनाज दिया जाता था उस समय केरल के लोगों को 11.4 औंस प्रतिव्यक्ति अनाज दिया जाता था। कोई भी लोकतन्त्रीय सरकार इस प्रकार की स्थिति को सहन नहीं कर सकती। इससे प्रकट होता है कि वहां पर लोकप्रिय सरकार बहुत आवश्यक है।

यदि केरल में लोकप्रिय सरकार तथा विधान मण्डल होता तो केरल के बजट में भूमि के एक विशेष भाग से खादीपन और क्षारता दूर करने के बारे में जो उपबन्ध है उसकी उचित प्रकार से जांच हो सकती थी।

आम चुनावों से छः मास पूर्व कोई चुनाव नहीं कराये जाते। यह अवधि 11 नवम्बर के पश्चात आरम्भ हो जायेगी। सरकार ने जानबूझ कर उद्घोषणा की अवधि को बढ़ाया है ताकि तटस्थता की अवधि आरम्भ हो जाये जिस अवधि में कोई चुनाव नहीं कराये जाते ताकि केरल में भी आम चुनावों के साथ ही चुनाव हो सकें। इस प्रकार केरल के लोगों को दो वर्ष बाद चुनाव में भाग लेने तथा लोकप्रिय सरकार चुनने का अवसर दिया जायेगा।

संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस से किसी राज्य में किसी एक दल अथवा कांग्रेस दल द्वारा शासन बनाये जाने की आकांक्षा को ध्यान में रखकर संवैधानिक प्रक्रिया को भंग किया जा सकता हो। कई प्रकार के गठजोड़ सम्भव है और समूचे भारत में ऐसा होगा। जिस प्रकार से आज संविधान कार्य कर रहा है उससे यह प्रतीत होता है कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव कराना सम्भव होगा। संसद के लिये संवैधानिक प्रक्रियाओं का संरक्षण करना आवश्यक है ताकि विभिन्न राज्यों में अपने चुनाव के अवसरों को बढ़ाने के लिये सरकार चुनाव अथवा उद्घोषणा की अवधि में विस्तार न कर सके।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : वर्षा काल में लोगों को अपना वोट डालने में बड़ी कठिनाई होती है। औरतों को बच्चों को गोद में उठाये हुए लम्बी लम्बी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। वर्षा में 'बेलट बक्सा' को दूर ग्रामों में ले जाना तथा वहां से ले आना बहुत कठिन है।

यदि केरल में विधान सभा के चुनाव नवम्बर में कराय जाते हैं और संसद के चुनाव आम चुनावों के साथ कराये जाते हैं तो संसद सदस्यों को बड़ी हानि उठानी पड़ेगी।

सभी जानते हैं कि केरल में किसी दल को भी चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं होगा। दो दिन पूर्व श्री नाम्बूदरीपाद ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि वामपंथी साम्यवादी केरल में अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं। इसको केरल के लोगों का दुर्भाग्य ही कहना चाहिये क्योंकि कोई भी राजनैतिक दल वहां पर स्थायी सरकार स्थापित करने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि केरल की उपेक्षा हो रही है। केरल के नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिये तथा इसके लिये केन्द्र को दोषी ठहराने का कोई लाभ नहीं है। किसी भी राज्य के विकास के लिये वहां पर स्थायी सरकार का होना आवश्यक है।

देश की सुरक्षा के हित में कुछ लोगों को गिरफ्तार करना आवश्यक था। इस लिये केवल केरल में ही नहीं बल्कि समूचे देश में कुछ लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा है। लोकतन्त्र में सत्तारुढ़ दल द्वारा अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करना उसके लिये हानिकारक ही सिद्ध हो सकता है। इसलिये कोई भी सत्तारुढ़ दल ऐसा नहीं कर सकता।

बेदखली के बारे में मंत्री महोदय ने यथापूर्व स्थिति बनाये रखने का आश्वासन दिया है। यह निर्णय स्वागत योग्य है।

[श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा]

वेतन आयोग की सिफारिशें के बारे में श्री मुकर्जी ने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत हूं। विभिन्न राज्यों के अराजपत्रित अधिकारियों के वेतनों तथा महंगाई में विभेद है। वेतन आयोग ने केवल कुछ राज्यों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की सिफारिश की है।

आन्ध्र प्रदेश में भी "बन्द" चल रहा है और सारे एन० जी० ओ० कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। यह ठीक भी है क्योंकि जब अन्य राज्यों में महंगाई भत्ता अधिक मिलता है तो उन्हें क्यों नहीं उतना ही भत्ता दिया जाता। मुझे आशा है कि इस दिशा में सारे देश में एक दर के भत्ते लागू होंगे।

केरल के अंदर चावल की कमी है और उसके कारण वहां आन्दोलन है। माननीय मन्त्री ने आश्वासन दिया है कि इसके बारे में कुछ किया जायेगा। इस के कारण कुछ मज़बती हो जायेगी।

केरल एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है जहां तक संचार, परिवहन, कृषि, सिंचाई तथा विद्युत का संबंध है। उद्योग के क्षेत्रों में भी वह पिछड़ा राज्य है। केरल के एक भूतपूव मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि वहां एक "पैट्रो-कैमिकल कम्पलैक्स" बनाया जाये। मुझे आशा है कि इस समय जो राज्यपाल वहां गये हैं वह पहले राज्यपाल से केरल के विकास के लिये अधिक कार्य करेंगे।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : इस प्रस्ताव से पता चलता है कि केरल के साथ कितना अन्याय हो रहा है। होना तो यह चाहिये था कि वहां विधान सभा को बुलाया जाए परन्तु ऐसा नहीं किया गया। ऐसी ही परिस्थिति 1952 में मद्रास राज्य में हुई थी जबकि कांग्रेस का बहुमत नहीं था। वहां किसी ने विधान सभा को भंग नहीं किया। वहां राजाजी को मुख्य मंत्री बनाया गया। वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इस लिये इन्हें केवल विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया और सरकार बनाने को कहा गया। वहां ऐसा क्यों किया गया? इस लिये कि राजाजी वहां कांग्रेस की सरकार बना पायेंगे? परन्तु केरल में यह बात नहीं की जा रही है।

यदि इसका अर्थ यह लिया जाय कि क्योंकि यहां कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं कर सकेगा, तो यह लोकतन्त्र की पद्धति नहीं है। दूसरा कारण वहां निर्वाचन न कराने को यह दिया जा रहा है कि वहां वर्षा होने वाली है। इस लिये निर्वाचन नहीं होने चाहिये। इस लिये वर्षा का बहाना नहीं लगाना चाहिये। वास्तव में बात यह है कि कांग्रेस किसी दल को वहां सत्ता में नहीं आने देना चाहती।

यह भी कहा जा रहा है कि एक परामर्श समिति बनाई गई है। परन्तु इस समिति का लाभ क्या है जिसके निर्णयों को कार्यान्वित ही न किया जाये। अधिकारी इस समिति का आदर ही नहीं करते हैं।

केरल की जनता यह समझ रही है कि कांग्रेस वहां तब तक निर्वाचन नहीं होने देगी जब तक उन्हें यह विश्वास न हो जाये कि वह बहुमत में आ जायेंगे। यह अन्याय है और लोगों को उनके लोकतन्त्रीय अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस लिये वहां शीघ्र ही निर्वाचन किये जायें।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : The political situation in Kerala is a cnallenge to the political parties. It is not proper to blame the Congress for not convening the state assembly. This could not be done as no party or a coalition of parties informed the Governor about the selection of their leader who may be able to form Government there.

Although the people of Kerala are educated yet they have not exercised their francnise in a manner that any single party may come into majority.

The President's rule cannot be a substitute for a popular Government. Instead of blaming the Government, the political parties should make preparations from now onwards for the election. This is also a wrong impression that Congress does not want to hold elections until they are sure of their party wining the elections.

The political situation in Kerala is a challenge to democracy. No two political parties are co-operating for the formation of Government there, all political parties should now accept this challenge and face the electorate.

The present proclamation of the President will end on 11th May and as such there is need for extension of the period. The leaders of opposition parties should be consulted and if they agree for elections, the same may be held after 6 months. A popular Government should be formed in Kerala as soon as possible. We should hope that if the selections are held some party will be able to obtain majority. It will be a good thing not only for Kerala but for the whole of India.

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा : केरल में राष्ट्रपति का राज्य बहुत समय से है। यह काल वहां के इतिहास में काला समय माना जायेगा।

विधान सभा की अनुपस्थिति में वहां राज्यपाल तथा उसके दो सलाहकार राज्य कर रहे हैं और उनकी ज्यादती के विरुद्ध कोई लोकतान्त्रिक नकेल नहीं है।

केरल के समाचारपत्रों तथा वहां के विरोधी दलों और केरल प्रदेश कांग्रेस समिति ने कहा है कि राज्यपाल को कोई नीति संबंधी निर्णय नहीं लिये जाने चाहियें। परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस राज्यपाल को तथा उसके दो परामर्श दाताओं को केरल में किस ने भेजा है? क्या इस लिये कि गृह-कार्य मंत्रालय उनके हक में है? उनके विरुद्ध तो हम अविश्वास का प्रस्ताव भी नहीं ला सकते।

केरल में बहुत सी समस्यायें हैं। एक तो विद्युत की कमी की। यह वहां पिछले दस वर्ष से है।

जब केरल में खाद्य की कमी थी तो वहां चावल का राशन 8 औंस से घटा कर 4 औंस कर दिया गया। क्या राज्यपाल और उसके सलाहकारों ने किसी से परामर्श लिया इस बारे में?

यही बात जिला न्यायाधीश की निवृत्त होने की आयु बढ़ाने के बारे में किया गया। यह इस लिये किया गया कि वह एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहते थे जो 17 फरवरी 1966 को सेवा निवृत्त होने वाला था। इस लिये उसकी अवधि बढ़ाना चाहते थे और इस समय में उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी चानयुक्त करना कहते थे तथा उसे विधि आयोग का सदस्य भी नियुक्त करना चाहते थे।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

श्री अजीत प्रशाद जैन जब वहां राज्यपाल थे तो उन्होंने परामर्श दाता की इस बात को मानने से इन्कार कर दिया परन्तु जो अब राज्यपाल हैं वह मान गये।

इसी प्रकार का निर्णय नौकरियां सुरक्षण के बारे में किया गया।

[श्री अ० व० रावबन]

पिछली बैठक में गृह-कार्य मंत्री तो उपस्थित नहीं थे परन्तु यह कहा गया था कि परामर्श समिती की बैठक शीघ्र होगी परन्तु यह कभी नहीं हुई। केरल के मामलों पर इतनी बुरी तरह कार्य किया जा रहा है।

क्या गृह-कार्य मंत्री ईमानदारी से कहते हैं कि वह लोकतान्त्रिक परम्पराओं को देश में चलाना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो फिर नम्बूदरीपाद मंत्रालय को क्यों समाप्त किया गया जब कि उसका विधान सभा में बहुमत था ?

केरल में अब फिर एक "बन्द" होने वाला है। एक तो केरल में विद्युत की कमी के कारण है। हम वहां भ्रष्टाचार भी बहुत पाते हैं और मैंने उनका उल्लेख गृह-कार्य पर बजट के भाषण में किया था।

बड़े बड़े अधिकारियों के तो 300 रु० तथा 400 रु० बढ़ा दिये जाते हैं परन्तु गरीब छोटे अधिकारियों के केवल एक या दो रुपये बढ़ाये जाते हैं। क्या इस प्रकार आप यहां समाजवाद लायेंगे ?

मैं प्रार्थना करता हूं कि केरल परामर्श समिति को विधान सभा की तरह अधिक अधिकार दिये जायें। कुछ निर्णयों के बारे में हम से परामर्श किया जाना चाहिये अन्यथा हम उस समिति से सहयोग नहीं करेंगे।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं 16 मास के पश्चात बोल रहा हूं। यह गृह-कार्य मंत्री श्री नन्दा जी के कारण था जिन्होंने एक हजार साम्यवादी के बन्दी बनाया हुआ है।

उसके अतिरिक्त वहां के लोग बड़े सबर से यह कारागार सदन कर रहे हैं। वही गृह-कार्य मंत्री बिना किसी शरम से यहां आते है और कहते है कि राष्ट्रपति के शासन की अवधि वहां बढ़ा दी जाय। यह क्यों बढ़ायी जाये ?

केरल के लोगों को खाने के लिये अन्न नहीं है। वहां कोई परिवहन नहीं है और करने के लिये कोई कार्य नहीं है। यह चीजे देने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। हम नहीं चाहते कि यह समय की अवधि दी जाय और यह गंदा राज्य चलता रहे। हम कांग्रेस सरकार को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि वह इसे स्वीकार करें। हम उन्हें हरायेंगे। उसके पश्चात श्री नन्दा और उसके साथियों को त्यागपत्र दे देना चाहिये।

श्री वारियर (त्रिचूर) : आज केन्द्रीय सरकार कहती है कि निर्वाचन के पश्चात वह केरल के मामले में दखल नहीं दगे परन्तु ऐसा नहीं है यह तो उस कुत्ते वाला कार्य कर रहे जो न तो स्वयं खाता था और न दूसरों को खाने देता था।

केरल की बराबर आपको किसी राज्य में भूतपूर्व मंत्री नहीं मिलेंगे। वह तो वहां की जनता से भी अधिक बेरोजगार है। क्या कारण है कि कांग्रेस वहां मज़बूत सरकार नहीं बना सकी ? उन्होंने तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार भी समाप्त कर दी और उनके नेता को एक बाहर राज्य का राज्यपाल बना दिया। राज्यपाल ने प्रत्येक स्वतंत्र सदस्य को बुला कर उसे बहलाया और फुसलाया हर प्रकार से यह कोशिश की कि लोकशासन स्थापित न हो सके। क्या गृह मंत्रालय इस से मुकर सकता है ? पांचों सदस्यों ने 1957 की श्री नम्बदरीपाद की सरकार का समर्थन करने के लिये कहा।

आज केरल में यह स्थिति है कि वहां लोकतंत्रीय तथा स्थायी सरकार तब तक कार्य नहीं कर सकतीं जब तक कि केन्द्रीय सरकार केरल की जनता को यह आश्वासन नहीं देती कि जनता के लोकतंत्रात्मक निर्णय को मान्यता दी जायगी। क्या केन्द्रीय सरकार ऐसा करेगी ? वहां ऐसा नहीं करेगी।

आज केरल में जो स्थिति है उसके लिये राजनीतिक दलों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये। उसके लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। राष्ट्रपति पर भी इसकी जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार ने केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू करके, राष्ट्रपति को भी अवहास्य स्थिति में डाल दिया है।

हम केरल में राष्ट्रपति के शासन को जारी रखने का विरोध करते हैं। सरकार को केरल में उत्पन्न होने वाली नई स्थिति के प्रति जागरुक होना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I want to say something which is not ordinarily said from this side. Democracy has been throttled in Kerala. Those who could prevent this did not do so. Hence they are equally responsible. Any of the different political parties in the Legislative Assembly of Kerala should have been given a chance to form a Government there but Government did not do so.

Since democracy is being throttled in Kerala we in the opposition parties do our best to prevent it. We have our differences. But we should make adjustments instead of alliances. My party has a well formulated programme. The opposition parties should, of their own accord, formulate minimum programmes which they would implement if they are able to form acoalition Government. Each party should formulate a programme for the abrogation of emergency in Kerala.

It is now clear that whenever Congress will be defeated in future, no single party will be power. We should start thinking about it now. For example, we should decide about doing away with land revenue.

Similarly, we should find out some formula for unity. As the Congress party has been responsible for the partition of the country, it cannot think of any such thing. We have to chalk out a minimum programme for undoing the division of the country.

We have also to think about our basic things relating to our foreign policy. We have to formulate our own opinion ; we should not take foreign opinions as our base.

If the opposition parties make adjustment among themselves and are able to command a majority, they would then be able to formulate some common programme, provided they draw up their respective minimum programmes earlier such minimum programmes can include putting an end to emergency, abolition of land revenue, and undoing of the partition of the country.

It is certain that Congress will be defeated in future. But no single party will be able to replace it. Hence the opposition parties will have to draw up their programmes for replacing the Congress after making mutual adjustment among themselves.

Government is very much misusing the laws now. People have been arrested even after the Indo-Pak conflict is over and are still under detention. The opposition should rise to the occasion and take some action only then we could expect something.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सभा का प्रत्येक सदस्य केरल में राष्ट्रपति के शासन के विरुद्ध है। मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि अगले दो अथवा तीन सप्ताह में वह केरल में चुनाव क्यों नहीं कराते? यदि

[श्री वासुदेवन नायर]

सरकार वास्तव में लोकतन्त्र में विश्वास रखती है तो उसको केरल में तुरन्त चुनाव कराने चाहिये। परन्तु सरकार ऐसा नहीं करेगी और वह वही तर्क देगी कि मानसून वर्षा है और कि किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होगा।

सरकार को ज्योतिष की बात नहीं करनी चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये कि किसी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होगा। केरल के लोग स्वयं ही इस मामले से निपट लेंगे। यदि उनको योंही छोड़ दिया जाये और चुनाव कराया जाये तो वे अपनी सरकार बना सकते हैं। परन्तु परदे के पीछे कुछ और ही हो रहा है। सरकार केरल कांग्रेस तथा इन्डियन नेशनल कांग्रेस को पुनः मिलाने का यत्न कर रही है। जब तक ये दोनों आपस में मिल नहीं जाते सरकार चुनाव में विलम्ब करती रहेगी वास्तव में बात यह है कि आजकल कांग्रेस के नेताओं को यही चिन्ता लगी हुई है कि यह कैसे हो। सरकार को तुरन्त ही चुनाव कराने चाहिये और कोई बहाने पेश नहीं करने चाहिये। परन्तु यह सरकार लोकतंत्रीय ढंग से कार्य नहीं करती है। इन लोगों को लोकतंत्र के बारे में सारी बातें जाली हैं। यह अब सिद्ध हो चुका है और इसमें कोई सन्देह नहीं है।

जैसा कि श्री मुकर्जी ने कल कहा था, केन्द्रीय सरकार ने ही 1959 में गलती की थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, जो उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थीं, सरकार पर दबाव डाल कर केरल की वैधिक रूप से गठित सरकार को बर्खास्त कराया था।

माननीय मंत्री ने सलाहकार समिति की सफलताओं की बड़ी चर्चा की है। सलाहकार समिति ने सरकार की ओर से बहुत से वचन दिये थे परन्तु उनको पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हमने माननीय रेल मंत्री के साथ अलग मुलाकात की थी। यहां मैं एक छोटे से मामले के बारे में कहना चाहता हूं। हम दिल्ली से केरल के लिये 'स्लीपर कोच' चलाने के लिये काफी समय से कह रहे हैं और मंत्री महोदय ने इसका वचन भी दिया था परन्तु कई महीनों के बाद भी अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है।

एक बात और है। श्री श्रीकान्तन नायर ने भी इसका उल्लेख किया था। यह क्विलोन तथा अन्य स्थानों में हुई घटनाओं के बारे में जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। माननीय मंत्री को बताना चाहिये कि क्विलोन में विद्यार्थियों ने किस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही की थीं। वे इस बहाने से मुकदमें चला रहे हैं। जिलाधीश इत्यादि यह चाहते हैं कि ये मुकदमें वापस न लिये जायें। इसलिये यह जांच गुप्त रूप से हो रही है। सारे मामले के पीछे कुछ षड़यन्त्र काम कर रहा है।

अतः मंत्री द्वारा यह कहने से कि सलाहकार समिति मौजूद है, कोई लाभ नहीं है। केरल में लोगों की बुरी हालत है। अतः सरकार को चाहिये कि केरल में लोकप्रिय सरकार की स्थापना के लिये तीन महीनों के अन्दर चुनाव कराये।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : जो भी माननीय सदस्य बोले हैं, उन सब के भाषणों से एक बात स्पष्ट होती है और वह यह है कि केरल में लोकतंत्रीय, उत्तरदायी तथा लोकप्रिय सरकार होनी चाहियें। संकल्प को प्रस्तुत करते हुए भी मैंने यही भावना व्यक्त की थी। सभा को यह नहीं समझना चाहिये कि मैंने वे शब्द केवल औपचारिक ढंग से कहे थे। वह मेरी ईमानदाराना अभिव्यक्ति है।

जब उद्घोषणा जारी की गई थी तो उसके जारी करने के कारण सभा को बता दिये गये थे। उद्घोषणा क्या संसद ने अनुमोदन भी किया था।

श्री मुकर्जी ने अपने भाषण में कांग्रेस दल, अराजपत्रित पदाधिकारियों इत्यादि के बारे में कहा है। मैं इस सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा।

जब उद्घोषणा पर पहली बार चर्चा हो रही थी तो श्री रंगा ने दो सुझाव दिये थे। उन्होंने कहा था कि सलाहकार समितियों का उचित क्षेत्र राष्ट्रपति को केरल के सम्बन्ध में विधान कार्य के बारे में परामर्श देना है परन्तु उसका क्षेत्र विस्तृत किया जाये ताकि केरल के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जा सके। हमने उन समितियों के क्षेत्र का विस्तार कर दिया है। माननीय सदस्य अब किसी भी विषय पर प्रश्न भेज सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे केरल राज्य के सम्बन्ध में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकत हैं। हमने योजना के बारे में चर्चा की है तथा केरल के विकास और खाद्य स्थिति के बारे में भी चर्चा की थी। चर्चा में खाद्य मंत्री, रेल मंत्री, योजना आयोग के उप-अध्यक्ष तथा योजना मंत्रालय राज्य मंत्री ने भाग लिया था।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि सलाहकार समिति राज्य के विधान मण्डल का स्थान ले सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि हमने श्री रंगा के सुझाव को मान लिया है।

उन्होंने दूसरा सुझाव स्विटजरलैंड जैसी शासन प्रणाली के बारे में दिया था।

यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि स्विटजरलैंड जैसी शासन प्रणाली की प्रचार का शासन किसी एक विशेष राज्य के लिये सम्भव नहीं है। वह वर्तमान संवैधानिक प्रणाली में ठीक नहीं है। माननीय सदस्यों के भाषणों में उद्घोषणा के अनुमोदन किये जाने अथवा न किये जाने की कोई बात नहीं है बल्कि आने वाले आम चुनावों की अधिक चर्चा है।

श्री रंगा तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा था कि अनेक राज्यों में कांग्रेस बहुमत में नहीं होगी तथा कुछ राज्यों में कांग्रेस का बहुमत होगा। उनको यह डर है कि यदि उनके दल को बहुमत प्राप्त होगा तो राष्ट्रपति के शासन द्वारा कांग्रेस सरकार उसे कार्य नहीं करनें देगी। यह आलोचना भी की गई है कि यद्यपि कोई अन्य दल सत्ता प्राप्त कर ले तो कांग्रेस सरकार संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करेगी और इस प्रकार उसे कार्य नहीं करने देगी।

यदि कोई दल बहुमत वाले दल के रूप में सफल होगा अथवा अन्य दल संयुक्त मंत्रिमण्डल बनाने की स्थिति में होगा तो कांग्रस दल को इस बात में प्रसन्नता होगी कि वह दल लोकतंत्रात्मक ढंग से कार्य करे। ऐसा पहले भी हो चुका है। परन्तु यहां स्थिति यह थी कि कोई भी राजनैतिक दल ऐसा करने के योग्य नहीं है।

जहां तक अराजपत्रित अफसरों या प्रश्न है, यह सम्भव है कि ये अफसर वेतन आयोग की सिफारिशों से सन्तुष्ट न हों परन्तु यह कहना सही नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं दिया गया है अथवा उच्च वेतन प्राप्त लोगों को सब कुछ दिया गया है। पहले 39 रुपये वेतन पाने वालों को 20.50 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब 89 रुपये तक वेतन पाने वालों को मंहगाई भत्ता बढ़ाकर 20.50 रुपये से 33 रुपये कर दिया गया है। 100 रुपये से 149 रुपये तक वेतन पाने वालों की महंगाई भत्ता 27.50 रुपये मिलता था परन्तु अब 90 रुपये से 140 रुपये तक वेतन पाने वालों को 50 रुपये मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। उच्च आय वालों का मकान किराया भत्ता 100 रुपये से 90 रुपये कर दिया गया है।

अध्यापकों के बारे में भी कुछ कहा गया था। प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को 125–5–175 का वेतन क्रम दिया गया है।

श्री मुकर्जी ने शिक्षा मंत्री की घोषणा के सम्बन्ध में अध्यापकों के वेतन के बारे में कहा था। हमने केरल राज्य सरकार की वित्तीय पहलू का हिसाब लगाने के लिये कहा है और हम इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय करेंगे।

[श्री हाथी]

सिंचाई तथा विद्युत और उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में भी आलोचना की गई है। यह ठीक है कि राज्य की प्रगति के लिये विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। केरल में अनावृष्टि के कारण पन बिजली की कमी तो हो जाती है परन्तु यह कहना कि इस अवधि में कोई प्रगति नहीं हुई है, गलत है। तीसरी योजना के आरम्भ में, 1,42,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता था परन्तु अब 1966–67 तक 546,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। शोलायर परियोजना को चालू कर दिया गया है। इससे 54,000 किलोवाट बिजली मिलेगी। सबरिगिरि परियोजना का प्रथम एकक चालू हो गया और अन्य प्रत्येक एकक को दो, तीन महीनों की अवधि के बाद चालू कर दिया जायेगा। तापीय विद्युत के जनन के लिये हमें 30,000 किलोवाट बिजली के उत्पादन करने की अनुमति मिल गई है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ सरकारी जांच के मामलों के बारे में कहा था। विद्यार्थियों के विरुद्ध 150 मुकदमों में से 133 को वापस ले लिया गया है। 17 गम्भीर हिंसात्मक कार्यवाही के मामले हैं इसलिये उन्हें वापस नहीं लिया गया है।

जहां तक जांच का प्रश्न है, इस विषय पर दो मत थे कि जांच की जाये अथवा नहीं क्योंकि जब अदालत में मुकदमें चल रहे हों तो जांच नहीं की जा सकती परन्तु जांच की जा सकती है। यदि कोई ज्यादती की गई हो तो उसकी जांच की जायेगी।

दूसरी बात जो उठाई गई थी वह सेवा निवृत्ति के लिये आयु में वृद्धि करने के बारे में था। सेवा निवृत्ति के लिये आयु 55 से 58 वर्ष कर देने में यह आलोचना की गई है कि सरकार ने ऐसा किसी न्यायाधीश को लाभ पहुंचाने के लिये किया था। परन्तु यह गलत है। इस सम्बन्ध में आदेश निकले से पहले ही उस न्यायाधीश को सेवा निवृत्ति मिल गई थी। अतः यह कहना बिलकुल ग़लत है कि सेवा निवृत्ति के लिये आयु में वृद्धि उस न्यायाधीश को लाभ पहुंचाने के लिये की गई थी।

मैं माननीय सदस्यों के रोष को समझता हूं। किसी राज्य अथवा किन्हीं प्रतिनिधियों को यदि यह महसूस होगा कि उनको लोकशासन से वंचित किया गया है तो यह स्वाभाविक ही है कि वे रोष प्रकट करें। परन्तु ऐसा नहीं है कि केवल वे ही लोकतंत्र के पोषक हैं। हम लोग भी लोकतंत्र के हामी हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक, 24 मार्च, 1965 की उदघोषणा को 11 मई, 1966 से छः मास की अग्रेतर अवधि के लिए लागू रखे जाने अनुमोदन करती है।"

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation, dated 24th March, 1965, in relation to the State of Kerala, issued under article 356 of the constitution by the Vice President of India, discharging the functions of the President, for a further period of six months with effect from May 11, 1966".

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 59; विपक्ष में 14/Ayes 59; Noes 14

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

केरल आय-व्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगे (केरल)

KERALA BUDGET, 1966-67—GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS (KERALA)

सभापति महोदय : अब सभा केरल के आय-व्ययक पर चर्चा तथा अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान आरम्भ करेगी ।

वर्ष 1966–67 के लिए आय-व्ययक (केरल) सम्बन्धी अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	कृषि-आय कर और बिक्री कर	43,60,500
2	भू-राजस्व	1,81,06,500
3	उत्पादन-शुल्क	29,94,600
4	गाडियों पर कर	9,75,900
5	स्टाम्प	13,96,500
6	रजिस्ट्रेशन फीस	38,56,100
7	राज्य विधान मंडल	8,11,200
8	निर्वाचन	17,41,700
9	राज्याध्यक्ष, मंत्री और मुख्यालय के कर्मचारी . .	74,48,300
10	जिला प्रशासन और विविध	92,98,900
11	न्याय प्रशासन	1,02,07,000
12	जेल	49,43,700
13	पुलिस	4,46,41,200
14	राज्य बीमा और विविध	17,52,800
15	वैज्ञानिक विभाग	9,16,000
16	विश्वविद्यालय शिक्षा	1,77,63,700
17	सामान्य शिक्षा	25,13,72,700
18	तकनीकी शिक्षा	1,35,08,900
19	चिकित्सा	5,95,68,800
20	लोक स्वास्थ्य	2,27,57,200
21	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	1,49,76,700
22	कृषि	3,42,35,500
23	मीन क्षेत्र	77,82,000
24	ग्राम विकास	47,70,700
25	पशु पालन	97,14,800

[सभापति महोदय]

संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
26	सहकारिता	57,27,900
27	उद्योग	95,97,800
28	सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य	2,47,59,200
29	श्रम और नियोजन	73,67,100
30	हरिजन कल्याण	1,64,83,700
31	अंक संकलन और विविध	51,47,700
32	सिंचाई	3,13,02,000
33	सरकारी निर्माण कार्य	8,66,52,700
34	बन्दरगाहें	14,67,500
36	दुर्भिक्ष्य	14,02,800
37	पेंशनें	2,61,26,400
38	लेखन सामग्री और छपाई	66,74,300
39	वन	1,35,98,800
40	विविध	83,75,200
41	विविध क्षतिपूर्ति और समपण	17,76,800
43	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	99,48,500
44	कृषि सम्बन्धी सुधार पर पूंजी परिव्यय	16,99,100
45	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	3,06,90,400
46	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	3,48,79,100
47	सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4,75,54,000
48	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	20,34,000
49	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	72,61,500
51	वनों पर पूंजी परिव्यय	80,40,000
52	पेंशनों का राशीकृत मूल्य	2,97,500
53	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	5,07,59,500
55	सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	18,49,43,900

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा): इस अवसर पर मैं आजकल केरल राज्य में चल रही आर्थिक स्थिति के बारे में बताता हूँ। मेरी शिकायत यह है कि वित्त मंत्री स्वयं राज्य की वास्तविक स्थिति देखने का प्रयत्न नहीं करते। संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना नहीं की थी कि भारत में कोई राज्य, जैसा कि केरल राज्य में है, बहुत अधिक समय तक राष्ट्रपति के प्रशासन में रहेगा। इस व्यवस्था का उपबन्ध तो केवल कुछ ही महीनों के लिए रखा गया था परन्तु दुर्भाग्यवश हमारा यह राज्य काफी लम्बे समय से राष्ट्रपति के प्रशासन के अधीन है।

वित्त मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य में वास्तव में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। केरल राज्य में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और इस स्थिति में लोगों के लिये गुजारा करना कठिन हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने कई वर्षों से जो नीति अपना रखी है, यह स्थिति उसी का परिणाम है। यदि साम्यवादी सरकार को पूरे पांच वर्ष कार्य करने दिया जाता है तो कम से कम वह राज्य की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को हल करने में अवश्य ही सफल होती।

केरल में अनाज की स्थिति बहुत गम्भीर है। 1959 में चावल के एक बोरे का मूल्य 55 रुपये था और आज एक बोरे का मूल्य 150 रुपये है। यह है सफलता कांग्रेस सरकार की।

बिजली की सप्लाई के बारे में किसी राज्य ने इतनी गड़बड़ नहीं की जितनी केरल सरकार ने। भारत में किसी दूसरे राज्य में भी उद्योगों को बिजली सप्लाई में 80 प्रतिशत की कटौती नहीं की गई है। सरकार उर्वरक का कारखाना चलाने में भी पूर्णतया असफल रही है। केरल उर्वरक के कारखाने में बिजली की कटौती के कारण 1962-66 तक 6 करोड़ रुपये की हानि हुई है। लगभग एक लाख मजदूर बिजली में कटौती के कारण बेरोजगार हो गये हैं। वहाँ पर मजदूरों के लिए किसी दूसरे रोजगार का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वहाँ बेरोजगारी एक बहुत पुरानी समस्या है।

हम वहाँ तापीय संयंत्र (थर्मल प्लांट) के लिए प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने 30 मैगावाट का संयंत्र देने के लिए कहा था। परन्तु पता नहीं वह कब दिया जायेगा।

जीवन निर्वाह की लागत में सामान्य रूप से वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप जनता के सभी वर्ग मजूरी में वृद्धि करने, वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के लिए चिल्ला रहे हैं। 1958 और 1966 के बीच जीवन निर्वाह देशनांक की लागत में 61 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

अराजपत्रित कर्मचारी, गैर-सरकारी तथा सरकारी स्कूलों के अध्यापक तथा अन्य मध्यम श्रेणी कर्मचारी सभी बहुत ही क्षुब्ध हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों तथा अध्यापकों ने क्रमश : 24 मई तथा 22 जून से हड़ताल करने की घोषणा की है। सरकार के इस दावे के बावजूद भी वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण किया है तथा मंहगाई भत्ते में वृद्धि की है, अराजपत्रित कर्मचारियों के बड़े वर्ग को इससे कोई लाभ नहीं होगा। मुख्य प्रश्न तो उनका महत्व समझने का था परन्तु सरकार ने अपने कर्मचारियों को उचित महत्व नहीं दिया है। यदि सरकार समझती है कि वह अराजपत्रित कर्मचारियों के आन्दोलन को दबा सकती है तो यह उसकी भूल है। इसकी बजाय सरकार को यह देखना चाहिये कि अराजपत्रित कर्मचारियों की मांगे पूरी की जायें और हड़ताल न होने दी जाये।

जहाँ तक औद्योगिक मजदूरों का सम्बन्ध है, लाखों बागान मज़दूर भी संघर्ष करने के लिये तत्पर हैं। मज़ूरी बोर्ड का बहाना लेकर बागान मज़दूरों की मजूरी में पिछले पांच वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आप जानते ही है कि केरल में चाय, काफी, रबड़ आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन होता है जिनमे से कुछ से तो महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा का अर्जन कराती हैं। उनकी मजूरी बढ़ाने से इन्कार कर दिया गया है। मजूरों के छोटे वर्ग इस बात पर क्षुब्ध हैं कि उनको देय बोनस नहीं दिया गया है। यदि सरकार मजूरों के प्रति एक वास्तविक तथा मानवोचित रवैया नहीं अपनायेगी तो हमें कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

राज्यपाल के इस शासन में वह शायद यह सोचते हैं कि यही तो अवसर है जब वे हर चीज को दबा सकते हैं। कुछ लोगों का शायद यह विचार है कि जिन समस्याओं को एक लोकप्रिय सरकार नहीं सुलझा सकती, केरल राज्य में कुछ जटिल समस्याओं को हल करने का यही तो अवसर है। उदाहरण के लिए कुछ लोग समझते हैं कि किसानों अथवा कृषकों को, जो

[श्री वासुदेवन नायर]

ऊँची पहाडियों में वन क्षत्र में हैं, बेदखल किया जा सकता है क्योंकि एक लोकप्रिय सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकती । जो अधिकारी इस तरह सोचते हैं यह उनकी भारी भूल है। केरल सलाहाकार समिति की उप-समिति के सदस्यों ने इस समस्या पर विस्तार से विचार किया था और सलाहकार समिति के समक्ष प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है । हमें संदेह है कि वे इस प्रतिवेदन को दबा देना चाहते हैं।

कुछ लोगों का विचार है कि ऊंची पहाड़ियों में वन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को लोकप्रिय सरकार के आने से पहले ही बेदखल कराया जा सकता है। जो अधिकारी यह समझते हैं कि एक लोकप्रिय सरकार ऐसा नहीं कर सकती है यह उनकी भूल है। उन्हें ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। सलाहकार समिति द्वारा उपसमिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाना चाहिये। सरकार को इस प्रतिवेदन को क्रियान्वित करना होगा क्योंकि यह लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है ।

जल परिवहन निगम के 500 से अधिक श्रमिकों की छंटनी कर दी गई है और उन्हें कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है। हमने समिति में उनकी वकालत की थी और समिति ने श्रमिकों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय किये थे। जब निगम स्थापित किया गया था तो मज़दूरों के उपदान की राशि को, जो उन्हे गैर-सरकारी कम्पनियों से मिली थी; इस निगम के अंशों में बदल दिया गया था। सलाहकार समिति ने भी हमें आश्वासन दिया था कि उनके अंश वापस दिये जायेंगे।

छंटनी मनमाने ढंग से की गई थी और उसमें बहुत पक्षपात किया गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद परामर्शदाता, केरल सरकार और आन्तरिक जल परिवहन सेवाओं के अधिकारी वरिष्ठता के आधार पर श्रमिकों को पुन: नियुक्त करने से इन्कार कर रहे हैं। मुझे सूचना मिली है कि 5 मई से एक मजदूर संघ के संयुक्त सचिव और 12 अन्य मज़दूरों ने भूख-हड़ताल कर दी है। इन मज़दूरों को पुनर्नियुक्त किया जाना चाहिये। इस आन्तरिक जलपरिवहन योजना के विस्तार की काफ़ी गूंजाइश है। 20-25 साल की नौकरी के बाद उन मज़दूरों को एक दम निकाल फेंक दिया गया है। यह घोर अन्याय है।

केरल सचिवालय में एक जनगणना विभाग है। सरकार ने उस विभाग में कर्मचारियों की संख्या घटा दी है। सरकार को प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को वापस भेजना चाहिये और 10 वर्ष की सेवा काल सीधे भर्ती किये गये लोगों को रखना चाहिये। परन्तु सरकार प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को रख रही है। कम से कम सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि सीधे भर्ती किये गये लोगों को, जिनकी छंटनी की गई है, किन्हीं दूसरे विभागों में रखा जाये।

कई स्थानों पर पुलिस अफसर तथा सिपाही कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, शांतिपूर्वक नागरिकों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जा रहे हैं और हवालात में बन्द लोगों पर अत्याचार किये जा रहे हैं। श्रमिकों तथा मालिकों के बीच झगड़ों में पुलिस मालिकों का साथ देती है। इस माली में एक जमींदार की खातिर 500 परिवारों को तंग किया जा रहा है।

लोगों के धैर्य की एक सीमा होती है और यदि सरकार स्थिति में सुधार करने के लिये कुछ नहीं करेगी तो बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हो जायेगी।

मैं सरकार को बता दूं कि 27 मई को केरल में दूसरा बन्द करने का निर्णय किया गया है। हमें बन्द से कोई प्रम नहीं है; हमने प्रतीक्षा की; हम चाहते थे कि सरकार पिछले बन्द के बाद मामलों को वापस ले ले; परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया। बहुत से मामले अब भी लम्बित पड़े हैं और स्थिति खराब होती जा रही है। सरकार को प्रभावशाली ढंग से हस्तक्षेप करना चाहिये और केरल के लोगों की जान बचानी चाहियें। केरल बजट सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
3	1	श्री अ० व० राघवन	मद्य निषेध समाप्त करने की आवश्यकता	100 रुपये
9	2	श्री अ० व० राघवन	भूतपुर्व मंत्रिमण्डल द्वारा किये गये नीति संबंधी निर्णयों को उलटने में शक्तियों का दुरुपयोग	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
9	3	श्री अ० व० राघवन	महत्वपूर्ण मामलों पर विधान संबंधी केरल सलाहकार समिति से राय न लेना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
9	4	श्री अ० व० राघवन	वेतन आयोग के हाल के पंचाट में सेना कर्मचारियों को महत्व न देना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
9	5	श्री अ० व० राघवन	वेतन आयोग के पंचाट में गैर-राजपत्रित अधिकारियों की उपेक्षा किया जाना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
9	6	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	प्रशासन की अकुशलता और नौकरशाही रवैया ।	100 रुपये
9	7	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	राज्य में और अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
9	8	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेतन पुनरीक्षण योजना कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
9	9	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	गैर-राजपत्रित अधिकारियों के वेतन क्रम सुधारने की आवश्यकता ।	100 रुपये
9	14	श्री अ० व० राघवन .	सेवाओं के एकीकरण में तेजी लाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
9	15	श्री अ० व० राघवन .	गरीबों को कानूनी सहायता के अन्तर्गत अधिक धन नियत करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
9	16	श्री अ० व० राघवन .	भूमि अर्जन संबंधी मामले तय करने के लिये वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
9	17	श्री अ० व० राघवन .	भूमि का मूल्यांकन करने के लिये नियम बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

[श्री वासुदेवन नायर]

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
9	18	श्री अ० व० राघवन .	भूमि अर्जन करने वाले कलक्टरों और न्यायालयों द्वारा निर्धारित मूल्य में असमानता।	100 रुपये
9	19	श्री अ० व० राघवन .	भूमि अर्जन के फलस्वरूप भूमिहीन हुए व्यक्तियों को वैकल्पिक भूमि देने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	20	श्री अ० व० राघवन .	विधि आयोग के सभापति के रूप में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	21	श्री अ० व० राघवन .	जिला न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति-आयु बढ़ाने के संबंध में किये गये निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	22	श्री अ० व० राघवन .	भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत बनाये गये बन्दियों की रिहायी।	100 रुपये
9	23	श्री अ० व० राघवन .	योजना बोर्ड बनाने की आवश्यकता .	100 रुपये
10	24	श्री अ० व० राघवन .	भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भूमि अर्जित करने में शक्तियों का दुरुपयोग।	100 रुपये
10	25	श्री अ० व० राघवन .	उप-तहसीलदारों की पदोन्नति के लिये तैयार की गई वरिष्ठता-सूचियों की उपेक्षा करना और कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिये आदेशों को बदलने की प्रवृत्ति।	100 रुपये
10	26	श्री अ० व० राघवन .	राज्य में सहायक सरकारी वकीलों का वेतन-क्रम सुधारने की आवश्यकता।	100 रुपये
11	27	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	ट्रावनकोर-कोचीन राज्य और मद्रास से स्थानान्तरित न्यायिक कार्यालयों के एकीकरण का काम पूरा न करना।	100 रुपये
11	28	श्री अ० व० राघवन .	सभी न्याय अधिकारियों को क्वार्टर देने की आवश्यकता।	100 रुपये
12	30	श्री अ० व० राघवन .	जेलों की दशा सुधारने की आवश्यकता	100 रुपये
13	31	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	राज्य में पुलिस द्वारा दमन समाप्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
13	32	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	हवालातों में मारपीट समाप्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये
14	33	श्री अ० व० राघवन .	वकीलों के लिये भविष्य निधि योजना बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
16	34	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता।	100 रुपये
16	36	श्री अ० व० राघवन .	मदाप्पल्लि कालेज में खेल के मैदान की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100 रुपये
16	37	श्री अ० व० राघवन .	पर्याप्त संख्या में अध्यापकों के बिना कालेजों को कार्य करने देना।	100 रुपये
18	39	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	तकनीकी शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता।	100 रुपये
20	42	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	कृषकों को समय पर सहायता देने की आवश्यकता।	100 रुपये
27	49	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	चावाड़ा के खनिज उद्योगों को फिर से चालू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
29	50	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	बोनस अधिनियम से अनुचित छूट देने की नीति।	100 रुपये
30	52	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	अखिल भारतीय विकास के अनुकूल हरिजन कल्याण न होना।	100 रुपये
35	56	श्री अ० व० राघवन .	केरल में प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में भ्रष्टाचार।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
37	57	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	पेंशन भोगियों को राहत देने की आवश्यकता।	100 रुपये
47	61	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	पूंजी परिव्यय पर अधिक राशि नियत किये जाने की आवश्यकता।	100 रुपये
50	63	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	जल परिवहन निगम के छंटनी किये गये कर्मचारियों के प्रति उचित रवैया अपनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
51	64	श्री अ० व० राघवन .	केरल में गैर-सरकारी वनों के अर्जन में विलम्ब।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।

[श्री वासुदेवन नायर]

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
55	65	श्री अ० व० राघवन .	केरल विद्युत बोर्ड में भ्रष्टाचार को न रोक सकना।	राशि घटा कर एक रूपया कर दी जाये
55	66	श्री अ० व० राघवन .	केरल में विद्युत की बारम्बार कमी .	,,
55	69	श्री अ० व० राघवन .	केरल में विद्युत् में कटौती को बहाल करने की आवश्यकता।	100 रुपये
55	70	श्री अ० व० राघवन .	केरल विद्युत् बोर्ड को पुनर्गठित करने को आवश्यकता।	100 रुपये
55	71	श्री अ० व० राघवन :	त्रावणकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मैसर्स टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड कम्पनी के बीच हुये वार्षिक करार का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता।	100 रुपये
55	72	श्री अ० व० राघवन .	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये राज सहायता प्राप्त आवास योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त धन राशियों का उपयोग न किया जाना।	100 रुपये
55	73	श्री अ० व० राघवन .	आवास योजनाओं के लिये अधिक धनराशियों की आवश्यकता।	100 रुपये
55	74	श्री अ० व० राघवन .	छप्पर वाले मकानों को खपरैल वाले मकानों में बदलने हेतु ऋणों की व्यवस्था करने के लिये एक योजना प्रारंभ करन की आवश्यकता	100 रुपये
9	75	श्री वासुदेवन नायर .	केरल सलाहकार समिति के निर्णयों को निष्ठापूर्ण ढंग से कार्यान्वित न करना।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
9	76	श्री वासुदेवन नायर .	अधिकारियों की कुछ श्रेणियों की सेवा-निवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय।	,,
9	77	श्री वासुदेवन नयर .	केरल राज्य के औद्योगिक तथा कृषि के विकास के लिये पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन और संभरण न कर सकना।	,,
9	78	श्री वासुदेवन नायर .	कोचीन में कम से कम 100 मेगावाट के संयंत्र के स्थान पर केवल 30 मेगावाट का संयंत्र चालू करने का निर्णय।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
9	79	श्री वासुदेवन नायर .	नीति सम्बन्धी उन मामलों सहित, जिनका निर्णय पहले ही लोकतंत्रीय सरकार द्वारा हो चुका था, मूल परिवर्तन करने की प्रक्रिया।	राशि घटा कर एक रूपया कर दो जाये।
9	80	श्री वासुदेवन नायर ..	प्रशासन से भ्रष्टाचार पूर्णतया समाप्त करने में असफलता।	,,
9	81	श्री वासुदेवन नायर .	कुमार पिल्ले आयोग पर हाल के आदेश को विचाराधीन रखते हुए पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के सिद्धान्त में परिवर्तन करने का निर्णय।	,,
9	82	श्री वासुदेवन नायर .	केरल के गैर-राजपत्रित अधिकारियों की न्यायोचित मांगें पूरी करने से इन्कार जिसके फलस्वरूप व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ है।	,,
9	83	श्री वासुदेवन नायर .	"एच-ई" परियोजनाओं को समय पर पूरा न करना।	,,
9	84	श्री वारियर	बिजली बोर्ड द्वारा एक पृथक लेखा विभाग स्थापित करने से उत्पन्न स्थिति।	100 रुपये
9	85	श्री वारियर .	बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ाने और बोनस आदि की मांगे।	100 रुपये
10	86	श्री अ० व० राघवन .	उन सेना कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों पर विचार करने की आवश्यकता जिनकी निरन्तर अस्थायी सेवा की पदोन्नति के प्रयोजन से उपेक्षा कर दी गई है।	100 रुपये
13	87	श्री वासुदेवन नायर	पुलिस प्रशासन की जनता-विरोधी गतिविधियां न रोकना।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
13	88	श्री वारियर	एरुमेली में बागबान भूस्वामी के पक्ष में भूमि के समर्पण की मांग द्वारा किसान परिवारों को परेशान करने के पुलिस के कार्यों की खुली जांच का आदेश देने की आवश्यकता।	100 रुपये
13	89	श्री वारियर	कल्मास्सेरी के प्रिमियर टायर कारखाने से पुलिस को वापिस बुलाने की आवश्यकता।	100 रुपये

[श्री वासुदेवन नायर]

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
13	90	श्री वारियर	हाल के खाद्य आन्दोलन से संबंधित सभी मामले वापिस न लेना।	100 रुपये
13	91	श्री वारियर	क्विलान, कोट्टायम, त्रिपुनीथिरा और बलरामपुरम् में पुलिस के कथित अत्याचारों की खुली कानूनी जांच न करना।	100 रुपये
13	92	श्री वारियर	काह्नगाड में 25-2-1966 को पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की जांच कराने की आवश्यकता।	100 रुपये
13	93	श्री वारियर	12-3-66 को पालघाट जिले के थिट्टपुरम पर पुलिस के अत्याचार।	100 रुपये
13	94	श्री वारियर	24-12-65 को हवालात में एक बंदी को यातना देने के लिये वेल्लाथुवल के पुलिस अधिकारियों को दण्ड देने की आवश्यकता।	100 रुपये
17	95	श्री वासुदेवन नायर	केरल में संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देने की ओर असंतोषजनक रवैया।	राशि घटा कर एक रुपया कर दिया जाये।
17	96	श्री वासुदेवन नायर	नये स्कूलों के आवंटन में साम्प्रदायिक तथा अन्य निहित हितों के प्रति किया गया पक्षपात।	,,
17	97	श्री अ० व० राघवन	साक्षरता के बारे में मलाबार और त्रावणकोर-कोचीन के बीच असंतुलन।	100 रुपये
17	98	श्री अ० व० राघवन	नये हाईस्कूल स्थापित करने के मामलें में केरल के मलाबार क्षेत्र की उपेक्षा करना।	100 रुपयें
17	99	श्री अ० व० राघवन	नये स्कूलों की स्वीकृति देने में दिखाया गया पक्षपात।	100 रुपये
18	100	श्री अ० व० राघवन	बादागरा में एक जूनियर तकनीकी स्कूल स्थापित करने में बिलम्ब।	100 रुपये
19	102	श्री अ० व० राघवन	अस्पतालों में औषधियों का अभाव	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
19	103	श्री अ० व० राघवन .	कालीकट मडीकल कालेज अस्पताल में क्षयरोगियों का दाखिला।	100 रुपये
20	104	श्री अ० व० राघवन .	नगर निगम और नगर पालिका के स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों की मलेरिया पर काबू पाने में असफलता	100 रुपये
20	105	श्री अ० व० राघवन .	फिलेरिया के फूट पड़ने को रोकने में असफलता।	100 रुपये
21	106	श्री अ० व० राघवन .	केनानोर के गैर-राजपत्रित अधिकारी क्वार्टरों में पीने के पानी की व्यवस्था न करना।	100 रुपये
22	107	श्री वासुदेवन नायर .	केरल के लोगों को पर्याप्त मात्रा में और उचित दाम पर चावल न देना।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
22	108	श्री वासुदेवन नायर .	मूल कृषि सुधारों, ऋण और उर्वरक आदि देकर इन के द्वारा खाद्य उत्पादन न बढ़ाना।	100 रुपये
22	109	श्री अ० व० राघवन .	उद्ग्रहण संबंधी नियमों का संशोधन करने की आवश्यकता।	100 रुपये
22	110	श्री अ० व० राघवन .	योजना आयोग द्वारा सुझाये गये भूमि सुधारों को कार्यान्वित न करना।	100 रुपये
22	111	श्री अ० व० राघवन .	प्रत्येक तालुके के लिये एक भूमि न्यायाधिकरण की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100 रुपये
22	112	श्री अ० व० राघवन .	पीची में एक वन प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
22	113	श्री अ० व० राघवन .	केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 को कार्यान्वित न करना।	100 रुपये
23	115	श्री अ० व० राघवन .	धर्मादाम पान्ताई तथा पालाकोड में मीन क्षेत्र बन्दरगाहें बनाने के कार्य में तेज़ी लाने की आवश्यकता।	100 रुपये
23	115	श्री अ० व० राघवन .	सभी उपभाग-केन्द्रों में साफ और स्वस्थ फुटकर तथा थोक मछली माकट स्थापित करने की आवश्यकता।	100 रुपये

[श्री वासुदेवन नायर]

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
23	117	श्री अ० व० राघवन .	सभी मीन क्षेत्र बन्दरगाहों में आवश्यक उपकरण वाले "सर्विसिंग स्टेशन" बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
27	118	श्री वासुदेवन नायर .	केरल राज्य में तेज़ी से उद्योगीकरण के लिये प्रभावी कदम न उठाना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
27	119	श्री वासुदेवन नायर .	सीताराम स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्ज, त्रिचुर के पुननिर्माण की आवश्यकता	100 रुपये
27	120	श्री वासुदेवन नायर .	सीताराम मिल्ज़, त्रिचुर के कर्मचारियों को श्रमिकों की बस्ती से निकालने से सम्बन्धित कार्यवाही को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
27	121	श्री अ० व० राघवन .	केरल खादी आयोग में अनियमितताएं	100 रुपये
27	122	श्री अ० व० राघवन .	उद्योग स्थापित करने के विषय में केरल के मलाबार क्षेत्र की उपेक्षा ।	100 रुपये
27	123	श्री अ० व० राघवन .	बेपुर पत्तन से खपरैल के निर्यात में कमी ।	100 रुपये
29	125	श्री वासुदेवन नायर .	कर्मचारी वर्ग की तुलना में नियोजकों के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रवैया ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
29	126	श्री वारियर	प्रिमियर टायर्स, कलमास्सेरी के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों में विवाद निपटाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
29	127	श्री वारियर	प्रिमियर टायर्स में श्रम विवाद में पुलिस द्वारा प्रबन्धकों के पक्ष में हस्तक्षेप ।	100 रुपये
29	128	श्री वारियर	मजूरी, बोनस आदि में सुधार के सम्बन्ध में बागान के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों में विवाद ।	100 रुपये
29	129	श्री वारियर	काजू उद्योग के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों में विवाद ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
29	130	श्री वारियर	जल परिवहन के छंटनी किये गये कर्मचारियों को अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा में पुनः रोजगार देने सम्बन्धी समस्यायें।	100 रुपये
29	131	श्री वारियर	राज्य परिवहन सेवा के कर्मचारियों के वेतन में सुधार तथा सेवा की अच्छी शर्तों सम्बन्धी मांगें।	100 रुपये
32	132	श्री अ० व० राघवन	केरल के मलाबार क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं की उपेक्षा।	100 रुपये
33	134	श्री अ० व० राघवन	तेलीचेरी, बाडागरा तथा कालीकट में उप-मार्ग बनाने में विलम्ब।	100 रुपये
33	135	श्री अ० व० राघवन	तेलीचेरी में पश्चिम तट सडक पर इरंजोली पुल बनाने में विलम्ब।	100 रुपये
33	136	श्री अ० व० राघवन	केरल के मलाबार क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें न बनाना।	100 रुपये
33	137	श्री वासुदेवन नायर	सरकारी निर्माण विभाग तथा "एन० एम०आर" के कर्मचारियों की मांगें।	100 रुपये
34	138	श्री अ० व० राघवन	बाडागरा में प्रकाश-स्तम्भ से सम्बन्धित कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता।	100 रुपये
35	139	श्री अ० व० राघवन	बेपुर पत्तन के सभी ऋतुओं में उपयोगी पत्तन के रूप में विकास की आवश्यकता।	100 रुपये
35	140	श्री अ० व० राघवन	मलाबार तथा त्रावणकोर कोचीन में सड़कों की संख्या में असमानता दूर न करना।	100 रुपये
35	141	श्री अ० व० राघवन	छोटी परिवहन सहकारी समितियों को प्रोत्साहन न देना।	100 रुपये
35	142	श्री अ० व० राघवन	अधिक डी-लक्स बसें चलाने की आवश्यकता।	100 रुपये
35	143	श्री अ० व० राघवन	सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता।	100 रुपये
39	144	श्री वासुदेवन नायर	मलाबार क्षेत्र में गैर-सरकारी वनों का अर्जन करने से इनकार।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।

[श्री वासुदेवन नायर]

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
39	145	श्री वासुदेवन नायर .	साबरीगिरी परियोजना क्षेत्र में यूकेलिप्टस की खेती के लिये वनों का काटा जाना।	राशि घटा कर एक रूपया कर दी जाये।
45	146	श्री अ० व० राघवन .	उद्योगों के सम्बन्ध में मलाबार तथा त्रावनकोर कोचीन के विकास के स्तर में असमानता।	100 रुपये
46	147	श्री अ० व० राघवन .	केरल में कुट्टियाडी तथा पज़हास्सी सिंचाई परियोजनाओं को दी गई निम्न प्राथमिकता।	100 रुपये
47	148	श्री अ० व० राघवन .	पालामालाई को ग्रीष्म-ऋतु के उपयुक्त स्थान के रूप में विकास की आवश्यकता।	100 रुपये
50	149	श्री अ० व० राघवन .	केरल राज्य सड़क परिवहन बोर्ड के पास पिछले 28 वर्षों से पड़े हुए बेकार सामान का निपटान न करना।	100 रुपये
51	150	श्री अ० व० राघवन .	वन संसाधनों की पूरी सूची तैयार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
3	151	श्री वारियर	मद्य निषेध समाप्त न करना	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
9	152	श्री वारियर	सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिये पुलिस द्वारा सत्यापन करने की पद्धति को समाप्त न करना।	,,
9	153	श्री वारियर	मलाबार क्षेत्र के विकास के लिए अधिक साधन उपलब्ध न करना।	,,
9	154	श्री वारियर	राज्य योजना बोर्ड न बनाना	,,
9	155	श्री वारियर	मिट्टी के तेल का सम्भरण बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	156	श्री वारियर	जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों द्वारा विवादग्रस्त राजनैतिक मामलों पर लेख लिखने का अनौचित्य।	100 रुपये
9	157	श्री वारियर	केरल जनगणना विभाग में छंटनी किये गये कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के स्थान पर पुनः काम पर लगाने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
9	158	श्री वारियर	राशन में चावल की मात्रा बढ़ाकर 12औंस कर देने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	159	श्री वारियर	धान का क्रय-मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	160	श्री वारियर	उन सभी उत्पादकों को उद्ग्रहण से मुक्त करने की आवश्यकता जिनके पास दो एकड़ अथवा इससे कम भूमि है।	100 रुपये
9	161	श्री वारियर	राशन की दुकानों द्वारा चीनी का सम्भरण बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	162	श्री वारियर	कोचीन नगर निगम बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय करने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	163	श्री वारियर	अलवाय को पर्यटन-केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	164	श्री वारियर	कलाडी को पर्यटन-केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	165	श्री वारियर	अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा द्वारा और अधिक सेवायें आरम्भ करने और छंटनी किये गये सभी कर्मचारियों को खपाने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	166	श्री वारियर	केरल जल परिवहन निगम के छंटनी किये गये सभी कर्मचारियों को अंश राशि अदा करने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	167	श्री वारियर	उदग्रहण के प्रयोजनार्थ तालुकों के वर्गीकरण की गलतियां ठीक करने की आवश्यकता।	100 रुपये
12	168	श्री वारियर	चालू वित्तीय वर्ष में सेंट्रल जेल, त्रिचूर के लिए जल सम्भरण योजना कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
13	169	श्री वासुदेवन नायर	सभी पुलिस थानों में पुलिस के सिपाहियों के लिए और क्वार्टर तथा विश्राम कक्षों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100 रुपये

[श्री वासुदेवन नायर]

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
13	170	श्री वासुदेवन नायर	समाज विरोधी शरारती तत्वों से जनसाधारण की सुरक्षा और संरक्षण करने में पठानम थिट्टा तालूक में रानी की पुलिस की असफलता।	100 रुपये
16	171	श्री वारियर	गैर-सरकारी कालेजों में शिक्षण-शुल्क को सरकारी कालेजों के समान बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
16	172	श्री वारियर	केरल विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये
16	173	श्री वारियर	गैर-सरकारी कालेजों और स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार समाप्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये
16	174	श्री वारियर	केरल में गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतनों के पुनरीक्षण की नई योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों के अनुसार कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
16	175	श्री वारियर	केरल विश्वविद्यालय के प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
16	176	श्री वारियर	केरल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतनों तथा सेवा की शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
16	177	श्री वारियर	एरणाकुलम और कोझीकोड में विश्व-विद्यालय केन्द्रों के लिए योजनाओं को पूर्ण रूप से तुरन्त कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
16	178	श्री वारियर	टी० डी० मैडिकल कालेज, एलप्पी के विद्यार्थियों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं देने की आवश्यकता।	100 रुपये
16	179	श्री वारियर	गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं में प्रति-व्यक्ति शुल्क पद्धति की समाप्ति की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
16	180	श्री वारियर	गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतनों में प्रस्तावित वृद्धि की भांति पूर्व-स्नातक कालेजों के अध्यापकों के वेतनों में भी वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
17	181	श्री वासुदेवन नायर .	हिन्दी के अंश-कालिक अध्यापकों की मांगें स्वीकार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
17	182	श्री वासुदेवन नायर .	अंश-कालिक अध्यापकों के पदों को समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
	183	श्री वासुदेवन नायर .	केरल में स्कूलों के अध्यापकों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
19	184	श्री वासुदेवन नायर .	कुरिच्चि के होम्यो कालेज के विद्यार्थियों की मांगें स्वीकार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
20	185	श्री वारियर	मलेरिया-रोधी कर्मचारियों को रोज़गार देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
20	186	श्री वारियर	आर-एच सैन्टर, पाल्लिकल के कुष्ट रोगियों का भरण-पोषण भत्ता जारी रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
20	187	श्री वारियर	हाल ही में छंटनी किये गये हैज़ा निरीक्षकों को पुनः रोज़गार देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
20	188	श्री वारियर	गणकों एवं—टीका लगाने वालों को स्थायी रोज़गार देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
20	189	श्री वारियर	कासरगोड के लिये जल संभरण योजना कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	100 पये
20	190	श्री वारियर	कुट्टानाड में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करने की योजानाएं बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
21	191	श्री वासुदेवन नायर .	कुट्टनाद के लिये अविलम्ब एक लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी उप-प्रभाग चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
22	192	श्री वारियर	केरल भूमि सुधार अधिनियम को तेज़ी से लागू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

[श्री वासुदेवन नायर]

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती राशि
22	193	श्री वारियर	लगान की बकाया के आरोपों पर काश्तकारों को बेदखल करने की कानूनी कार्यवाही से बचाने की आवश्यकता।	100 रुपये
22	194	श्री वारियर	खेतिहर मज़दूरों के लिये न्यूनतम मजूरी की सिफारिशें लागू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
22	195	श्री वारियर	कायमकुलम कयाल को कृषि-योग्य बना कर बीज फार्म बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
22	196	श्री वारियर	उत्पादकों को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि अदा करने के लिये पम्बा नदी चीनी कारखाने को बाध्य करने की आवश्यकता।	100 रुपये
27	197	श्री वारियर	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी संसदीय समिति की उपपत्तियों की दृष्टि से केरल के सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के कार्यचालन की उचित जांच करने की आवश्यकता।	100 रुपये
27	198	श्री वारियर	एलेप्पी जिले के तटवर्ती क्षेत्र के औद्योगीकरण के लिये ठाराकन समिति की रिपोर्ट लागू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
27	199	श्री वारियर	नारियल जटा उद्योग का और अधिक विघटन रोकने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता।	100 रुपये
29	200	श्री वारियर	जस्ते की कमी है इस दलील पर त्रिचूर में कोचीन मेलिएगल्स में मजदूरों को ज़बरी छुटी देना।	100 रुपये
29	201	श्री वारियर	बिजली की कटौती के कारण जबरी छुट्टी दिये गये सभी कर्मचारियों को वेतन देने की आवश्यकता।	100 रुपये
29	202	श्री वारियर	शोलायार पन-बिजली परियोजना के निर्माण-कर्मचारियों को और अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
32	203	श्री वारियर	करुवन्नूर बेसिन परियोजना की चिमोनी योजना को चौथी योजना की अवधि में कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
32	204	श्री वारियर	पेरियान घाटी योजना पूरी करने की आवश्यकता।	100 रुपये
32	205	श्री वारियर	कल्लडा परियोजना कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
39	206	श्री वारियर	वन क्षेत्रों में बसने वालों की समस्याओं संबंधी सलाहकार समिति की उप-समिति का प्रतिवेदन स्वीकार न करना और उसे कार्यान्वित न करना।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।

श्री श्री कान्तन नायर (क्विलोन) : हमारे केरल राज्य में आपको पढ़े लिखे और सफेद पोष लोग अधिक संख्या में मिलेंगे परन्तु उनका पेट आपको खाली मिलेगा। वहां के लोगों को रोज़गार दिलाने के लिये वहां कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। यह एक ऐसा बदकिसमत राज्य है जिसपर सभी प्रकार के अत्याचार किये जाते रहे हैं। हमारा सब से बड़ा दुर्भाग्य यह रहा है कि जब हमारा राज्य भी स्वतंत्र हुआ तो वह भारत संघ में शामिल हुआ। उस समय से हमारी स्थायी सरकार कभी भी नहीं रही है। पहले चुनाव में लगभग शतप्रतिशत कांग्रेसी विधान मण्डल में चुन कर आये। परन्तु फिर भी वे एक वर्ष के लिये भी स्थायी सरकार कायम नहीं कर सके। अलबत्ता साम्यवादी लगभग 29 महीनों के लिये एक स्थायी सरकार बना पाये थे। संघ सरकार तथा योजना आयोग ने इस राज्य की आवश्यकताओं पर कभी भी न्यायपूर्ण ढंग से विचार नहीं किया है।

हमारे राज्य में प्रचुर जल संसाधनों के होते हुए भी बिजली का न होना संघ सरकार के लिये बड़ी अपमानजनक बात है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 10 मई, 1966/20 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तकके लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 10, 1966/ *Vaisakha* 20, 1888 (*Saka*).

भा.स.मु.ना--71 लोकसभा/66--17-10-67--565